

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol. XXXVII, Fifteenth Session, 2014/1935 (Saka)
No.22, Friday, February 21, 2014/Phalguna 2, 1935 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.401 and 402	5-36
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.403 to 420	37-99
Unstarred Question Nos.4459 to 4688	100-570

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	571-598, 606
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	599
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
Minutes	599
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION	
33rd Report	599
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	
45th Report	600
COMMITTEE ON VIOLATION OF PROTOCOL NORMS AND COMTEMPTUOUS BEHAVIOUR OF GOVERNMENT OFFICERS WITH MEMBERS OF LOK SABHA	
2nd Report	600
STATEMENTS BY MINISTERS	
(i) Revision of MGNREGA wage rates for the period 2014-15.	
Shri Pradeep Jain	601
(ii) Status of implementation of recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation.	
Shri Bharatsinh Solanki	602

- (iii) Status of implementation of recommendations contained in the 71st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

Shri Sachin Pilot

603

- (iv) Status of implementation of recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment.

Shri Manikrao Hodalya Gavit

604

- (v) Status of implementation of recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on 'Long Term Purchase Policy and strategic storage of Crude Oil', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

Shrimati Panabaka Lakshmi

605

MATTERS UNDER RULE 377

607-611

- (i) Need to construct pucca roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in reserve forest areas in Bharuch and Narmada districts of Gujarat

Shri Mansukhbhai D. Vasava

607

- (ii) Need to augment railway services and facilities in Himachal Pradesh

Shri Anurag Singh Thakur

608

- (iii) Need to sanction adequate funds for Jolarpet-Tirupathur-Kandili-Barugur-Orappam-Krishnagiri-Sulagiri-Hosur railway line project in Tamil Nadu

Shri E.G. Sugavanam 609

- (iv) Need to cancel the proposed coal-bed methane gas exploration in Mannargudi area of Cauvery delta region in Tamil Nadu keeping in view its serious ill-effects on the ecology of the region

Shri A.K.S. Vijayan 610

- (v) Need to introduce a direct train service between Delhi and Aurangabad, Maharashtra

Shri Chandrakant Khaire 611

**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BUDGET (2014-15)**

Shri Jesudasu Seelam 612

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS
(NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI),
2013-14**

Shri Jesudasu Seelam 612

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Possible impact of Model Code of Conduct on development works in Uttar Pradesh on account of forthcoming elections to Lok Sabha

621-624

MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 205

634

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BUDGET (2014-15)– GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (2014-15) AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS –NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (2013-14)	637-642C
DELHI APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2014	643-644
Motion to Introduce	643
Motion to Consider	643
Clauses 2, 3 and 1	644
Motion to Pass	644
DELHI APPROPRIATION BILL, 2014	645-646
Motion to Introduce	645
Motion to Consider	645
Clauses 2, 3 and 1	646
Motion to Pass	646
VALEDICTORY REFERENCES	677-715
Shri Sushilkumar Shinde	677-679
Shri Mulayam Singh Yadav	680-681
Shri Sharad Yadav	682-684
Shri Dara Singh Chauhan	685-686
Prof. Saugata Roy	687-688
Shri T.R. Baalu	689
Shri Basu Deb Acharia	690-691
Shri Bhartruhari Mahtab	692-693
Shri Sharad Pawar	694-695

Shri Gurudas Dasgupta	696-697
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	698-699
Shri O.S. Manian	700
Shri S.D. Shariq	701-704
Shrimati Sushma Swaraj	705-706
Dr. Manmohan Singh	707-708
Madam Speaker	709-715
NATIONAL SONG	715
<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	716
Member-wise Index to Unstarred Questions	717-720
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	721
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	722

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Satpal Maharaj

Shri Jagdambika Pal

SECRETARY GENERAL

Shri S. Bal Shekar

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 21, 2014/Phalguna 2, 1935 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of Shrimati Parvathi Krishnan who was a member of the Second, Fifth and Sixth Lok Sabhas representing the Coimbatore Parliamentary Constituency of Tamil Nadu.

Shrimati Krishnan was also a member of the Rajya Sabha from 1954 to 1957.

Shrimati Krishnan worked relentlessly for the welfare of the working class.

A widely travelled person, Shrimati Krishnan represented the country at the United Nation's Conference for International Women's Year at Mexico in 1975.

Shrimati Parvathi Krishnan passed away on 20 February, 2014 in Coimbatore at the age of 95.

We deeply mourn the loss of Shrimati Parvathi Krishnan and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.02 hrs.

The Members then stood in silence for a short while.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Question Hour, Q. No. 401, Shri S.R. Jeyadurai.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let us have the Question Hour today.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I know you have many issues. But today is the last day; let us have the Question Hour today.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : हम लोग जीरो आवर में ये सभी विषय उठाएंगे।

... (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage, Shri Thol Thirumaavalavan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Today is the last day; let us have the Question Hour.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : जीरो आवर में उठाएंगे।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : हां, ठीक है। जीरो आवर में उठाएंगे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आज प्रश्न काल चलने दीजिए। 15वीं लोक सभा का आज अंतिम प्रश्न काल है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां, ठीक है। मैं बिहार की हूं, मगर आप बैठ जाइए। इतना गुस्सा मत होइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record. Nothing will go in record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Do you want to have the Question Hour on the last day, the last Question Hour of the 15th Lok Sabha or not? What is all this?

... (Interruptions)

11.04 hrs

At this stage, Shri Thol Thirumaavalavan and some other hon. Members went back to their seats.

... (Interruptions)

11.04 hrs.

At this stage, Shri Maheshwar Hazari and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

* Not recorded.

11.04 ½ hrs.

MADAM SPEAKER : Q. No.401 Shri S. R. Jeyadurai

(Q. 401)

SHRI S. R. JEYADURAI : Madam, the Government recently increased the number of subsidized LPG cylinders from 9 to 12 in a year per family. ... *(Interruptions)* In India, joint families still exist. For them, 12 LPG cylinders are not enough. For poor families, the price of an LPG cylinder is also very high. I would like to know from the Minister whether the Government propose to increase the number of subsidized LPG cylinders from 12 to 15 per year per family and whether the Government would further cut the price of LPG cylinders for rural people who are very poor and cannot pay such high price so that they can get cheap LPG cylinders.... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please go back.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए और अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं। देखिए, यह 15वीं लोक सभा का आखिरी प्रश्न काल है इसलिए कृपया इसे चलने दीजिए। यह ठीक नहीं है कि रोज-रोज ऐसा किया जाए। इसलिए अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह ठीक नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, in fact, we have increased the cap at 12 cylinders per family.... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया: शून्य प्रहर में अपनी बात उठाएं, मैं आपको मौका दूंगी। अभी अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)***11.06 hrs.**

At this stage, Shri Maheshwar Hazari and some other hon. Members went back to their seats.

अध्यक्ष महोदया: शून्य प्रहर में हम आपको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why are you standing, holding this? आप भी बैठ जाएं। डेम साहब, आप भी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, 97 per cent of the total consumers is using less than 12 cylinders per annum. I mean to say, 99 per cent subsidized cylinders are sold. As far as a family is concerned, we have also issued a clarification that LPG connection of someone else is being utilized by an LPG consumer. This fact has come to the light because of our 'know your customer' format. We have, now, made it very clear that the registration of LPG connections in the name of family members or outside the family is permitted on payment of differential amount. It also ensures that the genuine consumers can have regularized LPG connections. So we have clarified many things. As far as the subsidy is concerned, whatever the market price of the LPG cylinder is, we have not enhanced the price of subsidy. It means full subsidy is given. It now comes to about Rs. 700 per cylinder.

SHRI S. R. JEYADURAI : Madam, our forest cover is fast decreasing and if we want to save our forests, we need to encourage people to use LPG and PNG for cooking purposes. In this way we will save our forests and our environment. I would like to ask as to how many LPG connections oil marketing companies have issued in the rural areas of Tamil Nadu particularly, in Thoothukkudi Constituency under the Rajiv Gandhi Gramin Vitrak Yojana till date. There are complaints that there is inadequate supply of LPG in rural areas particularly, in Tamil Nadu. What action Government proposes to take to increase LPG supply?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, now about 60 per cent of the coverage has been made by both the LPG and PNG. This has been supplied. Our idea is that we should extend it up to 100 per cent. That is why we are opening up more

outlets. Not only the general outlets but also through the Kisan Kendra, Seva Kendra and the Rajiv Gandhi Vitrak Yojana, whatever is required, we are covering it. If the hon. Member wants it in some of his villages, we liberally grant it. There is no problem at all. The point which is raised by the hon. Member is quite legitimate and correct and we are going to extend our scheme. In fact, the coverage now is about 16 crore families. As far as Tamil Nadu is concerned, 1.61 crore consumers are there, and 152 Kendras have been opened under the Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitaran Yojana. We are prepared to open more Kendras if there is a demand and there is a requisition. We are doing it. This is a constant process.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय मंत्री जी, एक तो आपने जो जवाब भेजा है वह सही नहीं है। दूसरा मेरा कहना है कि यह “Know Your Customer scheme” थी। एक मेरा कनेक्शन है और उसी पते पर मेरे लड़के का कनेक्शन है तो आप उसे जैनुइन कैसे नहीं कहोगे? जब मेरे लड़के ने भी उसी पते पर कनेक्शन लिया है लेकिन मेरा लड़का मेरे से अलग होकर रह रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह जैनुइन कनेक्शन नहीं है? मेरा कहना है कि जवाब देते समय आप पूरा अध्ययन करके आते तो यह कहते कि ये जैनुइन कनेक्शन थे, हमने काट दिये, हम इन्हें ठीक करेंगे। लेकिन आपने कहा कि ये जैनुइन कनेक्शन नहीं थे इसलिए हमने काट दिये। आपने कहा कि मल्टीपल कनेक्शन हमने ब्लॉक कर दिये। अब लोग परेशान हो रहे हैं। आपने इस प्रश्नावली में जो दूसरा अनैक्श्चर दिया है, उसमें शिकायतों के सामने जीरो दिखाया है। जब मेरे पास इतनी सारी शिकायतें आई हैं तो आपके पास क्यों नहीं आ सकती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो जैनुइन कस्टमर थे वे “Know Your Customer scheme” के माध्यम से सेम-एड्रेस होने की वजह से बहुत परेशान हुए हैं। खाली राजस्थान में परेशान हुए हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश में लोग परेशान हुए हैं। इसलिए कोई एक सैल बनाकर इसे आप ठीक करेंगे या नहीं करेंगे या लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, I can appreciate the concern of the hon. Member. That is why, these clarifications have already been issued. If there are two separate connections in the same address, it has been allowed. We have told them to allow it if there are separate kitchens or separate households. There is no

problem. ... (*Interruptions*) Please hear me. We have already instructed that on a declaration it can be given. There is no problem. If there is a genuine thing, we have asked them to liberally look into it and it will be given. I think, this clarification will satisfy the hon. Member. If the hon. Member demands, we will definitely issue one more Circular to liberally look into it. If two connections are demanded and if it is a genuine case, it will be done, and there is no problem.

श्री पोन्नम प्रभाकर : स्पीकर महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ तेलंगाना बिल पास करने के लिए साढ़े चार करोड़ तेलंगाना के लोगों की तरफ से पूरे संसद को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मिनिस्टर साहब की तरफ से नार्थ तेलंगाना के लिए एलपीजी प्लांट का आश्वासन दिया गया था। गेल द्वारा भी पाइप-लाइन लगाने के लिए सहमति दी गयी थी। इससे करीम नगर, वारांगल, निजामाबाद, आदिलाबाद जिले के लोगों के लिए, वहां के कंज्यूमर्स के लिए बहुत सुविधा होगी। उस प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है। तकनीकी तौर पर लैंड-एक्विजिशन पूरा हुआ। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। नोटिफिकेशन भी आने वाला है इसलिए आपसे मेरी विनती है कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद।

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, the hon. Member requested me that there should be an LPG plant. I have not given him any assurance but I assured him that I would look into the matter. That is the assurance. I am told that the progress is being made. I have also told him that it would be positively responded to. This is the attempt which is being done. I cannot give an assurance like that whenever a request is made by the hon. Member, it will be granted. I do not think the Ministry can function like that.

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, हमारे सम्मानित सदस्य जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो खास कर ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग हम लोगों से कनेक्शन मांगते हैं। पहले हमें कूपन दिए जाते थे, हम कहते हैं कि उतने कूपन मत दीजिए, लेकिन कुछ कूपन तो जरूर दीजिए। जब हम शादी वगैरह समारोह में जाते हैं तो लड़की के पिता हमें कहते हैं कि साहब हमें कनेक्शन दे दीजिए, हम लड़की को विवाह में देंगे।

हम मंत्री जी से चाहते हैं कि पूर्व की भांति सांसदों को कुछ कूपनों की व्यवस्था करा दें ताकि जरूरतमंद लोगों को हम कनेक्शन देने की संस्तुति कर सकें। क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, the LPG connections have been given under very simple formalities; and I do not think that there would be much problem, now. The suggestion has been given by the hon. Member that the coupons should be given liberally. Earlier also, the Members had come and approached us... (*Interruptions*)

All right. We will consider this.

MADAM SPEKER: Thank you.

डॉ. संजीव गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ठाणे, नवी मुम्बई और मीरा भयंदर शहर है, वहां सभी जगह पर पाइप लाइन से गैस देने का काम शुरू हुआ है। ग्रामीण इलाकों की बात दूसरी है, लेकिन शहरों में भी यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि पाइप लाइन से गैस देने की बहुत धीमी गति से शुरुआत हुई है। महानगर गैस कम्पनी पाइप लाइन से गैस दे रही है। पिछली बार आपने कहा था कि वर्ष 2015 हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस तरह से काम नहीं चल रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उनको लैटर लिखकर यह काम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेगी?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, the hon. Member had already approached me and I had also assured him. I have already called the meeting of the Mahanagar Gas people. I had a meeting even in Mumbai, where I called them and said that the expansion work should be quickened.

So, we will expedite this. We will, particularly, make sure that the house-to-house connection for the gas is done as it is in the interest of the consumer and also in the interest of the country.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में आज भी संयुक्त परिवार हैं और वहां संख्या भी ज्यादा है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि एक ही गैस कनेक्शन और एक ही सिलेंडर देने की व्यवस्था की जाएगी तो उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने पिछले दिनों यह मांग की थी कि जितने सिलेंडर सब्सिडी में मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने उसके लिए प्रयास किया, सदन के माध्यम से भी कहा गया और ग्रामीण अंचलों में भी इसकी सराहना हुई। वहां गरीब लोग रहते हैं जो आज भी इंधन समस्या से पीड़ित हैं और उनको इस तरह की व्यवस्थाओं से जोड़ने

के लिए कुछ सरलीकरण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पार्टी से रिलेटिड हैं, वह कुपोषित हैं, गरीब हैं, गरीब अंचलों से हैं, उनको दो जून की रोटी मुहैया कराना कठिन है, लेकिन फिर भी इंधन समस्या से वह दुखी और पीड़ित हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाए तो क्या ऐसी योजना माननीय मंत्री जी बनाएंगे कि जो गरीब, दलित और दबे-कुचले लोग हैं, उन्हें इस व्यवस्था से जोड़ने की कोई नीति बनाएंगे?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, in fact, 96 per cent of the BPL families are using less than six cylinders on the single family basis. But I can very well appreciate the concern of the hon. Members that it should be liberally done and the procedures should be made simplified. That is why two of the schemes had been introduced; and they are picking up very well, particularly, in the rural areas. These two schemes are the Kisan Sewa Kendra and the Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitaran Yojana.

In fact, the idea is to cover these sections of the people so that it can be done. Now, every year we are, on an average, releasing about one crore connections and it is more so in the rural areas. I very well appreciate the concern of the people, the vulnerable sections of the people and the people below the poverty line. I think I will definitely think of a new scheme which can reach out to them very early.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, the Minister just mentioned that every year he is releasing one crore connections. It is not borne out by his reply. In his reply he has said that from June 2012 to December 2013, 2,18,79,444 connections have been given. So, what is the actual output? It is because the demand for LPG cylinders continues and you are not able to satisfy.

I have only one question to the Minister. We were told by your dealers that henceforth the subsidized cylinders will be linked to Aadhaar cards. The dealers have said that you quickly get your Aadhaar cards. Otherwise, you would not get subsidized cylinders. Several High Courts have given judgements in the matter. What is the Government's final view on linking Aadhaar cards to subsidized LPG cylinders? It is because the Finance Minister has said that 57 crore Aadhaar cards

have been given. So, a large number of the people in the country are not covered. What is the decision of the Petroleum Ministry in linking Aadhaar cards to subsidized LPG cylinders?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam, under the DBTL, that means, under the Aadhaar based scheme, 4.86 accounts have been seeded by the banks and roughly 2.06 crore households have been receiving these cylinders. In fact, 291 districts have been covered. Even then practical problems have come mainly because the banks have been given originally Rs.400 per cylinder. That was not enough because now the subsidy is Rs.700.

PROF. SAUGATA ROY : There is a Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme. What has happened to that?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I am coming to that.

As far as the Direct Benefit Transfer is concerned, now the Cabinet has taken a decision that it has to be de-linked and the original position as before where they get the subsidized cylinder directly without linking it to the Aadhaar cards should be re-introduced. That has been re-introduced. Clarification is being issued now.

PROF. SAUGATA ROY : It has not been issued.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: No, now it is going to be issued. It will be issued within a week.

PROF. SAUGATA ROY : Is that an assurance?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Yes, it is an assurance.

(Q.402)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें इन्होंने स्वीकार भी किया है और वर्ष 2011 का सर्वेक्षण इन्होंने दिया है जिसमें 9 राज्यों में 112 जिलों में इन्होंने कवर किया है। इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि 53 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों का कुपोषण या कम वजन हुआ है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं और इन्होंने स्वीकार किया है और विभिन्न योजनाओं का नाम भी इन्होंने नीचे दिया है कि हम ये योजनाएं चला रहे हैं। कु-पोषण का मतलब सिर्फ अशिक्षा और गरीबी ही हो सकता है। ग्रामीण महिलाएं जो खासकर गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको शिक्षित करने के लिए क्या कोई योजनाएं बनाई गई हैं जिससे उनको शिक्षा मिल सकें? आर्थिक उन्नति के लिए तो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन आर्थिक योजनाएं गरीबों तक पहुंचती ही नहीं हैं और बीच में ही रुक जाती हैं, इस बात को राजीव गांधी जी ने अपने जमाने में स्वीकार भी किया था। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं आप चला रहे हैं, हमें लगता है कि इन योजनाओं की जानकारी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नहीं है। लोग योजना का नाम भी नहीं जानते हैं। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो ताकि ग्रामीण इलाकों में इन योजनाओं का लाभ मिल सके। क्या इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय स्पीकर साहिबा, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न असल में वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का था लेकिन जो प्रश्न इन्होंने पूछा है मैं उसका उत्तर विशेष रूप से दूंगा क्योंकि हमारे मंत्रालय ने पहल की है। शायद यह पहली मिनिस्ट्री होगी जिसने इस तरह की पहल की है कि सरकार में जो योजनाएं बनती हैं उनको गांवों तक पहुंचाने का काम किया हो। यूं तो एडवर्टाइजमेंट नेशनल पेपर्स और रीजनल पेपर्स में सभी मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है लेकिन 2011 में हमारे मंत्रालय ने एक नई स्कीम बनाई। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना पैसा आता है हमने उसमें अधिकतर हिस्सा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं, हर भाषा में न्यूज आती है। हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 29 रेडियो स्टेशन रीजनल और 30 दूरदर्शन यानी कुल मिलाकर 59 दूरदर्शन और रेडियो चैनल्स पर प्राइम टाइम शाम का लिया। हमने पूरे देश में 12,000 डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट्स की एक सूची बनाई जिसमें सभी किस्म के डॉक्टर हैं, कैंसर से लेकर जितनी अन्य बीमारियों के डॉक्टर हैं। इनमें कॉर्डियोलाजिस्ट, ऑनकोलाजिस्ट, पेडियाट्रिशियन्स, गाइनोकोलाजिस्ट्स भी हैं। दूरदर्शन और रेडियो में जो अफसर, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को चलाते हैं, उनको पहले एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई कि कौन से प्रोग्राम मिनिस्ट्री द्वारा चाइल्ड हैल्थ के

लिए हैं, कौन सी योजनाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित हैं, तमाम कैप्सूल भी दिए गए और समझाया भी गया कि किस तरह से प्रेजेंट करें। हफ्ते में पांच दिन प्रोग्राम शाम को करीब साढ़े छः से साढ़े सात के बीच आधे घंटे का होता है। मैंने लेटेस्ट एक-आध महीने का डाटा नहीं लिया और करीब 30,000 प्रोग्राम स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन पर हुए। यह हमने अप्रैल 2012 में शुरू किया। मुझे खुशी है कि इसे अब करीब दो साल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम का नाम स्वस्थ भारत है। मैं एमपी साहिबान से कई दफा कह चुका हूँ कि अनफारच्युनेटली आप रीजनल चैनल्स बहुत कम देखते हैं, सभी सेन्सेशनल न्यूज देखने में रुचि रखते हैं। मेरा निवेदन है कि वे भी इस प्रोग्राम को रेडियो और दूरदर्शन पर अपनी रीजनल भाषा में अपनी स्टेट में देखें। यदि उसमें कोई परिवर्तन या कमी है तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो बजटीय प्रावधान किया गया है उसमें 2011 में एएनएम स्कीम में एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। योजना बनाते हैं तो पैसा राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार उन स्कीमों को अपने राज्यों में लागू करती है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां सरकार कागजी आंकड़ों का खेल खेलती हैं और धरातल पर योजनाएं नहीं उतरती हैं लेकिन यहां कागज में आ जाता है। जैसे मध्याह्न भोजन योजना में बिहार की चर्चा सरकार ने थी कि 23 बच्चे विषाक्त भोजन के कारण मर गए। ये भी योजना इसमें है।

मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है, बिहार जैसे प्रांत से कागजी आंकड़े भारत सरकार को भेज दिए जाते हैं। आपने वहां मानिट्रिंग के लिए कोई योजना बनाई है कि जो पैसा दिया जाता है, उसका सही ढंग से उपयोग हो, धरातल पर योजना पहुंच सके? अगर कोई सरकार कागजी आंकड़ा भेजती है, अगर वह गलत है तो क्या आपने उन पर कोई कार्रवाई करने का प्रावधान बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आपने सोचा है कि भविष्य में प्रावधान बनाएंगे?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, एएनएम का जिक्र किया है यह हमारे मंत्रालय में नहीं आता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि असली प्रश्न हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। कुपोषण का मामला हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, बच्चों के इलाज से संबंधित है। मैं उत्तर दे सकता था लेकिन एमाउंट भी ज्यादा नहीं था, एक करोड़ रखा था और यह खर्च नहीं हुआ। आप इसके मुकाबले उसी विभाग का आंकड़ा पढ़ते। आईसीडीएस के कार्यक्रम जिसमें 9700 करोड़ रुपए रखे थे और 15000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 9663 करोड़ रुपए के बजाय 15337 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपने 15337 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं पढ़ा बल्कि एक करोड़ का पढ़ लिया। एक करोड़ की कोई स्कीम नहीं होती है। बजट सिर्फ 3000

करोड़ का और 15000 करोड़ खर्च हुआ है। मेरे ख्याल में आपको उस महकमे को एप्रीशिएट करना चाहिए था। यह मेरे अंडर में नहीं है। एक करोड़ में से एक करोड़ खर्च नहीं हुआ क्योंकि एक करोड़ में पूरे देश के लिए कोई स्कीम नहीं बन सकती है।

आपने जिस तरह से राज्य सरकारों के बारे में कही है। मैं माननीय एमपी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है। इसके बावजूद भी पिछले दस साल में जितनी केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं, एक तरह से स्पून फीडिंग की गई है। हम यहां से कार्यक्रम बनाते हैं, पैसे देते हैं, अगर उन कार्यक्रमों और प्रोग्रामों पर राज्य सरकारें चलेंगी तो मेरे ख्याल से एक क्रांति, एक इंकलाब आ सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मानिट्रिंग के बारे में जवाब दीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय अध्यक्ष महोदया, हर डिपार्टमेंट की मानिट्रिंग की योजना अलग-अलग बनती है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जो इससे बिल्कुल समेकित है, बच्चों, नवजात शिशुओं की मृत्यु न हो, इसके लिए 2009 में नई स्कीम बनाई। हम यहां से, भारत सरकार से पैसे देते हैं, सात अलग-अलग बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन मुफ्त में देते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए भी पैसे देते हैं, गाड़ी के लिए भी पैसे देते हैं, कोल्ड चेन के लिए भी पैसे देते हैं। वर्ष 2009 में मैं इसी सदन में प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो मैंने देखा कि हमारे देश में नवजात शिशुओं की मरने की संख्या बहुत ज्यादा है। जब मैंने उनके मुकाबले वैक्सीन देखे जिनका इम्युनाइजेशन होता है, तो वह भी ज्यादा था। इसमें बहुत मिस मैच था कि अगर इतने बच्चों का वैक्सीन देते हैं तो इतने बच्चे क्यों मरते हैं। मैं उसी वक्त मिनिस्ट्री में गया और कहा कि यहां कोई कमी है, इसमें मिस मैच है। अगर इतने करोड़ों बच्चों को, इतने परसेंट बच्चों को वैक्सीन लगते हैं तो बच्चे क्यों मरते हैं? हमने राज्य सरकारों से पूछा, अपने मंत्रालय से पूछा, डिस्ट्रिक्ट से पूछा कि नाम कैसे आते हैं तो पता चला कि सब आंकड़े राज्यों से जमा किए जाते हैं, विधानसभा और पार्लियामेंट में बताते हैं।

उसी दफा हमने एक मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया। मैं टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, मोबाइल भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन पहली बार मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए खुद उस स्कीम को बनाया कि आज के बाद किसी स्टेट के आंकड़े हम नहीं मानेंगे, जब तक कि वे वेब्स बेस्ड नहीं होंगे और जब तक उस बच्चे के माता-पिता का टेलीफोन नम्बर, ऐड्रेस, घर नहीं मालूम होगा, जिसे वैक्सीन लगता है। उसके बाद जब हमने यह बनाया तो सभी स्टेट्स ने कहा, मैं किसी एक स्टेट को दोष नहीं देना चाहता हूँ, चाहे वे मेरी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों, कि हम

इसको लागू नहीं करेंगे क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं देना चाहता था। जब हमने उसको लागू किया तो मेरी जो शंका थी, उसके अनुसार जितने वे आंकड़े भेजते थे, वे निस्फ आ गये, जब अगली दफा उनको टेलीफोन बेस्ड और नेम बेस्ड देना पड़ा तो। आज मैं सदन के अपने सभी साथियों से कहूंगा और यहां विपक्ष की नेता उपस्थित हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं और ये उसमें रूचि रखती हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारा जो मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, वह सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि बाकी देशों को भी आकर्षित करता है। उसमें तकरीबन सौ के करीब लड़के-लड़कियां काम करते हैं और दस करोड़ के करीब हमारे पास उन गर्भवती महिलाओं के टेलीफोन, ऐड्रेस हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। कोई भी जाकर वहां टेलीफोन कर सकता है और गर्भवती महिला से या जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उससे टेलीफोन करके पूछ सकता है कि तुम्हें सुविधा पहुंचती है या नहीं। जिसकी वजह से आज हमारा जो वैक्सीनेशन होता था, इम्यूनाइजेशन होता था, उसकी संख्या तीन साल में एकदम बढ़ गयी है। ये कुछ लांग टर्म कार्य होते हैं, जिनसे आने वाले वक्त में एक स्टेट की नहीं, सभी स्टेट्स की रिस्पान्सबिलिटी बढ़ेगी और जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, वह आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जायेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं प्रश्न पूछने के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई हूं।... (व्यवधान) आलोचना पर बन्द करो तो करो, लेकिन कम से कम बधाई पर तो माइक चालू कर दो।

अध्यक्ष महोदया : माइक चलाइये। अब तो बहुत अच्छे माइक लग गये हैं।

... (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माइक नहीं चल रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्टैंडिंग इन्स्ट्रक्शंस हैं कि मेरा माइक नहीं चलेगा। मैं कह रही हूं कि आलोचना के समय बन्द करो सो करो, लेकिन बधाई देते समय तो चला दो। मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वे आगे बहुत ज्यादा कारगर होंगे, लेकिन मैं पूरे सदन से कहना चाहूंगी कि हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दें कि भारत पोलियो मुक्त हुआ है। यहां के वैक्सीनेशन के कारण से और तीन साल तक एक भी पोलियो का केस नहीं हुआ, इसके लिए डब्ल्यू.एच.ओ. ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त भारत का सर्टिफिकेट दिया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं और इसी तरह से उनका यह मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी कारगर हो, इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : बहुत-बहुत धन्यवाद लीडर अपोजिशन साहिबा। इसमें आपने कुछ फाउन्डेशन डाली थीं, उसको हमने अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, इसके लिए आपको भी बधाई। इसके अलावा ऑनरेबल मंबर

साहब ने जो सवाल उठाये थे, मैं उनके बारे में बता दूँ। मानिट्रिंग के अलावा जिनकी मैंने चर्चा की, उसके अलावा हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम है मानिट्रिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मानिट्रिंग सिस्टम भी है, इंटीग्रेटेड फील्ड मानिट्रिंग सिस्टम भी काम कर रहा है और सेन्ट्रल रिव्यू मिशन भी है। इस तरह के बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं, जो तीन महीने के बाद, छह महीने के बाद या साल भर के बाद रिव्यू लेते रहते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, आपकी नजरें इनायत हैं कि आपने इस आखिरी दिन मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

अध्यक्ष महोदया : ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने मेरी बात मान ली और शान्त हो गये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, यह जो जवाब आया है और ऐसा साजगार माहौल काश रहता तो और अच्छा होता कि मंत्री जी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, विपक्ष की नेता ने जो संदेश दिया है, वह यहां से बात निकली है तो दूर तक जायेगी कि संसद में सिर्फ हंगामा नहीं होता, कन्स्ट्रक्टिव काम भी होता है। यह जो जवाब आया है, उसमें हंगामा रिपोर्ट की बात है। आप इस बात की गवाह हैं, माननीय आड़वाणी जी भी हैं, विपक्ष की नेता भी हैं कि हम युवा सांसदों ने मिलकर कुपोषण का एक ग्रुप बनाया था। इसके लिए हमने सरकार को और विपक्ष को विश्वास में लेकर, जिसमें सचिन पायलट, सुप्रिया सुले तथा और भी हमारे कई साथियों ने मिलकर इस अभियान को पिछले कार्यकाल में बढ़ाया था। यह हंगामा रिपोर्ट आई, सरकार ने नेशनल डैवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट में इसको डाला। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसा विपक्ष के नेता ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत हो, तो हम चाहते हैं कि कुपोषण मुक्त भारत भी हो। अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। इसमें जो जवाब है, जब यह सवाल आया तो मैंने सोचा कि महिला विकास मंत्री जवाब देंगे या स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे। स्वास्थ्य मंत्री बहुत ज्ञानी हैं और वे सब विभागों का जवाब समेटकर इसमें लाए हैं, क्योंकि रूरल डैवलपमेंट भी कुपोषण पर काम करता है, महिला और बाल विकास विभाग भी करता है तथा एजुकेशन मिनिस्ट्री भी काम करती है, जिस तरह प्रभुनाथ बाबू ने कहा कि वे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, तो उसमें उनका भी योगदान होता है। मैं आपके ज़रिये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार का कोई इरादा था, अब कोई इरादा है ऐसा पूछना भी मुश्किल है क्योंकि आगे हमें करना है या आपको करना है यह तो समय बताएगा, लेकिन क्या सरकार का कोई इरादा 'था', क्योंकि 'है' की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। क्या सरकार का इरादा था कि इन सारी स्कीम्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए और कुपोषण मुक्त भारत के लिए अलग-अलग मंत्रालय की स्कीम्स को इकट्ठा करके इस देश को कुपोषण मुक्त भारत बनाया जाए, तो हम सांसदों का वह प्रयास सफल होगा। वह एक

अनूठा प्रयास जो हम लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर किया था, अलग अलग राज्यों में गए थे, सब नेताओं से मिले थे, आडवाणी जी से मिले थे, सुषमा जी से मिले थे, आपसे आकर सारे सांसद मिले थे, प्रधान मंत्री जी से मिले थे। हमें खुशी है कि जो रिपोर्ट आई है, जब हमने इसको शुरू किया था, तब से आज इसमें गिरावट आई है। वह 42 परसेंट पर आया है और इसको लेकर हमें अपेक्षा है कि अगली बार जब सवाल पूछने के लिए कोई सांसद यहाँ खड़ा हो तो जैसे पोलियो ज़ीरो परसेंट है, यह सर्टिफिकेट जब तक इस देश के मंत्री को नहीं मिलेगा, तब तक हम सांसद चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये ज़ीरो परसेंट कैसे करेंगे, यह हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, मैं भूतपूर्व मंत्री और माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा। मैं जब सुबह यह सवाल पढ़ रहा था तो मुझे यह शंका थी कि आज भी सदन चलेगा या नहीं। मैं देख रहा था कि तीन मंत्रालय खास तौर से इस कुपोषण से डील कर रहे हैं, वे अलग अलग तीन मंत्रालय हैं - स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनके कोआर्डिनेशन का जो आपने सुझाव दिया, वह तो बहुत अच्छा है कि चाहे मंत्रालय अलग-अलग हों लेकिन एक सैक्रेटरी लैवल पर और एक मिनिस्टीरियल लैवल पर इसका कोआर्डिनेशन होना चाहिए क्योंकि सब विभाग अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन इकट्ठा पॉलिसी लेना शायद और आसान होगा अगर सैक्रेटरी लैवल पर और मिनिस्टर लैवल पर होगा। जैसे आपने कहा कि अब तो सब इलैक्शन मोड में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अगली सरकार बने, और डेमोक्रेसी में किसकी सरकार बनती है, वह तो डेमोक्रेसी की जीत होती है, लेकिन जो कोई भी होगा, हम सब उसमें होंगे। कौन किस तरफ होगा, वह लोकतंत्र में ज्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन शायद हम सब होंगे और उस सुझाव को करने की ज़रूरत है कि हम इकट्ठा करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। लेकिन कुछ साल पहले जैसे मैंने कहा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन्स ने रखा है, मैटर्नल मॉर्टैलिटी रेट कम करने के लिए और इनफैन्ट मॉर्टैलिटी रेट कम करने के लिए, पिछले एक-दो सालों से जो हमारे आँकड़े आ रहे हैं, वे इस तरफ बढ़ रहे हैं कि 2015 में यूनाइटेड नेशन्स ने एम.डी.जी.-4 और एम.डी.जी.-5, जिसकी आपने अध्यक्ष के रूप में अभी दो-तीन दिन पहले मीटिंग ली, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं और मैं सभी देशवासियों और पार्लियामेंटरियन्स को तथा जो इस देश में स्वास्थ्य से संबंधित काम करते हैं, तथा उन डॉक्टरों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने काम किया, उन योजनाओं को आगे चलाने में मदद की और हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं और 2015 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, नवजात शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा कदम भारत के लिए होगा।

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कुपोषण पर प्रश्न पूछने का मौका दिया।

महोदया, कुपोषण एक भयंकर समस्या है और कुपोषण को दूर करने के लिए हमें पौष्टिक भोजन की तलाश करनी होगी। हमारे देश में जो पौष्टिक भोजन होता है, हिमालय में रामदाना मिलता है और पेरू के अंदर जो किनवा होता है, ऐसे भोजन की उपलब्धता अगर हम भारत में करवा दें तो मैं समझता हूँ कि there will be a protein revolution.

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई योजना क्या भारत सरकार की है?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, malnutrition is very complex and multi-dimensional in nature that requires a multi-sectoral response. The important determinants are inadequate food, poor socio-economic status of women, female illiteracy, early age of retirement and early child bearing. We have taken two steps in this direction. One is the Scheme which is being run by the Ministry of Women and Child Development. This Scheme is called Integrated Child Development Services, and there is a National Nutrition Mission. The third multi-sectoral nutrition programme is through NRHM, Mid Day Meal Scheme, Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment and then the Indira Gandhi Scheme. Besides these, as the hon. Member was mentioning, there are multi-sectoral interventions which include the Targeted Public Distribution System, the National Horticulture Mission -- the hon. Member talked about some fruits, vitamins and some nutrients -- the National Food Security Mission, MGNREGA and Nirmal Bharat Abhiyan. All these Schemes have the potential to address one or the other aspect of nutrition.

श्री नीरज शेखर : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्ष 2004-05 में भारत सरकार ने सर्वेक्षण करवाया था। कुपोषण के ऊपर सरकार कितनी संजीदा है यह इस बात से पता चलता है कि उसके बाद से सरकार ने कोई सर्वेक्षण ही नहीं कराया है। प्राइवेट कम्पनियां सर्वेक्षण करवाती हैं। इन लोगों ने सर्वेक्षण करवाया तो नौ राज्यों में करवाया। कुपोषण सबसे ज्यादा भारत में है। अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा कुपोषण हमारे देश में है। पिछले 65 सालों में हमें यह पता नहीं है कि हमें अपने बच्चों को क्या खाना खिलाना है? हम राइट टू फूड का अधिकार बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह का खाना खिलाना चाहिए? कितना प्रोटीन और न्यूट्रीएंट्स बच्चों को देने चाहिए? इस बारे में हमारी कोई सोच नहीं है। बस उन्हें पेट भर खाना दे दो, लेकिन कुपोषण उसके बाद भी होता है। हमें आज तक यही पता नहीं चला है। जबकि बच्चों की हाइट और वेट दोनों पता होनी चाहिए। जहां कुपोषण के बारे में जानना होता है, हम वहां सिर्फ वेट लेते हैं, हाइट का पता ही नहीं चलता है। बच्चे स्टंटिड रह जाते हैं। कितना संजीदा है स्वास्थ्य विभाग या तीनों मंत्रालय इस बारे में आप स्वयं सोच सकती हैं। आदरणीय शाहनवाज जी ने बताया, हम लोग कई जगह गए हैं। एक जगह हम गए, हम लोगों को खुद नहीं पता था, एक डॉक्टर हमारे साथ

गए थे उन्होंने बच्चियों को देखा जो हाइट में छोटी थीं। उनके नाखुन देखे, सारी लड़कियां अनैमिक थीं। भारत सरकार अगर खाना दे रही है, राइट टू फूड दे रही है, लेकिन किस तरह का फूड हमें देना चाहिए, इस बारे में माननीय मंत्री जी क्या सोचते हैं, यही मैं जानना चाहता हूँ?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, इस बारे में दोनों विभागों में अलग-अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफीशिएंसी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफीशिएंसी है। इन दोनों के लिए अलग-अलग प्रोग्राम बनाए हैं। जहां तक मैक्रो डिफिशिएंसी है, वह प्रोटीन, इनर्जी वगैरह के लिए है। उसके लिए फुड जरूरी है। एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसी तरह से, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत होम राशन दिया जाता है। It is provided to the infants of age 6 months to 3 years, pregnant and lactating mothers. Cooked food is provided to children in the age group of 3 to 6 years. Sick children with acute malnutrition are treated in nutrition rehabilitation centres.

श्री नीरज शेखर : उन्हें वही चावल और वही गेहूं दिया जाता है। उस से नहीं होगा।..(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसके अलावा, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की बात की। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी तीन किस्म की हैं - आयरन डिफिशिएंसी; एनीमिया, विटामिन-ए डिफिशिएंसी; और आयोडीन डिफिशिएंसी। इसके लिए नेशनल आयरन प्लस स्कीम ऑलरेडी शुरू की गयी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की पहली स्कीम एन.आर.एच.एम. जब बनी थी, उसी दिन से जो गर्भवती महिलाएं हैं, आशा के द्वारा उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है। जो बच्चे को जन्म देती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनको भी आयरन और फॉलिक एसिड दी जाती है ताकि वे एनीमिक न हों और उनमें आयरन की डिफिशिएंसी दूर हो जाए।

अभी हमने पिछले साल जनवरी, 2013 में आयरन और फॉलिक एसिड के वीकली सप्लीमेंटेशन के लिए एक नेशनल प्रोग्राम बनाया। उन्होंने ठीक कहा कि हमारे देश में एनीमिक गर्भवती महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा है। जो एडोलेस्सेंट्स हैं, पांच-छः साल से लेकर तेरह-चौदह-पन्द्रह साल तक, उन लड़के और लड़कियों की संख्या भी बहुत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल जनवरी में यह कार्यक्रम चलाया है, जिसके एक साल और दो महीने पूरे हो गए। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया है जिसमें तकरीबन 13 करोड़ बच्चे और बच्चियों को आयरन और फॉलिक एसिड का वीकली सप्लीमेंटेशन मिलता है। यह नेशनल इनिशिएटिव है। इसी तरह से, पांच साल के आयुवर्ग के बच्चों में विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए उन्हें विटामिन ए सीरप दिया जाता है। Zinc tablets are being provided for prevention and

treatment of Diarrhoea among children above the age of 2 months and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही कई सालों से नेशनल आयोजीन डिफिसिएंसी डिऑर्डर कंट्रोल शुरू किया है।

DR. P. VENUGOPAL : The Tamil Nadu Government has started the scheme from 1999 onwards. ... (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Though Health is a State subject, so somebody has to do it. Every State should have done it themselves. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri B. Mahtab will ask his question.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, the issue is of Malnutrition and Under-Weight and the hon. Minister very rightly has mentioned that another Ministry looks into that. We are concerned here with the health of the children and the lactating mothers of this country. The country is a signatory to the MDGs set by the United Nations. I am thankful and we congratulate you that you have formed a Forum of Parliamentarians relating to MDG. But I am sorry to mention here that on that day no other Minister arrived to address the concerns of the concerned Minister other than the External Affairs Minister. It would have been better if the Health Minister would have been present that day. But here, I would like to draw the attention of the Minister to the present progress that has been made especially in Health Sector relating to the 8 issues. The parameters which have been fixed by MDG are to be achieved by 2015. Hardly, we have another 18 to 20 months time. But I am concerning my question to this Maternity Mortality Rate and the Child Mortality Rate which is far above the CMR and MMR of the sub-Saharan countries. Can we achieve that? Can we go above the sub-Saharan CMR and MMR? That is a slur on us and on this country. The steps that have been taken, I think, are not sufficient enough and we have to not only target the States but also target the Districts. Is that the way which the Government is thinking to go about?

SHRI GHULAM NABI AZAD: I would like to thank the hon. Member for asking a very pertinent question and this is very important. I would like to mention that the Ministry of Health has given the highest priority in so far as the Infant

Mortality Rate is concerned and to reduce the Infant Mortality Rate and Maternal Mortality Rate.

As a matter of fact, the maximum programmes which we have launched during the last four years are aimed at reducing the IMR and MMR. I would like to say that maybe for the first time for the last two years, we have now sanctioned about 486 50 bedded to 100 bedded each stand alone hospitals across the country at the district level for Mother and Child Health (MCH) so that these mothers and children do not get infected by the other diseases in the main hospitals. This is a great step which will help us in future. This is a continuous process. I am sure that next year some more hospitals will be there. We have started this at the sub-district hospitals and the district hospitals. I am sure the successive Governments will take it to the primary health centres. That is one of the most important things.

So, to reduce the infant mortality rate, we have now set up different small units, a separate 20 bedded stand alone ward in a medical college and the district hospitals, stand alone ward at the primary health centres and also at the facility centres where the delivery takes place. There is also a new born baby corner. So, we have taken care of the children from the time of the birth by creating a new born baby corner at the place of the site where the delivery takes place and the rehabilitation centres for the new born, sick born children at the sub-district hospitals and district hospitals. We have provided as many as 22,000 ambulances to the State Governments and almost half of these are meant to carry the pregnant women and the children from the house to the facility centre and back. It is totally free. During the stay in the hospital, the mothers are provided free medicines, free consumables, free diagnosis, free food and free to and fro facility. The new born children are being treated free up to one year. That is one of the schemes.

As I said in the beginning, we are very close to achieving MDG-IV and MDG-V which deals with reducing the IMR and MMR to the desired extent which the United Nations has fixed. I am sure, we will either be there or we will be close

to that position. That itself will be a great achievement for a size and population of India.

MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta. He has informed me that this is his last supplementary. Is it so?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Yes, Madam. ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप जल्दी प्रश्न पूछिए, समय कम है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आप गुरुदास दासगुप्त जी को प्रश्न पूछने दीजिए। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आप गुरुदास जी को प्रश्न पूछने दीजिए। वे कह रहे हैं उनका अंतिम पूरक प्रश्न हैं, उनको पूछ लेने दीजिए, समय खत्म हो जाएगा। आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, everybody has complimented the hon. Minister for the success of the health schemes. I also compliment him for that because there is no polio in the country.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Thank you.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : But, Madam, the question is this. Who are the people responsible for this? It is not the Minister. There are lakhs of *Anganwadi*, ICDS workers and ASHA workers who are making the scheme successful. I would like to ask him, in view of the success of the schemes what he is going to do to improve the service conditions of the ASHA *karmis* and *Anganwadi* workers without whom the implementation will not be there.

MADAM SPEAKER: Only one minute is left.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I know that that is a big question. I am very happy to state that only two months back, we have re-framed the whole thing and some more incentives have been given. To begin with, we are giving Rs. 1000 to the ASHA workers instead of nothing. Every scheme is incentive based. We have started with Rs.1000, and for each additional work there is incentive like Rs.100 and Rs.150. There are at least one dozen new schemes added and incentive is being given for each new scheme under the National Rural Health Mission.



12.00 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

Shri K. Suresh. - Not present.

Shri Oscar Fernandes. - Not present.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI E. AHAMED): On behalf of Shri Salman Khursheed, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Hajj Committee for the year 2012-2013.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Hajj Committee for the year 2012-2013.
- (iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Hajj Committee for the years 2005-2006 to 2011-2012, together with Audit Report thereon.
- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Hajj Committee for the years 2005-2006 to 2011-2012.
- (2) Seven statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10948/15/14)

THE MINISTER OF CULTURE (SHRIMATI CHANDRESH KUMARI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 10949/15/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10950/15/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): On behalf of Shri K.V. Thomas, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Co-operative Consumers' Federation of India Limited, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Co-operative Consumers' Federation of India Limited, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10951/15/14)

THE MINISTER OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): On behalf of Shri Srikant Jena, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10952/15/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): On behalf of Shri Jitendra Singh, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10953/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2012-2013 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 10954/15/14)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Biecco Lawrie Limited, Kolkata, for the year 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Biecco Lawrie Limited, Kolkata, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 10955/15/14)

(c) (i) Review by the Government of the working of the Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai, for the year 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai, for the year 2012-2013 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 10956/15/14)

(d) (i) Review by the Government of the working of the Central Cottage Industries Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Central Cottage Industries Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited

Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10957/15/14)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2012-2013.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 10958/15/14)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2012-2013.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 10959/15/14)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 10960/15/14)

- (9) A copy of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 781(E) in Gazette of India dated 18th December, 2013 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 10961/15/14)

- (10) A copy each of the following papers (in Hindi and English versions):—
- (i) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block -KG-DWN-98-3.
- (ii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block NEC-OSN-97-2.
- (iii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Cairn Energy India PTY. Limited, for the contract area identified as Block -KG-DWN-98/2.
- (iv) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries

Limited and Hardy Exploration and Production (India) Inc., for the contract area identified as Block GS-OSN-2000/1.

(v) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Gas Authority of India Limited and Joshi Technologies International Inc., for the contract area identified as Block CB-ONN-2000/1.

(vi) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block CB-ONN-2000/2.

(vii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and Hardy Exploration and Production (India) Inc., for the contract area identified as Block CY-DWN-2001/2.

(viii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and Hardy Exploration and Production (India) Inc., for the contract area identified as Block CY-PR-DWN-2001/3.

(ix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Jubilant Enpro Limited and Geoglobal Resources (India) Inc., for the contract area identified as Block-KGOSN-2001/3.

(x) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), for the contract area identified as Block-AA-ONN-2001/1.

(xi) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil and Natural Gas

Corporation Limited (ONGC) and Oil India Limited (Oil), for the contract area identified as Block-AA-ONN-2001/3.

(xii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil and Natural Gas Corporation Limited and Cairn Energy Gujarat Block 1, for the contract area identified as Block CB-ONN-2002/1.

(xiii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Jubilant Enpro Private Limited and Prize Petroleum Company Limited and Geoglobal Resources (Barbados) Inc., for the contract area identified as Block CB-ONN-2002/3.

(xiv) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Enpro Finance Private Limited and Gail (India) Limited, for the contract area identified as Block AA-ONN-2002/1.

(xv) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil and Natural Gas Corporation Limited, for the contract area identified as Block NECDWN-2002/2.

(xvi) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil India Limited and Oil and Natural Gas Corporation Limited, for the contract area identified as Block AA-ONN-2002/3.

(xvii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Gail (India) Limited and Jubilant Capital Private Limited and Geoglobal Resources (Barbados) Inc., for the contract area identified as Block CB-ONN-2003/2.

(xviii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and Hardy Exploration and Production (India) Inc., for the contract area identified as Block KS-DWN-2003/1.

(xix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil India Limited and Oil and Natural Gas Corporation Limited, for the contract area identified as Block CB-OSN-2003/1.

(xx) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Jubilant Oil and Gas Private Limited and Jubilant Securities Private Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Gail (India) Limited, for the contract area identified as Block AA-ONN-2003/1.

(xxi) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Cairn Energy India PTY Limited, Cairn Exploration (NO.6) Limited and Oil and Natural Gas Corporation Limited, for the contract area identified as Block VN-ONN-2003/1.

(xxii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and ENI India Limited and Oil and Natural Gas Corporation Limited and Gail (India) Limited, for the contract area identified as Block AN-DWN-2003/2.

(xxiii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil India Limited and Suntera Resources Limited, for the contract area identified as Block AA-ONN-2004/2.

(xxiv) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Focus Energy Limited,

and Newbury Holdings Two Limited, for the contract area identified as Block CB-OSN-2004/1.

(xxv) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Gail (India) Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited and Bharat Petroleum Corporation Limited and Hallworthy Shipping Limited SA and Silverwave Energy PTE. Limited and Nitin Fire Protection Inds. Limited, for the contract area identified as Block RJ-ONN-2004/1.

(xxvi) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Oil and Natural Gas Corporation Limited and Gail (India) Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited, for the contract area identified as Block CY-DWN-2004/1.

(xxvii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Indian Oil Corporation Limited for the contract area identified as Block CB-ONN-2005/2.

(xxviii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Cairn Energy India PTY Limited and Cairn India Limited, for the contract area identified as Block MB-DWN-2009/1.

(xxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Jubilant Oil and Gas PVT. Limited and Jubilant Energy (Kharsang) PVT. Limited and Jubilant Offshore Drilling PVT. Limited, for the contract area identified as Block AA-ONN-2009/1.

(xxx) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and BG Exploration and Production India Limited and BHP Billiton Petroleum (International

Exploration) PTY Limited, for the contract area identified as Block MB-DWN-2010/1.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Deep Energy LLC, and KGN Industries Limited, for the contract area identified as Block VN-ONN-2010/1.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block -KG-OSN-97-2.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block MB-OSN-97-3.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block MN-DWN-98-2.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block GK-OSN-97/1.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block MB-OSN-97-2.

(xxxix) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries

Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block KG-OSN-97-3.

(xxxviii) Production Sharing Contract (PSC) between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Reliance Industries Limited and NIKO Resources Limited, for the contract area identified as Block KG-OSN-97-4.

(Placed in Library, See No. LT 10962/15/14)

(11) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the British India Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 10963/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SANTOSH CHOWDHARY): I beg to lay on the Table:—

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2012-2013.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10964/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARIQ ANWAR): On behalf of Dr. Charan Das Mahant, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2007-2008.
 - (ii) Annual Report of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10965/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARIQ ANWAR): I beg to lay on the Table a copy of the National Agroforestry Policy, 2014 (Hindi and English versions).

(Placed in Library, See No. LT 10966/15/14)

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): On behalf of Shri Sarvey Sathyannarayana, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Authority of India Act, 1956:-
 - (i) S.O. 3516(E) published in Gazette of India dated 27th November, 2013, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 67 (Nagapattinam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore-

Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border Section) in the State of Tamil Nadu.

(ii) S.O. 3517(E) published in Gazette of India dated 27th November, 2013, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 77 (Muzaffarpur-Sonbarsa Section) in the State of Bihar.

(iii) S.O. 3518(E) published in Gazette of India dated 27th November, 2013, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 210 (Trichy-Karaikudi Section) in the State of Tamil Nadu.

(iv) S.O. 3522(E) published in Gazette of India dated 28th November, 2013, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 69 (Obedullaganj-Betul-Multai-MP/Maharashtra Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(v) S.O. 82(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2014, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 31 (Khagaria to Bakhtiyarpur to Purnea Section) in the State of Bihar.

(vi) S.O. 83(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2014, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway Nos. 40 & 44 (Shillong Bypass Section) in the State of Meghalaya.

(vii) S.O. 122(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2014, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 24 (Hapur-Moradabad-Bareilly-Sitapur Section, including Hapur and Moradabad bypasses) in the State of Uttar Pradesh.

(Placed in Library, See No. LT 10967/15/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 9 of the National Highways Act, 1956:-

(i) The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 778(E) in Gazette of India dated 16th December, 2013.

(ii) The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 26(E) in Gazette of India dated 16th January, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 10968/15/14)

(3) A copy of Notification No. S.O. 2448(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th August, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71A (Rohtak-Panipat Section) in the State of Haryana under Section 10 of the National Highways Act, 1956.

(Placed in Library, See No. LT 10969/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. E.M. S. NATCHIAPPAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indication, Mumbai, for the year 2012-2013.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indication, Mumbai, for the year 2012-2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10970/15/14)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 10971/15/14)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 10972/15/14)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Basic Chemicals Pharmaceuticals Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Basic Chemicals Pharmaceuticals Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 10973/15/14)

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), Kolkata, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), Kolkata, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 10974/15/14)

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2012-2013.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 10975/15/14)

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 10976/15/14)

(11) A copy of the Explosives (Amendment) Rules, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 772(E) in Gazette of India dated 11th December, 2013 under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884.

(Placed in Library, See No. LT 10977/15/14)

(12) A copy of the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 8 in Gazette of India dated 25th January, 2014 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923.

(Placed in Library, See No. LT 10978/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JESUDASU SEELAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L.A.D-N.R.O./G.N./2013-14/38/49 in Gazette of India dated 9th January, 2014.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L.A.D-N.R.O./G.N./2013-14/39/51 in Gazette of India dated 9th January, 2014.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L.A.D-N.R.O./G.N./2013-14/37/50 in Gazette of India dated 9th January, 2014.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Procedure and Search and Seizure) Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L.A.D-N.R.O./G.N./2013-14/40/52 in Gazette of India dated 10th January, 2014.

(v) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L.A.D-N.R.O./G.N./2013-14/36/12 in Gazette of India dated 7th January, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 10979/15/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India)(Fifteenth Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R.818(E) in Gazette of India dated 31st December, 2013.

(ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India)(Seventeenth Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R.805(E) in Gazette of India dated 30th December, 2013.

(iii) The Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business)(Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R.767(E) in Gazette of India dated 6th December, 2013.

(iv) G.S.R.741(E) published in Gazette of India dated 19th November, 2013, containing corrigendum to the Notification No.FEMA.287/2013-RB dated 17th September, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 10980/15/14)

- (3) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-
- (i) The Indian Overseas Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. PAD/PEN/001/2013 in weekly Gazette of India dated 27th September, 2013.
 - (ii) The Punjab & Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. PSB/PEN/AMEND/1/2013 in Gazette of India dated 10th December, 2013.
 - (iii) The Dena Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. IR/AMEND/01/2013 in Gazette of India dated 16th December, 2013.
 - (iv) The Dena Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector after Retirement) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. IR/AMEND/02/2013 in Gazette of India dated 14th November, 2013.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 10981/15/14)

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 :-
- (i) S.O.3433(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2013 regarding dissolution of Pragathi Gramin Bank and Krishna Grameena Bank by reason of amalgamation.
 - (ii) S.O.3434(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2013 regarding dissolution of Chhattisgarh Gramin Bank, Surguja Kshetriya

Gramin Bank and Durg Rajnandgaon Gramin Bank by reason of amalgamation.

(iii) S.O.3536(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2013 regarding amalgamation of Gurgaon Gramin Bank and Haryana Gramin Bank as Sarva Haryana Gramin Bank.

(Placed in Library, See No. LT 10982/15/14)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 :-

(i) The Utkal Grameen Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2012 published in Notification No. PER/1611 in Gazette of India dated 28th January, 2013.

(ii) The Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 27 in weekly Gazette of India dated 12th July, 2013.

(iii) The Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 2 in weekly Gazette of India dated 18th January, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 10983/15/14)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 :-

(i) The Insurance Advisory Committee (Meetings)(Second Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./24/82/2013 in Gazette of India dated 29th October, 2013.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./23/81/2013 in Gazette of India dated 29th October, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 10984/15/14)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.762(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2013, together with an explanatory memorandum seeking to exempt specified goods imported under the Revised National Tuberculosis Control Programme funded by the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria from the whole of the duty of customs and additional duty of customs leviable thereon.

(ii) G.S.R.779(E) published in Gazette of India dated 16th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 10/2008-Cus., dated 15th January, 2008.

(iii) G.S.R.787(E) published in Gazette of India dated 20th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(iv) G.S.R.791(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(v) G.S.R.814(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 152/2009-Cus., dated 31st December, 2009.

(vi) G.S.R.815(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2011-Cus., dated 29th July, 2011.

(vii) G.S.R.816(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 53/2011-Cus., dated 1st July, 2011.

(viii) G.S.R.817(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 46/2011-Cus., dated 1st June, 2011.

(ix) G.S.R.76(E) published in Gazette of India dated 3rd February, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(x) G.S.R.791(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 93/2009-Cus., dated 11th September, 2009.

(xi) G.S.R.28(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2014, together with an explanatory memorandum exempting the customs duty on material imported into India against an Advance Authorization meant for export of an item otherwise prohibited for export subject to specified conditions.

(xii) S.O.3442(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xiii) S.O.3453(E) published in Gazette of India dated 21st November, 2013, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xiv) S.O.3537(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

- (xv) S.O.3589(E) published in Gazette of India dated 5th December, 2013, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xvi) S.O.3667(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xvii) S.O.3731(E) published in Gazette of India dated 19th December, 2013, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xviii) S.O.3919(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xix) S.O.17(E) published in Gazette of India dated 2nd January, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xx) S.O.109(E) published in Gazette of India dated 15th January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xxi) S.O.118(E) published in Gazette of India dated 16th January, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xxii) The Customs Baggage Declaration (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R. 803(E) in Gazette of India dated 30th December, 2013, together with an explanatory memorandum.

(xxiii) The Customs Baggage Declaration Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R. 584(E) in Gazette of India dated 30th August, 2013, together with an explanatory memorandum, and corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.615(E) dated 10th September, 2013.

(xxiv) S.O.35(E) published in Gazette of India dated 20th January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(xxv) S.O.64(E) published in Gazette of India dated 27th January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 10985/15/14)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R.15(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.

(ii) G.S.R.792(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 6/2013-Service Tax dated 18th April, 2013.

(iii) G.S.R.74(E) published in Gazette of India dated 3rd February, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to provide exemption from service tax under Section 11C of the Central Excise Act, 1944, on services provided by an authorised person or sub-broker to the member of a commodity exchange for the period between 10.9.2004 to 30.6.2012, in view of the generally prevalent practice of non levy of service tax on such services during the said period.

(iv) G.S.R.71(E) published in Gazette of India dated 30th January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 25/2012-Service Tax, dated 20th June, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 10986/15/14)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.56(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2014 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/2008-C.E. dated 1st July, 2008.

(ii) G.S.R.57(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2014 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 16/2010-C.E. dated 27th February, 2010.

(iii) The Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) First Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.58(E) in Gazette of India dated 24th January, 2014, together with an explanatory memorandum.

(iv) The Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) First Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.59(E) in Gazette of India dated 24th January, 2014, together with an explanatory memorandum.

(v) G.S.R.75(E) published in Gazette of India dated 3rd February, 2014 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012, together with an explanatory memorandum.

(vi) The CENVAT Credit (First Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.6(E) in Gazette of India dated 8th January, 2014, together with an explanatory memorandum.

(vii) The Central Excise (Third Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.807(E) in Gazette of India dated 30th December, 2013, together with an explanatory memorandum.

(viii) The CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R.808(E) in Gazette of India dated 30th December, 2013, together with an explanatory memorandum.

(ix) G.S.R.793(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2012-C.E. dated 9th July, 2012, together with an explanatory memorandum.

(x) The CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.36(E) in Gazette of India dated 20th January, 2014, together with an explanatory memorandum.

(xi) G.S.R.763(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2013 together with an explanatory memorandum seeking to exempt specified goods procured under the Revised National Tuberculosis control Programme funded by the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria from the whole of excise duty leviable thereon.

(xii) G.S.R.795(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(xiii) G.S.R.813(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013 together with an explanatory memorandum seeking to fix tariff value under Section 3(2) of the Central Excise Act, 1944 in respect of goods falling under tariff heading 3304 of the Central Excise Tariff and in respect of which the provisions of Section 4A of the Central Excise Act, 1944 do not apply.

(Placed in Library, See No. LT 10987/15/14)

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R.48(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty, imposed on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber, origination in, or exported from Korea RP for a further period of one year i.e. up to and inclusive of the 1st day of January, 2015.

(ii) G.S.R.49(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti dumping duty on imports of specified categories of Float Glass from China PR and Indonesia for one more year, i.e. up to and inclusive of the 5th day of January, 2015.

(iii) G.S.R.50(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of 'Hexamine', originating in, or exported from Saudi Arabia and Russia, for a further period of five years pursuant to the final findings of Sunset review investigation conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iv) G.S.R.51(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of '4, 4 Diamino Stibene 2, 2 Disulphonic Acid, origination in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(v) G.S.R.764(E) published in Gazette of India dated 3rd December, 2013, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 119/2010-Cus., dated 19th November, 2010.

(vi) G.S.R.811(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-

dumping duty on imports of 'phosphoric acid, technical grade or food grade including industrial grade', origination in, or exported from the People's Republic of China for a further period of five years pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(vii) G.S.R.812(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, together with an explanatory memorandum modifying the rate of anti-dumping duty on Recordable Digital Versatile Disc of all kinds, originating in, or exported from Vietnam, pursuant to the final findings of mid-term review investigation conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(viii) G.S.R.3(E) published in Gazette of India dated 3rd January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 121/2009-Cus., dated 30th October, 2009.

(ix) G.S.R.4(E) published in Gazette of India dated 3rd January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Compact Fluorescent Lamp, originating in, or exported from China PR for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 20th November, 2014, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(x) G.S.R.23(E) published in Gazette of India dated 16th January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Caustic Soda, originating in, or exported from China PR for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 25th December, 2014, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(xi) G.S.R.24(E) published in Gazette of India dated 16th January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Caustic Soda, originating in, or exported from Korea RP for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 25th December, 2014, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(xii) G.S.R.25(E) published in Gazette of India dated 16th January, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of Nonyl Phenol, originating in, or exported from Chinese Taipei, for a further period of five years pursuant to the final findings of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(Placed in Library, See No. LT 10988/15/14)

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (19th Amendment) Rules, 2013 published in Notification No. S.O.3794(E) in Gazette of India dated 23rd December, 2013, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (1st Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O.108(E) in Gazette of India dated 15th January, 2014, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 10989/15/14)

(13) A copy of Notification No. G.S.R.43(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 21st January, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 98/2013-Customs (N.T.) dated 14th September, 2013 under section 159 of the Customs Act, 1962 and sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994.

(Placed in Library, See No. LT 10990/15/14)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th February, 2014 agreed without any amendment to the Andhra Pradesh Reorganisation Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th February, 2014.”

12.02 hrs.

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS
AND RESOLUTIONS**

Minutes

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): महोदया, मैं वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की 37वीं और 38वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.03 hrs.

**COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC
DISTRIBUTION
33rd Report**

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): I beg to present the 33rd Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2013-14) on the subject National Test House (NTH)- Facilities for Testing, Evaluation and Calibration of Engineering Equipment pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

12.04 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT 
45th Report**

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): I beg to present the 45th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2013-14) on the subject “Review of the functioning of National Institutes working in the field of disability” of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Disability Affairs).

12.05 hrs.

**COMMITTEE ON VIOLATION OF PROTOCOL NORMS AND
COMTEMPOUS BEHAVIOUR OF GOVERNMENT OFFICERS
WITH MEMBERS OF LOK SABHA**

2nd Report

SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI): I beg to lay on the Table the Second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers with Members of Lok Sabha.



12.06 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Revision of MGNREGA wage rates for the period 2014-15.*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी दरों को कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) से जोड़ते हुए इन्हें संशोधित करने की अधिसूचना 14.01.2011 को जारी कर दी थी। मार्च, 2011 में अंतरमंत्रालयी परामर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि सीपीआईएएल के हिसाब से मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। तत्पश्चात् जुलाई, 2011 में यह निर्णय लिया गया कि यह संशोधन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।

01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए सीपीआईएएल के हिसाब से मनरेगा मजदूरी दरों को संशोधित करने अधिसूचना जारी कर दी गई है।

12.06 ½ hrs.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 10991/15/14.

12.07 hrs.**(ii) Status of implementation of recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation. ***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay this Statement on the status of implementation of recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Rural Development (2012- 2013) on Demands for Grants (2013-2014) of Ministry of Drinking Water & Sanitation in pursuance of the Direction 73A of the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha.

The Standing Committee on Rural Development (Ministry of Drinking Water & Sanitation) (15th Lok Sabha) examined the Demands for Grants of the Ministry of Drinking Water & Sanitation for the financial year 2013-14 and laid its 40th report in the Lok Sabha on 30th April, 2013. The report contained 19 recommendations.

The Ministry considered the report and submitted the Action Taken Replies on the comments/observations of the Committee contained in the 40th Report to the Standing Committee on Rural Development (Ministry of Drinking Water & Sanitation) on 02.08.2013.

The present status of implementation of the 19 recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my statement, which is laid on the Table of the House. To avoid wasting the valuable time of the House, i would request that the contents of the Annexure may be considered as read.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10992/15/14.

12.07 ¼ hrs.**(iii) Status of implementation of recommendations contained in the 71st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI SACHIN PILOT): I beg to lay this statement on the status of implementation of recommendations contained in the Seventy-first Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2013-14) of the Ministry of Corporate Affairs in pursuance of direction 73A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

In all, six recommendations were made by the Committee in the above report where action was required to be taken on the part of the Government. The Government has accepted 'in principle' all the recommendations of the Committee. The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is given in the Annexure to this Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that this may be considered as read.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10993/15/14.

12.07 ½ hrs.**(iv) Status of implementation of recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment. ***

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : मैं यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन भाग- II. दिनांक 1 सितम्बर 2004 में प्रकाशित लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की छत्तीसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूँ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की चौथी रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की अनुदान मांगों के संबंध में है। यह रिपोर्ट लोक सभा में 2 मई, 2013 को तथा राज्य सभा में उसी दिन प्रस्तुत की गई थी। छत्तीसवीं रिपोर्ट में 12 सिफारिशें दी गई थीं जिनके संबंध में मंत्रालय के सामान्य कार्य निष्पादन, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास तथा नशीली दवा दुरुपयोग एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाओं से है। छत्तीसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ समिति को 2 अगस्त, 2013 को भेजी गई थीं।

समिति द्वारा अपनी छत्तीसवीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति सभापटल पर प्रस्तुत मेरे वक्तव्य के साथ दिए गए अनुबंध में दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया समझा जाए।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10994/15/14.

12.07 ¾ hrs.

(v) Status of implementation of recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on 'Long Term Purchase Policy and strategic storage of Crude Oil', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay this Statement on the status of implementation of recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (15th Lok Sabha) on "Long Term Purchase Policy and Strategic Storage of Crude Oil" in terms of Direction 73A of the Direction by the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The Eighteenth Report of the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas (15th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 08.05.2013. It is related to the examination of the subject "Long Term Purchase Policy and Strategic Storage of Crude Oil". Action Taken Notes on the recommendations/observations contained in the report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas on 06.09.2013.

There are 15 recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to minimizing dependence over crude oil, need for a joint venture company, cooperation among oil importing countries, diversification of sources of oil supplying countries, review of guidelines for import of crude oil, revision of list of MNCs in the guidelines, purchase of distress cargoes and crude through long terms contracts, crude oil import on CFR/FOB basis, alternative plan for transportation of crude oil, infrastructural constraints, strategic caverns & funding thereof, funds for crude oil filling in strategic caverns & its safety concerns.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10995/15/14.

Present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House by reading out all the contents of this Annexure. This may please be considered as read.

12.08 hrs

PAPER LAID ON THE TABLE-Contd.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10947/15/14)

12.09 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.

Hon. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to construct pucca roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in reserve forest areas in Bharuch and Narmada districts of Gujarat

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरुच): मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच जिले एवं नर्मदा जिले में कई रिजर्व फोरेस्ट एरिया है जहां पर आदिवासी आबादी बहुलता में निवास करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें इन रिजर्व एरिया में बन रही है वे कच्ची सड़कें ही बन रही है जिसके कारण बरसात में यह सड़कें खराब हो जाती है एवं इन सड़कों की दशा दयनीय हो जाती है जिस पर चला भी नहीं जाता और रिजर्व फोरेस्ट एरिया में रहने वाले आदिवासी लोगों को पक्की सड़कों से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी सड़कों को बनाने का क्या फायदा जो एक साल में ही खराब हो जाए।

सरकार से अनुरोध है कि रिजर्व फोरेस्ट एरिया में आदिवासी लोगों को स्थाई सड़क सुविधा दिए जाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत कच्ची सड़कों के स्थान पर पक्की सड़कें ही बनाई जाए

|

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to augment railway services and facilities in Himachal Pradesh

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं माननीय रेलमंत्री महोदय का ध्यान हिमाचल प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार, स्टेशनों में सुधार एवं रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर दिलाते हुए उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऊना रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सेवा डबल शिफ्ट में उपलब्ध कराई जाए, हिमाचल एक्सप्रेस रेल का ऊना स्टेशन पर ठहराव बढ़ाया जाए, हिमाचल एक्सप्रेस रेल में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण एक स्लीपर कोच और बढ़ाया जाए, ऊना रेलवे स्टेशन पर कैंटीन की सेवा उपलब्ध कराई जाए, अम्ब में ट्रेनों की धुलाई के लिए वॉशिंग लाइन बनाई जाए, अम्ब तक विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, निर्माणाधीन रेल लाइन के तलवाड़ा तक के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, अम्ब-अन्दौरा रेलवे स्टेशन की लम्बाई बढ़ाई जाए, अम्ब-अन्दौरा रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाए, बसाल में, ऊना व घंडावल रेलवे स्टेशनों के मध्य डेरा बाबा रुद्रानन्द के नाम से रेलवे स्टेशन की स्थापना की जाए, होशियारपुर (पंजाब) से अम्ब-अन्दौरा रेलवे स्टेशन तक वाया गगरेट लाइन को ब्रॉडगेज रेल लाइन में बदला जाए, राय मैहतपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की उचित व्यवस्था की जाए, बड़ी औद्योगिक क्षेत्र को कालका रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए और नंगल से चलने वाली सभी ट्रेनों को ऊना रेलवे स्टेशन से प्रारम्भ किया जाए ।

(iii) Need to sanction adequate funds for Jolarpet-Tirupathur-Kandili-Barugur-Orappam-Krishnagiri-Sulagiri-Hosur railway line project in Tamil Nadu

SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): The people of my Krishnagiri District are deprived of rail connectivity with the mainstream rail network. The rail link between Jolarpet and Hosur remains a distant dream. Keeping this in mind, since 2004, I have been demanding for this new railway line and also raised the matter time and again in Lok Sabha and other fora. Considering the importance, it was decided to conduct a resurvey for this new railway line and I was assured that this project would be taken up immediately. The estimated cost of Jolarpet — Tirupathur — Kandili — Barugur — Orappam — Krishnagiri — Sulagiri- Hosur railway line during February 2010 was Rs. 687.92 crore.

The proposed railway line between Jolarpet and Hosur will pave the way for further improvement of industrial growth in Hosur and its surrounding areas. This line will connect both Tamil Nadu and Karnataka States. Presently, majority of the products meant for exports are mainly airlifted or sent through road only. Absence of a rail link in this route has been an impediment to the district's industrial growth.

I shall, therefore, request the Hon'ble Railway Minister to kindly sanction adequate funds for Jolarpet — Tirupathur — Kandili — Barugur — Orappam — Krishnagiri — Sulagiri - Hosur New Rail Link and expedite the project without any further delay.

(iv) Need to cancel the proposed coal-bed methane gas exploration in Mannargudi area of Cauvery delta region in Tamil Nadu keeping in view its serious ill-effects on the ecology of the region

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas towards the ill-effects of proposed coal-bed methane gas exploration in Mannargudi area of Cauvery delta region in Tamil Nadu which would threaten the environment, water resources and food security.

The Cauvery delta is a food-producing area and there is vast difference in extracting coal bed methane in Mannargudi and other places. Mannargudi is a lignite zone and a fertile land. The Cauvery delta is already vulnerable and production of coal bed methane would damage it further environmentally, economically and socially. Due to this methane exploration, the land and water in the region would be damaged. It would also affect the food production and livelihood of farmers and farm labourers too. The farmers in this area have recently held mass demonstrations against the proposed methane gas exploration and lodged their protests. This is one of the most important issues of farmers and needs immediate attention of the Union Government.

I urge upon the Union Government to stop this proposed coal-bed methane gas exploration in Mannargudi area of Cauvery delta region in Tamil Nadu immediately and save the lives of poor farmers from such methane gas exploration.

(v) Need to introduce a direct train service between Delhi and Aurangabad, Maharashtra

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र का संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिला एक पर्यटन स्थल है जहां पर विश्व प्रसिद्ध अजन्ता एवं एलोरा की गुफाएं हैं और कई ऐतिहासिक स्थल है जहां पर विश्व एवम् देश के कोने-कोने से घरेलू पर्यटक इन गुफाओं एवं ऐतिहासिक इमारतों को देखने आते हैं परंतु इन पर्यटकों को औरंगाबाद (AWB) जिले में आने-जाने हेतु दिल्ली से कोई सीधी रेल सेवा नहीं है जिसके कारण कई पर्यटक चाहते हुए भी इन स्थलों को देखने के लिए नहीं जा पाते हैं । इसके लिए मैं सरकार से पत्रों के माध्यम से अनुरोध कर चुका हूं परंतु अभी तक दिल्ली-औरंगाबाद (AWB)-दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा नहीं चलाई है और न ही विचार किया गया है ।

सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-औरंगाबाद (AWB)-दिल्ली के बीच रेल सेवा शुरू की जाये एवं एक नई राजधानी रेल सेवा रोजाना चलाने की कृपा करें ।

12.09 ½ hrs.**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BUDGET-2014-15**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JESUDASU SEELAM): Sir, on behalf of Shri Namo Narain Meena, I beg to present a statement of estimated receipts and expenditure of the National Capital Territory of Delhi for the year 2014-15.

12.10 hrs.**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI –2013-14**

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, on behalf of Shri Namo Narain Meena, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing the Supplementary Demands for Grants in respect of the National Capital Territory of Delhi for the year 2013-14.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, Budget in respect of the National Capital Territory of Delhi has just been presented. Hon. Members are requested to obtain their copy of the Budget set from the Publications Counter.

श्री उदय सिंह (पूर्णिमा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अति संवेदनशील विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह मांग कोई नई नहीं है। वर्ष 2000 में जब बिहार और झारखंड बनाया गया था, तब से यह मांग चल रही है। लेकिन अफसोस है, हमने देखा कि कल राज्य सभा ने आंध्र प्रदेश के विभाजन होने का बिल पारित किया। पिछले छः महीने से देश में जो दृश्य था, उसे सब लोग देख रहे थे। लेकिन क्योंकि बिहार और झारखंड के लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ अपने राज्य को विभाजित कर लिया और दोनों तरफ खुशियां हुईं, इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि बिहार के साथ इस तरह अनदेखी की जाए। दस करोड़ लोगों का यह राज्य पिछले दस वर्षों से राजनीतिक नृश-कुशती का एक तरह से विकटिम बन रहा है। कांग्रेस वाले कभी जदयू के साथ कभी और लोगों के साथ मिलकर हमें लॉली पॉप दिखाते हैं। कभी रघुराम राजन कमिशन बिठाते हैं कभी और कोई कमिशन बिठाते हैं। लेकिन हमारा जो हक, अधिकार है, उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां नहीं हो रही हैं। बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है और लाखों-लाख लोग घर से दूर हो जाते हैं, हजारों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। बिहार के साथ जो यह अनदेखी की जा रही है, यह कब खत्म होगी। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि यह सरकार जाते-जाते घोषणा करके जाए कि बिहार के साथ इतने वर्षों से जो अनदेखी हो रही है, उसे खत्म करते हुए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देगी, एक विशेष पैकेज देगी।

कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वहां का सत्तारूढ़ दल जनता दल (यू) और यहां की कांग्रेस पार्टी कभी साथ आने की बात करती है कभी अलग होने की बात करती है। इस उधेड़बुन में बिहार के दस करोड़ लोगों को रखा जा रहा है। यह उचित नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि यह जाते-जाते बिहार के लिए विशेष राज्य और विशेष पैकेज की घोषणा करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आजाद और श्री सैयद शाहनवाज हुसैन अपने को श्री उदय सिंह के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, उदय सिंह जी ने जो मामला उठाया, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब देश में न्याय की दृष्टि कमजोर होती है तब देश टूटता है, देश में वातावरण आकारण ही खराब होता है। रघुराम राजन कमेटी बनी और वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि विचार चल रहा है। हम लोगों ने तेलंगाना के मामले में कभी एतराज नहीं किया। आंध्र के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन हिमालय का सारा पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के सिर से गुजरता है। आप झारखंड की हालत जानते हैं, इतना सम्पन्न सूबा है और किस तरह उसकी बर्बादी है। बंगाल, ओडिशा, पूर्वांचल, इन सारे सूबों का

आजादी के बाद से ही पिछड़ापन घोषित है। इंटरिम बजट में पिछड़े इलाकों के लिए जो थोड़ा-बहुत पैसा दिया जाता था, उसका प्रावधान भी नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी सूबे को बंटवारे में विशेष सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन बिहार की कमर टूट गई और उसके बाद जो झारखंड बना, उसका भी बुरा हाल है। आप और जगह भी लोगों को सुविधा दीजिए, लेकिन जो सूबे आजादी के बाद साठ सालों से आपकी तरफ ललक से देख रहे हैं कि कभी न्याय होगा। लेकिन न्याय होने की किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ आप पिछड़े राज्यों के लिए रघुराम राजन कमेटी बनाते हैं। उसमें आज भी विचार कर रहे हैं और आप उसमें इधर या उधर करते रहते हैं। क्यों भाई, क्या बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ? अगर यह हुआ है तो वे किस हालत में हैं? एक मेगावाट बिजली भी बिहार के पास नहीं बची। हमारे सदस्यों ने बताया कि शिक्षा, इंडस्ट्री इत्यादि हर तरह से वह पिछड़ा राज्य है। रघुराम राजन ने साफ-साफ कहा है कि जो नम्बर एक पर पिछड़ा राज्य है, वह बिहार है। आपने उससे अपनी पूरी दृष्टि हटाई है। यह ठीक नहीं है और बड़ा ऋण होगा। मैं देश की एकता के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, लेकिन इन इलाकों की जनता इस बात पर नहीं बैठेगी। आपने बड़ी उथल-पुथल करने के लिए यह पहल की है। मैं विनती करना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा न करे और देश की एकता के लिए इन पिछड़े राज्यों की तरफ ध्यान दे। ... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, जब इन लोगों की सरकार थी, तब बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब बोलिये।

... (व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): आप बैठिये, मुझे बोलने के लिए कहा गया है। ... (व्यवधान) मैं अपनी बात कहूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, कल इसी सदन में वित्त मंत्री महोदय का एक वक्तव्य हुआ था। ... (व्यवधान)
वह वक्तव्य बिल्कुल भ्रामक था। ... (व्यवधान) उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया, क्योंकि ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गयी, इसलिए आप बैठ जाइये। सिन्हा जी खड़े हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तीनों एक साथ कैसे खड़े हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : आप जाकर लालू जी से पूछिये कि क्यों नहीं हुआ? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। सिन्हा जी, आप उधर न देखकर चेयर की तरफ देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : आप जाकर लालू जी से पूछिये। वे जानते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यशवंत सिन्हा जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यशवंत सिन्हा जी के अलावा किसी और सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी शरद जी ने कहा ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उदय सिंह जी, कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी शरद जी ने कहा कि किस-किस राज्य को इस देश में विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए ...(व्यवधान) उस पर रघुराम राजन कमेटी बनी। ...(व्यवधान)

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : उस कमेटी ने एक सिफारिश की। ...(व्यवधान) रघुराम राजन की सिफारिशों को, जिसमें रघुराम राजन कमेटी ने क्या कहा? ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : ये छः राज्य हैं, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : यह उस कमेटी ने कहा। ...(व्यवधान) एक्सपर्ट कमेटी बनी और उस कमेटी की सिफारिश आ गयी। उसमें राज्य आईडेंटिफाई हो गये कि किन-किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब उस कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार में घुमाया जा रहा है और घुमाने का कोई अंत नहीं है। हम सब इस बात के पक्ष में हैं कि सीमांध को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) लेकिन जिस आसानी के साथ सीमांध को कल दूसरे सदन में प्रधान मंत्री जी के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गयी कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो आप बताइये कि इस बात को तय करने के लिए क्या बचा कि इन छः राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? ...(व्यवधान) यह क्या है? क्या सिर्फ राजनीति पर आधारित भारत सरकार के फैसले होंगे। ...(व्यवधान) इसलिए मैं मांग करता हूं ...(व्यवधान) कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री इस सदन में अभी आएँ और आकर घोषणा करें कि उन छः राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ...(व्यवधान) यह बात जो कही जा रही है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में यह मामला जाएगा, ...(व्यवधान) यह बिल्कुल गलत है। ...(व्यवधान) यह प्रोसिज़र नहीं है। भारत सरकार चाहे, तो तत्काल घोषणा कर सकती है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं ...(व्यवधान) कि प्रधानमंत्री आएँ और सदन में इसकी घोषणा करें। ...(व्यवधान) इसके बाद ही दूसरा काम लिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को श्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा उठाये गये मामले से संबद्ध करता हूँ। ... (व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Time and again I have drawn the attention of this august House for the past five years about the sad plight of the Sri Lankan Tamils. As you know, in Sri Lanka, from September, 2008 to May 2009, ninety thousand Tamil women have lost their husbands, their *mangalsutras*. More than one and a half lakh Tamils are not traceable; two lakh Tamil people have fled out of fear because of the war. As per UNHRC Report, more than 40,000 people had been killed in the last stages of the war... (*Interruptions*)

12.21 hrs

At this stage, Shri Uday singh came and stood on the floor near the Table.

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ श्री बालू जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*(Interruptions) ... **

12.22 hrs

At this stage, Shri Uday Singh went back to his seat.

SHRI T.R. BAALU : Hon. Deputy-Speaker, Sir, we have also submitted a petition to the hon. Prime Minister of India, half an hour back, today, as per the directions of our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi who is also the President of TESO. As per the Resolution of the TESO meeting held last week, we have prevailed on the Government of India through the hon. Prime Minister of India to go before the UNHRC and demand to have a credible, independent international investigation as to the human rights violation and war crimes committed by Sri Lankan administration during the last stages of war against the Sri Lankan Tamils... (*Interruptions*)

The Sri Lankan efforts to deliver justice to the victims have miserably failed. Sri Lanka has no credible domestic mechanism for truth-telling or

* Not recorded.

accountability process. Hon. Mr. Vikneswaran, the hon. Chief Minister of the Northern Province of Sri Lanka has also demanded for an international enquiry as to the human rights violation and war crimes that have taken place...

(Interruptions)

During the last visit of Ms. Nisha Biswal, Assistant Secretary of State, US government speaking to journalists in Colombo after her visit to Sri Lanka said recently and I quote:... *(Interruptions)*

“Lack of progress in Sri Lanka has led to a grate deal of frustration and skepticism in my government and in the international community. There has not been sufficient action taken by the Sri Lankan government to address the issues of justice and accountability. We heard from many people about people who are still unaccounted for, whose whereabouts and fates are unknown to their family members.”

Sir, David Cameron, the British Prime Minister, at a Press Conference said and I quote:

“So, a frank meeting with the President of Sri Lanka of course not everything was accepted but I sense that they do want to make progress on these issues and it will help frankly by having international pressure in order to make sure that that happens.”

Further, international NGOs, International Human Rights Association, (IMRV) Bremen and the Irish Forum for Peace in Sri Lanka (IFPSC), both of them have set up an 11-member peoples’ tribunal.

The Eleven-member Tribunal has said:

“(a) Killing members of the group, which includes massacres, indiscriminate shelling, the strategy of herding civilians into so-called “No Fire Zones” for the purpose of massive killings, targeted assassinations of outspoken Eelam Tamil civil leaders who were capable of articulating the Sri Lankan genocide project to the outside world.



(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group, including acts of torture, inhumane or degrading treatment, sexual

violence including rape, interrogations combined with beating, threats of death and harm that damages health or causes disfigurement or injury. ”

This is the judgement made by the eleven member Peoples' Tribunal

Sir, this is an international organization which has given the above findings. ... (*Interruptions*) Sir, even now, the Government of India is keeping stoic silence and is keeping lukewarm. I urge upon the Government of India to go before the UNHRC and see that a separate Resolution is adopted in Geneva as to pleading for credible, independent international investigation agency to unearth the war crimes and human rights violations, perpetrated against Sri Lankan Tamils. KUMARI RAMYA DIVYASPANDANA (MANDYA): Respected Deputy-Speaker, I thank you for giving an opportunity to make my maiden speech today.

I would like to speak about how sugarcane cultivation can curb global warming. I come from a constituency called Mandya in Karnataka where most of the population is farmers. They mostly do farming. If we look at the world today, we may find that America is the first country in ethanol production and that is produced from a by-product of corn. Then there is Brazil which is the second largest producer of ethanol and 44 per cent of their public transport is run using ethanol. I feel that India, being the second largest producer of sugarcane in the world, is still not able to tap this market. The way forward is the Green Revolution and we have to find ways and means of how we can preserve what we have been given so that our future generation can have a better future.

I feel that this is only possible if we insulate the farmers. What is happening in my constituency is that there is lack of awareness among the farmers who grow sugarcane. They do not do crop rotation and hence soil is being eroded. Now it has marshy land. They do not realize the potential in sugarcane which is actually a cash crop and a super crop. The only way by which, I feel, we can insulate the farmers is as follows. When there is a lean season and when we are not doing well, the Government is supposed to fix a minimum support price every

year. There seems to be a time gap within which the farmers seem to be suffering. It is because they have not been able to fix the price on time. To solve this problem, we can set aside five per cent of the profits as a corpus fund when the sugar factories are making money during their good period. When the time is not so good, they can release those funds which will help the farmers.

The other point is, they can give subsidies so that they can do drip irrigation resulting in more yield. Though the time factor may be a problem for farmers, if we give them subsidies, that will also be able to protect them. We do not have to depend on weather because drip irrigation and hybrid version of sugarcane will also help farmers.

I am a bit nervous today because there are a lot of Members speaking at the same time. But I would appeal to the Government to protect the farmers, specially the sugarcane growers.

The other point is, even though production of ethanol has increased from five per cent to ten per cent, I have been told that the petroleum companies are complaining because of the erratic supply of sugarcane. I think this can be curbed if we insulate the farmers in such a way that there will be constant supply of sugarcane and they will be able to blend accordingly, that is, from five per cent to ten percent. Like I said, 44 per cent of Brazil's public transport runs on ethanol. We will be able to bring our import bills down if we produce ethanol ourselves and use it.

I thank you all for your patience and time. I thank you, Deputy-Speaker Sir for the opportunity which you have given me. I thank all the Members of Parliament across all parties. I came during the by-elections. All of you have been so warm, friendly and helpful to me. I thank you all very much. ...
(Interruptions)



12.30 hrs.

SUMISSION BY MEMBERS

Re : Possible impact of Model Code of Conduct on development works in Uttar Pradesh on account of forthcoming elections to Lok Sabha

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल केवल मेरे संसदीय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम उस जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस गम्भीर और महत्वपूर्ण सवाल पर हम सबके अधिकारों की रक्षा हो।

लोक सभा का यह आखिरी सत्र है, जो पांच फरवरी को शुरू हुआ था और इसे 21 फरवरी यानि कि आज तक चलना है। यह सत्र इसलिए बुलाया गया था कि इस अवधि में लेखानुदान और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए जा सकें। इस सत्र के समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है। नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित होते ही कोई माननीय सदस्य किसी भवन का उद्घाटन, शिलान्यास या लोकार्पण नहीं कर सकेगा और न ही एमपी लैंड के अंतर्गत कोई काम कर सकेगा। हमें केवल अब एक सप्ताह मिलेगा, क्योंकि ऐसी सम्भावना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में भारत का चुनाव आयोग नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर देगा। इसलिए इन आठ-दस दिनों में हम सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी भवन का शिलान्यास, उद्घाटन या कोई लोकार्पण वगैरह नहीं कर पाएंगे, जबकि जनता के प्रति जिन योजनाओं की जवाबदेही हमारी है, हमें उसे पूरा करना है।

परसों उत्तर प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, क्योंकि ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएन्सी और टीचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं एमएलसी के लिए। उसमें भारत के चुनाव आयोग ने वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, जो पहले इन चुनावों में नहीं लगता था। इससे साफ है कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई भी संसद सदस्य अपने क्षेत्र में न शिलान्यास कर सकता है, न लोकार्पण कर सकता है और न ही उद्घाटन कर सकता है। यहां तक कि शायद उसकी निधियां भी जारी नहीं हो सकेंगी। इस स्थिति में मैं

समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि पीठ इसका संज्ञान ले और सरकार को इस बात के लिए निर्देशित करे कि वह चुनाव आयोग से बात करे।

उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएन्सी का इलेक्शन है या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी का इलेक्शन है, उसमें मतदाता केवल शिक्षक होते हैं और ग्रेजुएट्स होते हैं। आम मतदाता की कोई सहभागिता इन चुनावों में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। It is said:

“With this announcement, following provisions of Model Code of Conduct for the guidance of political parties and candidates have come into force with immediate effect in the district mentioned in the above-mentioned constituencies, which are going to the polls. This may be brought to the notice of the Government, all Ministers, Departments and all other officers of the Indian Government and the concerned officials. Ministers, whether Central or State, shall not make any official visit to any district in which the said biennial elections are being held.”

इस तरह से यह लग गया है। There can be no pilot car, no policy announcement, no foundation laying ceremony. वह कोई मीटिंग नहीं कर सकता। मंत्री प्राइवेट विजिट भी नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का अधिकार है संसद सदस्य के रूप में कि हम अपने क्षेत्र में एमपी लैड के रूप में जो हमारे प्रस्ताव होते हैं, वह स्थानीय शासन को देते हैं। इस लोक सभा का सत्र 21 फरवरी तक चलेगा, हमारी उपस्थिति यहां आवश्यक थी इसलिए हम लोग अपने प्रस्ताव या शिलान्यास या लोकार्पण के कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर देगा, तो जो माननीय सदस्य इस क्षेत्र के हैं, इनका उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्रों में कौन सा अधिकार होगा कि जनोपयोगी कार्य कर सकें।


उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल : इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सरकार की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए। जिन क्षेत्रों में ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएन्सी और टीचर्स एमएलसी के चुनाव होने होने हैं उनमें लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट, वाराणसी डिवीजन टीचर्स, आगरा डिवीजन टीचर्स, मेरठ डिवीजन ग्रेजुएट, बरेली-मुरादाबाद टीचर्स, गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन टीचर्स।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे संज्ञान में लिया जाए।... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हम चाहते हैं कि इस मसले पर सरकार चुनाव आयोग से बात करे ।

मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई उत्तर आना चाहिए। आप प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण मामला है।... (व्यवधान) इस पर सरकार का क्या मंतव्य है? ... (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला): अभी मैंने आपकी बात सुनी। सही बात है कि आपने पैसा खर्च किया है और वहां पर काम कराया है और अब चूंकि कोड ऑफ़ कंडक्ट लग गया है तो आप वह पैसा दे नहीं सकते हैं। मैं सरकार से बात करूंगा कि हम इलैक्शन कमीशन से  बारे में बात करें कि साहब इनका जो पैसा है वह रिलीज किया जाए क्योंकि वहां काम हुआ है। ... (व्यवधान) उन्होंने वहां काम किया है लेकिन पैसा यहां पर बंद है, पैसा निकल नहीं सकता है क्योंकि कोड ऑफ़ कंडक्ट लग गया है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोड ऑफ़ कंडक्ट लग गया है। ... (व्यवधान) यह पूरे यूपी में हुआ है। ... (व्यवधान) हम इस विषय में ध्यान देंगे।... (व्यवधान) सही बात है, ये कहते हैं कि इनके यहां कोड ऑफ़ कंडक्ट लग गया है और इससे उनका जो एमपीलैड फंड है का पैसा है उसे वे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने काम कराये हैं इसलिए मेहरबानी करके उसकी तरफ इलैक्शन कमीशन को कहा जाए कि इसपर नजरेसानी की जाए। हम इलैक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इस बारे में देखा जाए क्योंकि इन्होंने वहां काम किया है। ... (व्यवधान) काम हो गया है, पैसा रिलीज करना है। ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माननीय संसद सदस्यों की भावना को भी सुन लें। थोड़ा सा कंप्यूजन है और वह यह है कि कुछ माननीय सदस्यों की आखिरी किश्त जो ढाई करोड़ रुपये की थी वह डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेटेटिक्स से नहीं गयी है। कुछ लोग जिनकी किश्त चली गयी है उनके बैंक नहीं कटे हैं तथा कुछ लोगों के प्रोजैक्ट्स जो शिलान्यास के लिए कंप्लीट हो गये हैं, कोड ऑफ़ कंडक्ट लगने से अब कोई चीज नहीं होगी, यथास्थिति हो जाएगी, न कोई लोकार्पण, न कोई उद्घाटन, न कोई समारोह हो सकता है।

डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला : देखिये, इसका भारत सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर भारत सरकार इलैक्शन कमीशन से बात करके इसे सुधारने की कोशिश करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एसएस रामासुब्बू, श्री पीएल पुनिया, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री हरिभाऊ जावले, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर राजभर एवं श्री राजेन्द्र अग्रवाल को जगदम्बिका पाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं इसी सीट से बोलना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, दुनिया में रहने वाले 17 देशों के 25 करोड़ भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों का यह मामला है। इस मामले को मैं सदन में पहली बार नहीं उठा रहा हूँ और न ही मैं पहला सदस्य हूँ जिसने इस मामले को उठाया है। कई सदस्यों ने इस मामले को कई बार उठाया है। हमारी जानकारी के अनुसार पांच बार भारत सरकार के मंत्री इस विषय में आश्वासन दे चुके हैं। वर्ष 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2010 में, 2012 में और आज हम इस सवाल को 2014 में फिर उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अष्टम अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए कई मंत्रियों का आश्वासन मिला और यह कहा गया कि अगले सत्र में शामिल कर लिया जाएगा। कभी कहा गया कि शीघ्र विधेयक सदन में रखा जाएगा। हम समझते हैं कि सदन में अगर कोई मंत्री सरकार की तरफ से आश्वासन देता है, तो यह माना जाता है कि यह काम होने वाला है। यह सवाल पच्चीस करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और न सिर्फ बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बल्कि देश के जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, जितने भी औद्योगिक शहर हैं, देश का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, जहां भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग न रहते हों। दुनिया के 17 देश ऐसे हैं, जहां भोजपुरी भाषा बोलने वालों की आबादी है। आज भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग गुस्से में हैं और इस गुस्से का परिणाम दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बना दिया, इसलिए क्योंकि बराबर ये दोनों पार्टियां 25 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करती आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषा बहुत समृद्ध है और बहुत मीठी भाषा भी है। आज की तारीख में सिनेमा जगत के व्यवसाय में यह भाषा हिंदी के बाद सबसे बड़ा स्थान भी बनाए हुए है। इसके पत्र-पत्रिका, अखबार निकलते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस भाषा की पढ़ाई भी कराई जाती है। दिल्ली में एकादमी भी बनाई गई है, लेकिन सिर्फ एकादमी बना दिया गया और इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल न किया जाए। गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। संयोग से सरकार के

एक वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित हैं। पूर्व के मंत्रियों का जो आश्वासन है, हम चाहते हैं कि आपके निर्देशानुसार भारत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित हैं, तो उस आश्वासन के आलोक में, चूंकि हम यह नहीं कह सकते कि इस सत्र में आने वाला है, यह भी नहीं कह सकते कि सरकार कब लाने वाली है, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि आपके आसन से या मंत्री जी की जुबान से यह सदन, पूरा देश सुने कि भोजपुरी भाषा का अब अपमान नहीं किया जाएगा और भोजपुरी भाषा के साथ राजस्थानी भाषा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे लिखित में दें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, एक तरह से पूरे सदन की सहमति है और पूरे सदन की तरफ से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वयं या माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि सदन को आश्वस्त किया जाए कि जब अगली सरकार बने तो पहले सत्र में भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी. महताब।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, न तो आप आसन से कुछ कह रहे हैं और न ही मंत्री जी बोल रहे हैं।...(व्यवधान) आप मंत्री जी को कहिए कि उठ कर आश्वासन जरूर दें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनको नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदम्बिका पाल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री हर्ष वर्द्धन, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री उदय सिंह, श्री जयंत चौधरी, श्री राकेश सचान, श्री पी.एल. पुनिया, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री कीर्ति आजाद अपने को श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy Speaker, Sir, I stand here today to speak a few words on the Mother Tongue Day. I want to speak in my own mother tongue. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Deputy Speaker, Sir, today is a very important day for all of us who cherish to relish and who cherish to propagate their own mother tongue. Today is the International Mother Tongue Day and very rightly Shri Prabhunath Singh and many others have spoken about their own mother tongue, Bhojpuri. I have given a notice today to speak about my mother tongue in my own language. As the 15th Lok Sabha is coming to a close today, it is very appropriate that I should speak in my own mother tongue.

* Hon'ble Deputy Speaker Sir. I want to speak in Odia on the occasion of International Mother Tongue's Day. Mother-tongue is the life-force that sustains all of us. We inherit our mother-tongue from our parents. Mother-tongue connects us to our past, to our cultural ethos, to our tradition and to our heritage. Mother-tongue has roots deeply ambedded in our psyche. Mother-tongue is the cultural carrier and ultimate means of communication of its people. Mother-tongue lives in folk-lores, parables, legends and proverbs with which all our memories are integrally connected. Mother-tongue refleits the cultural milieu, helps us to integrate and to assimilate. Those who know the value of Mother-tongue, do not even hesitate to sacrifice their lives for this cause. Mother-tongue is the vehicle of self-discovery – it propels change for a better world.

Mother-tongue protects and promotes culture, literature, sculpture, art, theatre, dance and even educational system. Mother-tongue connects history to geography of one generation to another. It has a vibrant life force. Mother-tongue carries our ethnic values, memories and traditions and it is like the life-blood that runs in our veins. Mother-tongue keeps alive the seeds of our civilization that dates back to thousands of years. For the cause of Mother-tongue, people have rebelled and sacrificed their lives in every part of the world.

In the year 1952 on February 21st, one such act of rebellion took place. Three young men namely Jabar, Hyder and Rafiq dared to face bullets of the

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

enemy in order to protect their language. Their sacrifice made the united Nations declare February 21st as the International Mother Tongue's Day.

Hon'ble Deputy Speaker Sir, I remember during the 14th Lok Sabha also once we the Member of Parliament, cutting across party lines had spoken in our respective mother-tongues. For the people of Odisha today is even more special. Because yesterday our language Odia was accorded 'Classical' language status by the cabinet. I thank our Hon'ble C.M. Shri Naveen Patnaik, Minister for Culture Madam Kochar and the Prime Minister. It's like the icing on the cake. The people of Odisha is general, intellectuals and all concerned are extremely happy. Now we can further promote and develop our language by establishing our own university. Today many are lamenting the gradual decline and death of regional languages. Let us all take a pledge to protect and promote our own language on this opportune day.

Today I am reminded of a famous poet of my state Shri Gangadhran Meher who had said – if one does not love one's mother land or mother-tongue we can never consider him a wise man. .

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Sir, I would like to associate myself with the matter raised by Shri B. Mahtab.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Sir, I would like to associate myself with the matter raised by Shri B. Mahtab... (*Interruptions*)

SHRI P. LINGAM (TENKASI): Sir, I would also like to associate myself with the matter raised by Shri B. Mahtab... (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker Sir, thank you for giving me permission... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, keeping in view the sentiments expressed by Shri Mahtab... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Roy, please sit down.

... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर बोलना है तो अपना नाम लिखकर भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me a chance to submit my views on an issue of urgent national importance. At the outset I would like to say that this very day is being observed throughout the globe as 'International Mother's Tongue Day'.

My esteemed colleague Shri Bhartruhari Mahtab has already expressed his views on the importance of mother tongue of every citizen of our country.

I also do associate with his submission. *And, at the same time, as in the year 1952, in the undivided Bengal, for recognition of Bengali language, there was a language movement in Dhaka University. Three young students sacrificed their lives in that movement - they were Jabbar, Haider and Rafique. We pay our respectful homage to these martyrs. I also pay my respect to all the mother languages. Bengali is the language of Rabindranath Tagore who said, "mother tongue is like mother's milk". People fought for the dignity of the language and today we celebrate International Mother Language Day. Thus, we should do our best to uphold the pride and majesty of all the vernacular languages in our country and the Government should also do the needful to develop these languages. This is my demand and the House must take cognizance of this fact. It is our duty to work towards the promotion of our own languages in right earnest.*

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

Sir, at the same time, while we are observing this solemn occasion, our mothers throughout the country are attacked. Their modesty is at stake. There is alarming rise in attack, sexual attack, and molestation on the mothers throughout the country, especially in West Bengal. ...
(Interruptions) In West Bengal it is alarmingly rising.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Jayshreeben Patel

... (Interruptions)

DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, in my constituency, recently an adivasi woman has been brutally gangraped. On this incident, even the hon. Supreme Court.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ... *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Susmita Bauri, Sk. Saidul Haque and Shri P.L. Punia are allowed to associate themselves with the issue raised by Dr. Ram Chandra Dome.

... (Interruptions)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसे कि यह 15वीं लोक सभा का आखिरी दिन है, वर्ष 2009 से लेकर आज आखिरी दिन तक हम गुहार लगाते आये हैं। मैं गुजरात से हूँ और मेरी कांस्टीट्यूएन्सी महेसाणा है। महेसाणा तारंगा ब्रॉडगेज लाइन बजट आवंटन के बारे में मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, चूंकि मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। आर.टी.आई. के जवाब में रेल मंत्रालय ने दर्शाया है कि महेसाणा-तारंगा ब्रॉडगेज लाइन, जो 57.4 किलोमीटर की है, जिसका वर्ष 2011-12 रेल बजट में निश्चित किया हुआ बजट/फंड 191.14 करोड़ विरमगाम वाया भिलड़ी प्रोजेक्ट में खर्च किया गया है।

* Not recorded.

महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? इससे यहाँ की जनता में आक्रोश है और अनशन भी किया गया। मैंने रेल मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उपाध्यक्ष योजना आयोग, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बार-बार पत्र लिखा था किन्तु पत्र की रसीद के सिवाय और कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि फंड परिवर्तन क्यों किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उन पर क्या अनुशासित कार्रवाई की गयी है तथा फंड परिवर्तन न्याय सम्मत है या नहीं? अतः मैं 15वीं लोक सभा के इस आखिरी दिन सरकार से विनती करती हूँ कि मुझे आर.टी.आई. से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में मंत्री जी आज मुझे जवाब दें।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, सबसे पहले तो मैं अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर पूरे सदन को बधाई दूंगा। आज अपनी भाषा को लेकर जो चिन्ता सबके मन में है, इसका एक ही कारण है। वैसे मेरा सब्जेक्ट दूसरा है, लेकिन मैं केवल बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : बधाई तो आपने दे दी है।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, आप कहें तो मैं बैठ जाता हूँ। आज 15वीं लोक सभा का आखिरी दिन है, कम से कम बधाई देने का तो मौका दीजिए।

13.00 hrs.

देश के लोग इसको जानना चाहते हैं। आज जो सबसे बड़ा कारण है जिससे क्षेत्रीय भाषाओं का लोप हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि हिन्दी भाषा का अभाव हो रहा है। अंग्रेज़ी के जो बढ़ते कदम हैं, जो लोगों के संस्कार में आ रही है, यही एक कारण है कि आज पूरे देश से हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का लोप हो रहा है। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस भाषा की ज़रूरत हो, उस भाषा का प्रयोग करिये, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी, कांस्टीट्यूशन में यह अधिकार मिलने के बाद भी कि यहाँ के काम करने की भाषा हिन्दी होगी, दुर्भाग्य है कि अंग्रेज़ी बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, प्रश्न काल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि कुपोषण का शिकार होने के कारण कैंसर लोगों में गंभीर बीमारी बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा इलाका है पूर्वांचल, जो मऊ मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, मऊ जनपद में तमाम शहीदों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वहाँ कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर दूर-दूर तक जाना पड़ता है और सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार लोगों को जो जानलेवा बीमारी हो जाती है जिनका नाम लेने पर लोग काँप जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से लोग

परेशान रहते हैं, उनके इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मऊ में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने तथा एम्स की तर्ज पर वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.एल.पुनिया का नाम श्री दारा सिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और तमाम दलों के सम्मानित सदस्यों ने अपने राज्यों की बात उठाई। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो देश के पिछड़े राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं, इनको विशेष राज्य का दर्जा देकर पैकेज दिया जाए। ऐसे राज्यों को आप विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक तौर पर मज़बूत करें और वहाँ का विकास करें। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड तथा जो पिछड़े इलाके हैं, उनका ज़िक्र भी हुआ है कि वहाँ जीडीपी का क्या रेट है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों का क्या जीवन स्तर है, इसका बड़े विस्तार से मूल्यांकन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया। पिछला जो वार्षिक योजना का बजट था, केवल तीस फीसदी दिया गया, 70 फीसदी रोक दिया गया। मैं चाहूँगा कि केन्द्र सरकार जो पक्षपात कर रही है, गैर-भाजपा शासित जो राज्य हैं, वहाँ सौ प्रतिशत जाता है, वहाँ विशेष पैकेज देते हैं, लेकिन जहाँ पर तमाम ऐसी सरकारें हैं जो इनकी पार्टी की नहीं हैं, वहाँ पर वार्षिक बजट में कटौती की जा रही है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को 100 परसेंट बजट के साथ-साथ 80 हज़ार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाए, तभी देश का विकास हो सकता है। यह इसलिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर लोक सभा की 80 सीटें हैं। देश का हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इसलिए हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी का जो बयान कल आया है, रघुराम राजन रिपोर्ट के बारे में, वह भ्रमित करने वाला है। एक तरीके से पूरे सदन को उन्होंने मिसगाइड किया है। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री पवन सिंह घाटोवार जी बैठे हैं। हम चाहेंगे कि वे खड़े होकर जवाब दें ताकि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, तमाम राज्यों के लोग हों, वे संतुष्ट हो पाएँ। आप यहाँ खड़े होकर कहिए कि इस बात को हम सरकार को इंगित करेंगे, सरकार को ध्यान दिलाएँगे, तभी हम संतुष्ट हो पाएँगे। आप इस पर खड़े होकर जवाब दीजिए। ... (व्यवधान) मंत्री जी, आप कुछ तो बोलिये। ... (व्यवधान)

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): उपाध्यक्ष जी, 18 दिसम्बर, 2012 को यहाँ असादुद्दीन ओवेसी जी और लाल सिंह जी ने यह मामला उठाया था कि किस तरह से मीडिया चैनल्स पेड न्यूज़ चलाते हैं और किस तरह से

वे उगाही करने के चक्कर में एक्सटॉर्शन करते हैं। उसके जवाब में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने कहा था, जिसे मैं कोट करना चाहूंगा- हमारी सरकार में एक इंटरमिनीस्ट्रियल कमेटी की बैठक है और हम यह मानते हैं कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेंगे और अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।

उपाध्यक्ष जी, इस बात को एक साल से ज्यादा हो गया है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब हम किसी को टीवी पर न्यूज़ दिखाने का लाइसेंस देते हैं तो उनको हम न्यूज़ दिखाने का लाइसेंस देते हैं या उगाही का लाइसेंस देते हैं? पुलिस भी जब किसी को बंदूक का लाइसेंस देती है और कोई व्यक्ति अगर अपनी उस बंदूक का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी बंदूक छीन ली जाती है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वह गलत न्यूज़ दिखाते रहते हैं और लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इज्जत सिर्फ महिलाओं की होती है, क्या पुरुषों की इज्जत नहीं होती है? यदि कोई हमारी इज्जत के साथ रोज़-रोज़ खिलवाड़ करे तो क्या सरकार को उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जहां पूरे के पूरे सबूत भी हों? इस मामले में उपाध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि एक साल से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, जिस मामले में प्रूफ हो। जो मीडिया चैनल पैसे की उगाही के लिए दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंस कैंसल होने चाहिए।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के बाकी विषय, अगर समय मिला तो दो से तीन बजे के दौरान लिए जाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय और श्री पी.एल. पुनिया अपने को श्री नवीन जिन्दल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 205

MR. CHAIRMAN: The House will, now, take up Item No. 26C – Shri Jesudasu Seelam.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JESUDASU SEELAM): I beg to move:

“That this House do suspend rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which provides that there shall be no discussion of the Budget on the day it is presented to the House, in its application to discussion of the Budget of the Government of National Capital Territory of Delhi, to enable same day presentation of and discussion on the Budget.”

MR CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which provides that there shall be no discussion of the Budget on the day it is presented to the House, in its application to discussion of the Budget of the Government of National Capital Territory of Delhi, to enable same day presentation of and discussion on the Budget.”

The motion was adopted.

—————
... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, Item Nos. 26D, 26E and 26F shall be taken up together.

Now, the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JESUDASU SEELAM): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my senior colleague, Shri P. Chidambaram, the hon. Finance Minister... (*Interruptions*)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूँ। मैंने विभिन्न दलों के साथ चर्चा की कि सदन की अवधि को बढ़ायी जाए ताकि ये जो भ्रष्टाचार विरोधी बिल हैं, इन्हें पास किया जाए।... (व्यवधान) सदन में विभिन्न पार्टियां इस से सहमत नहीं हुईं और मैं इन से फिर से विनती करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please let him speak first.

... (*Interruptions*)

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं फिर से विनती करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Let him speak.

... (*Interruptions*)

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं फिर से सदन से विनती करना चाहता हूँ कि सदन के इस सत्र की अवधि को बढ़ाकर हम इन भ्रष्टाचार विरोधी बिलों को पास करें।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please let him speak.

... (*Interruptions*)

श्री कमल नाथ: मैं फिर से सदन से विनती करना चाहता हूँ कि हम सदन का यह सत्र बढ़ा कर भ्रष्टाचार विरोधी बिलों को पास करें।... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Let him speak first.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You can react later. Please sit down.

... (*Interruptions*)

14.06 hrs.

**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BUDGET (2014-15)—
GENERAL DISCUSSION,
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI, (2014-15)
AND
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI (2013-14)**

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up Item Nos.26D, 26E and 26F together.

Hon. Minister, you can lay your speech on the Table of the House.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you lay it on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JESUDASU SEELAM): Hon. Members of this august House are aware that the President's Rule has been imposed in the National Capital Territory of Delhi under Article 239 AB of the Constitution.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please lay your speech. I will take it for granted that you have spoken, please.

SHRI JESUDASU SEELAM: As per provisions of the Constitution and Government of NCT of Delhi Act, 1991, the Budget of the Government of NCT of Delhi for the year 2014-15 is being presented and a Vote on Account is sought to enable the Government to carry on its business and meet the essential expenditure for a period of six months of the financial year 2014-15.... (*Interruptions*)

..... The Annual Financial Statement and the Demands for Grants now being presented are for the full year which may be revised at the time of presentation of the regular Budget for the year 2014-15, if need arises.

..... This part of the Speech was laid on the Table.

Revised Estimates for 2013-14:

The current year 2013-14 BE of the Government of NCT of Delhi was approved by the Legislative Assembly for Rs.37450 crore. It included Plan Expenditure of Rs.16450 crore (including expenditure on CSS) and Non-Plan Expenditure of Rs.21000 crore.

The Government of NCT of Delhi has taken up concrete measures to control its Non-Plan Expenditure and the Non-Plan Expenditure stands revised downwards to Rs.20273.59 crore in the current financial year. The funds of Rs.450 crore provided for implementation of the Centrally Sponsored Schemes by the Government of India are estimated to be utilized in full. It is to point out that due to Delhi Legislative Assembly Election in December, 2013, a number of new projects could not be taken up in the last 3-4 months resulting in slow pace of expenditure. Therefore, it is proposed to reduce Plan Expenditure to Rs.15150 crore in Revised Estimates as against the Budget estimate of Rs.16450 crore for the Financial Year 2013-14.

Accordingly, I propose Revised Estimates of Rs.35423.59 crore as against sanctioned Budget Estimates of Rs.37450 crore for the year 2013-14.

Supplementary Demands for Grants for 2013-14:

In order to give effect to the proposed Revised Estimates for the year 2013-14 for NCT of Delhi, third and final Supplementary Demands for the Grants of Rs.363.056 crore will be required. Accordingly, I present to this august House supplementary demands for Grants amounting to Rs.363.056 crore for NCT of Delhi for the year 2013-14.

Budget Estimates for 2014-15:

A Plan Outlay of Rs.17000 crore (including Rs.1000 crore for CSS) is proposed for Annual Plan 2014-15, as compared to approved Outlay of Rs.16450 crore including Rs.450 crore for Centrally Sponsored Schemes for the Annual Plan 2013-14.

Total Non-Plan Expenditure for the year 2014-15 is estimated at Rs.19066 crore. Total Expenditure during the year 2014-15 is estimated at Rs.36066 crore. It includes Revenue Expenditure of Rs.26871.86 crore and Capital Expenditure of Rs.9194.14 crore during the year 2014-15.

The estimated total expenditure of Rs.36066 crore during 2014-15 will be funded from Revenue Receipts of Rs.35750.29 crore, Capital Receipt of Rs.699.71 crore and remaining from Opening Balance. The Revenue Receipts include Tax Revenue of Rs.31571 crore, Non-tax Revenue of Rs.1161.01 crore, Additional Central Assistance of Rs.1000 crore for Centrally Sponsored Schemes and Rs.1190.78 crore as Central Assistance for Plan Expenditure.

Mr. Chairman, Sir, with these words I present to the House the Vote on Account for the financial year 2014-15 for six months and the 3rd Demands for Supplementary Grants for the financial year 2013-14 for the Government of National Capital Territory of Delhi.*...*

14.08 hrs.

**DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI, (2014-15)**

MR. CHAIRMAN: You can still place your speech. If you have anything, you place it on the Table of the House.

Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third Column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos.1 to 13.”

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants on Account (National Capital Territory of Delhi) for 2014-15 to the vote of the House.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the House.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: No, first let me speak. Under what rule do you want to speak?

PROF. SAUGATA ROY : It is under article 280 of the Rules of Procedure. Just now you have passed a Motion to say that you suspend the rule that a discussion on the Budget will not be held on the same day that the Budget is presented and then after that is passed you are again saying that there will be no discussion and let us go for voting. What is this? You yourself just passed a Motion. You suspended Rule 205. Then why do you not go into that?

MR. CHAIRMAN: This is not a point of order. We cannot have discussion. We have to present it to the Rajya Sabha. I do not allow it please.

PROF. SAUGATA ROY : Why do you want to pass it?... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants on Account (National Capital Territory of Delhi) for 2014-15 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third Column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos.1 to 13.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The Demands for Grants on Account (National Capital Territory of Delhi) for 2014-2015 are passed.

14.10 hrs.

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI (2013-14)**

MR. CHAIRMAN:

Motions moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, to defray the charges during the year ending the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.2,4,6 and 7 to 11.”

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (National Capital Territory of Delhi) for 2013-14 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, to defray the charges during the year ending the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 2,4,6 and 7 to 11.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The Supplementary Demands for Grants (National Capital Territory of Delhi) for 2013-2014 are passed.

MR. CHAIRMAN : Now, the House shall take up Item No.26G. Hon. Minister.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, the Bill is in the name of Shri Namo Narain Meena.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri J. Seelam has been authorized because he has already moved the Bill.

... (*Interruptions*)

14.11 hrs.

DELHI APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2014*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JESUDASU SEELAM): Sir, on behalf of Shri Namo Narain Meena, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services for a period of six months of the financial year 2014-15. ...
(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services for a period of six months of the financial year 2014-15.”

The motion was adopted.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I introduce** the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Item No.26H.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services for a period of six months of the financial year 2014-15, to be taken into consideration. ”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services for a period of six months of the financial year 2014-15, to be taken into consideration. ”

The motion was adopted.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 2, dated 21.02.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

14.13 hrs.**DELHI APPROPRIATION BILL, 2014***

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Item No.26I. Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI JESUDASU SEELAM): Sir, on behalf of Shri Namo Narain Meena, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2013-14. ...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2013-14.”

The motion was adopted.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I introduce** the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Item No.26J.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I beg to move:

“That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2013-14, to be taken into consideration. ”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2013-14, to be taken into consideration. ”

The motion was adopted.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 2, dated 21.02.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

—
... (Interruptions)

14.15 hrs

At this stage, Shri Chaudhary Lal Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MR. CHAIRMAN : We will now take up 'Zero Hour'. Shri Arjun Ram Meghwal.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except what Shri Meghwal says.

*(Interruptions) ...**

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं राजस्थान के बीकानेर से चुन कर आया हूँ। ... (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि भारत में पाक विस्थापितों की कोई पॉलिसी नहीं है। ... (व्यवधान)

14.16 hrs

At this stage, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : पाक विस्थापित कोई घुसपैठिये नहीं हैं। ... (व्यवधान) वे वैध पासपोर्ट एवं वीजा ले कर भारत आते हैं। ... (व्यवधान) धार्मिक संबंधों के कारण, सांस्कृतिक संबंधों के कारण एवं पारिवारिक संबंधों के कारण यह भारत आते हैं। ... (व्यवधान) रामदेवरा मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर एवं पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। ... (व्यवधान) पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में सूफी संतों का एक जैसा प्रभाव रहा है तथा यह क्षेत्र निर्गुण भक्ति वालों का क्षेत्र रहा है। ... (व्यवधान) इसलिए इनके सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे। ... (व्यवधान) इसलिए ये भारत आते हैं। ... (व्यवधान) चूंकि पाकिस्तान में इनका जीवन सुरक्षित नहीं है। ... (व्यवधान) इसलिए यह भारत में आ कर शरणार्थियों जैसा जीवन जीने पर मजबूर होते हैं अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार खेतीबाड़ी व अन्य संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता। ... (व्यवधान) जब विशेष मजबूरी होती है तब ही व्यक्ति मजबूर होता है। ... (व्यवधान) अभी तीन दिनों से जंतर-मंतर पर पाक विस्थापितों के लिए धरना चल रहा है। ... (व्यवधान) लोक सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक - 2013, लम्बित है, जिसे पास किया जाये। ... (व्यवधान) यह मेरी मांग है। ... (व्यवधान) लेकिन इसमें पाक विस्थापितों की नागरिकता देने का प्रावधान किया जाये। ... (व्यवधान) मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से यह मांग करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से विस्थापित हो कर आने वाले हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष कैम्प लगाएं ताकि उनको नागरिकता मिले। ... (व्यवधान) अभी एक बिल पेंडिंग है। ... (व्यवधान) सिटिजनशीप

* Not recorded.

अमेंडमेंट बिल-2013 पेंडिंग है। ... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि उसका जो सैक्शन-फाइव है, उसमें अभी यह प्रावधान है :

“A person of Indian origin, other than Pakistan and Bangladesh, who is ordinarily resident of India in any country or place outside undivided India could be registered as a citizen.”

महोदय, आपके माध्यम से मेरी यह डिमांड है कि उसमें एक छोटा-सा अमेंडमेंट किया जाए कि

“Religiously persecuted Hindu minority of Pakistan and Bangladesh should also be included as PIO Scheme.”

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्रालय से यह मांग करता हूँ कि पाकिस्तान के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करें और उनको नागरिकता प्रदान करें। धन्यवाद।

*SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI):: Hon'ble Chairman Sir, Vanakkam. On this last sitting of 15th Lok Sabha and on the International Day of Mother Tongue, I am happy that I got an opportunity to speak in my mother tongue, Tamil. I am more thankful to you Sir. Tamil is an ancient language and its origin dates back to time immemorial. Tamil is a unique language. Poet Mahakavi Bharathi says, “When we take the name of Tamil Nadu, our ears are filled with sweetness”. Tamil is a language which is forever young. Tamil is very rich with all types of literature like epics, puranas, etc. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchithalaivi* Amma has introduced Scientific Tamil along with all three existing forms of Tamil *i.e.* Muthamizh. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has demanded a special grant of Rs. 1 lakh crore from the Union Government for implementing various programmes in Tamil Nadu in the present as well as in future. However, no decision in this regard has been taken so far. Tamil Nadu is continuously affected because of various factors such as drought-

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

like situation, monsoon failure and denial of river water by Karnataka Government. Because of non-intervention of Union Government in such issues, the farmers of the State of Tamil Nadu are much affected. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Purathchiththalaivi* Amma has provided a relief grant Rs.1,614 Crore to protect the livelihood of farmers in the State. As per the Census of 2011 and under the Twelfth five-year plan, out of 5.96% of financial grant only 4.32% was provided by the Union to the State of Tamil Nadu. This is clearly due to the step motherly attitude of the Union Government as regards the genuine demands of Tamil Nadu. I therefore urge through this august House that without any further delay, the special grant as demanded by the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Purathchiththalaivi* Amma should be provided immediately.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you very much for giving me this opportunity on this very last day of the Session to speak and I bring forward a very important issue to this august House, through you Chairman Sir. ... (*Interruptions*)

Sikkim has been asking for Karmapa Ogyen Trinley Dorji's visit for a very long time. The Chief Minister of Sikkim, Dr. Pawan Chamling, has written several letters and has demanded that he be allowed to take his rightful place in Rumtek Monastery, but for some reason, the Ministry of Home Affairs has not granted this particular permission. It is like the tail wagging the dog or the dog wagging the tail and I do hope that it is the tail wagging the dog. I demand that this particular demand of Sikkim may be allowed to take place and that Karmapa Ogyen Trinley Dorji may be allowed to go to Sikkim. ... (*Interruptions*)

Thank you very much. ... (*Interruptions*)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, रेलवे विभाग के असंवेदनशील व्यवहार के संबंध में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ... (व्यवधान) महोदय, देश के किसानों ने रेलवे विकास हेतु अपनी जमीनें बहुत मामूली दर पर रेल विभाग को दी थीं। ... (व्यवधान) देश में तमाम जगहों पर रेल पटरियां बिछाने के दौरान किसानों के खेत दो भागों में बंट गए तथा किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई हेतु बहुत कठिनाई होने लगी। ... (व्यवधान) जब

किसानों ने इस संबंध में रेलवे से गुहार लगाई तथा कृषि की सिंचाई हेतु रेल लाइन के नीचे एक पतली पाइप डालने का अनुरोध किया तो रेल विभाग ने नादिरशाही रवैया अपनाते हुए गरीब किसानों को इसकी एवज में भारी भरकम एस्टीमेट दे दिया जो गरीब किसानों के लिए चुका पाना अत्यंत मुश्किल है।... (व्यवधान) इस एस्टीमेट में सुपरविजन चार्ज, डीनजी चार्ज, डिपार्टमेंटल चार्ज तथा निरीक्षण चार्ज के अलावा कई चार्ज शामिल करके भारी भरकम धनराशि का चिट्ठा गरीब किसानों को थमा दिया गया है।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या को तत्काल संज्ञान में लेकर किसानों को अन्याय से मुक्ति दिलाने का कार्य करें। यह वही किसान हैं जिन्होंने मामूली दर पर अपनी जमीनें रेलवे विकास हेतु सरकार को सौंपी थी।... (व्यवधान) इसलिए रेलवे को भी विकास हेतु उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए इस एस्टीमेट को तुरंत वापिस लेकर किसानों को एक पतली पाइप लाइन डालने में सहयोग करना चाहिए। .. (व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ... (व्यवधान) आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है। सब लोगों ने उस पर अपनी बातें कही हैं। जिन लोगों ने बातें कही हैं, मैं उनके साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।... (व्यवधान) मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।... (व्यवधान) न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ... (व्यवधान) मैं जजों की नियुक्ति में आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि न्यायालयों में काम करने वाले ए, बी, सी, डी कैटेगरी के अधिकारियों/कर्मचारियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।... (व्यवधान) बहुत से ऐसे न्यायालय हैं, हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की है।... (व्यवधान) लेकिन वह पूरी तरह से नहीं है।... (व्यवधान) मुंबई और दिल्ली हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं।... (व्यवधान) बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में दिए हुए प्रावधानों की रक्षा करने और उसमें दखल देने का अधिकार न्यायपालिका को है, वह न्यायपालिका संविधान में दिए हुए अधिकारों का पालन नहीं कर रही हैं जो बहुत चिन्ता की बात है।... (व्यवधान) मैं कानून विधि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट नीति अपनाएं और उन्हें निर्देश दें। जो मुख्य न्यायधीशों का सम्मेलन है, उसमें भी इसकी चर्चा नहीं हुई है।... (व्यवधान) अनेक ऐसे फोरम गए हैं जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो सरकारी सेवाओं में है, वह न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए।... (व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): सभापति जी, पन्द्रहवीं लोक सभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका

आभारी हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती अति पिछड़ा हुआ है।... (व्यवधान) डैवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही निचले पायदान पर है।... (व्यवधान) यहां प्लानिंग कमीशन की बीआरजीएफ योजना, एमएसपी योजना तथा बार्डर एरिया डैवलपमेंट योजनाएं लागू हैं।... (व्यवधान) ऐसे क्षेत्र में यूपीए सरकार ने आधार-भूत संरचना यथा पुल, सड़क, विद्युत राप्ती परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाया। उसके लिए धन दिया और उसके विकास के लिए आधार-भूत संरचनाओं के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए मैं माननीय यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभारी हूँ। ... (व्यवधान) लेकिन हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। वहां रोजगार के कोई संसाधन नहीं हैं और कृषि मंत्रालय के अधीन स्माल स्केल फार्मर्स, एग्रीकल्चर कन्सॉर्शियम, जिसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का नाम दिया गया है, उसने एग्री विजन प्रोजेक्ट के रूप में एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है, जो आज भी एपीसी और चीफ सैक्रेट्री, उत्तर प्रदेश-लखनऊ के स्तर पर संस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आभारी होऊंगा कि आप सरकार को निर्देश दें और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि बलरामपुर का जो एग्री विजन प्रोजेक्ट है और उसके साथ-साथ श्रावस्ती तथा तराई विजन के सिद्धार्थ नगर, बहराइच, महाराजगंज आदि हैं, उन पिछड़े हुए इलाके के लिए एग्री विजन प्रोजेक्ट एसएफएसी को बनाया है, वह रिकमंड हो कर भारत सरकार के पास आये जिससे वहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के साधन मिल सकें और कृषि का विकास हो सके। ... (व्यवधान) किसानों में खुशहाली आ सके और उस इलाके में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सके जिससे उसकी डैवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मार्केटिंग हो सके। साथ ही साथ उस क्षेत्र को रेलवे से जोड़ने के लिए श्रावस्ती का जो बुद्धा सर्किट है, उसके लिए भी धन शीघ्र आवंटित किया जाये। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, this is a very important issue of the agriculturists in my constituency. There is a long-standing demand from various sections of people for diverting surplus water of the Thamirabarani River into the big Manur Tank, Pallamadai Tank and other surrounding tanks. ... (Interruptions) It is needed for the purpose of agricultural development in this area, which is in a very sorry state due to shortage of water there. ... (Interruptions)

Manur Tank is elevated and situated certain feet above sea-level. It remains dry most of the year, and its resources cannot be utilized properly, with the result, people residing in nearby areas are facing lot of difficulties for agricultural

purposes as well as drinking water requirements. ... (*Interruptions*) To mitigate water shortage in the region, big pipes can be laid in the Thamairabarani River and excess water of the river can be taken and filled in Manur and other neighbouring tanks during rainy season. For this purpose, there is no necessity to dig big channels by spending crores of money, and this proposal will not affect any section of people. Actually, it will benefit the areas in and around this area. ... (*Interruptions*)

Therefore, I urge upon the Union Government to allocate necessary funds from any of the Centrally-sponsored schemes for the project in order to bring the excess water of Thamirabarani River into Manur big Tank, Pallamadai Tank and other surrounding tanks. ... (*Interruptions*) It will help to improve the ground-water level, and it will facilitate the farmers in that area. Thank you very much, Sir. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Next is Shri Nikhil Kumar Choudhary.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Nikhil Kumar Choudhary, please be attentive.

... (*Interruptions*)

14.29 hrs

At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh came and stood on the floor near the Table.

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार के रेलवे के एक महत्वपूर्ण विषय पर रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) कटिहार संसदीय क्षेत्र के दो रेलवे, एक पूर्वोत्तर रेलवे और दूसरा पूर्व मध्य रेलवे के बीच में दुर्गापुर संकर हॉल्ट बनाने की मांग लोग वर्षों से कर रहे हैं। ... (व्यवधान) लोग अनशन और अपने सात्याग्रह के जरिये यह मांग कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इन दोनों रेलवे के बीच में जो पूर्व मध्य का खंड है, इसमें 7 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र पड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है। रेलवे ही इसके आवागमन का एक मात्र साधन है। दुर्गापुर के संकर हॉल्ट बनाने वाले लोग सतत इस प्रयास में हैं कि उनको वहां एक हॉल्ट मिलना चाहिए। इसके लिए लोग सतत संघर्षशील हैं। इस हॉल्ट के बनने से अनेक गाँवों को सविधा मिल जाएगी जो गाँव हैं दुर्गापुर, सुरवासन, मथुरा रक्सी, हाड़ी हाजी टोला घुसकी इत्यादि।

...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहां के लोगों ने वहां अपने खर्चे पर मिट्टी भराकर हॉल्ट के लिए चौड़ीकरण किया है, टिकट घर बनवाया है, ...(व्यवधान) पेयजल की व्यवस्था की है, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की है, ...(व्यवधान) इसके बावजूद भी वहां अभी तक शंकर हाल्ट का निर्माण नहीं हो पाया है। ...(व्यवधान) अभी उसमें काफी लोग लगे हुए थे ...(व्यवधान) और इस मांग को लेकर वे जब ट्रैक पर आए, तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया। इसे लेकर लोग कठिनाई में हैं। ...(व्यवधान) अतः मेरी मांग है कि जनता के हित के लिए शंकर हाल्ट बनाया जाए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please go back to your seats.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please go back to your seat because your name is next in the list.

14.30 hrs.

At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh went back to his seat.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): किसान बाढ़ और सुखाड़ से तबाह है। ...(व्यवधान) किसान तबाह है राज्य सरकार से। ...(व्यवधान) किसान तबाह है भारत सरकार से। ...(व्यवधान) किसान सबसे तबाह है। प्राकृतिक आपदा से और कीड़ाखोरी से बराबर तबाह है। ...(व्यवधान) अभी किसान तबाह है जंगली जानवर से। जो किसान गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ...(व्यवधान) उनकी फसलों को नीलगाय छिपकर खा जाती है। ...(व्यवधान) बनैया सुअर आलू की फसल को उखाड़ कर खा गया। ...(व्यवधान) ये जंगली जानवरी संरक्षित प्राणी के नाम से दर्ज हैं ...(व्यवधान) और मामला चला जाता है किसानों पर। किसान रो रहे हैं। ...(व्यवधान) न मुआवज़ा दिया गया, न उसे उसके लिए सुरक्षा का उपाय किया गया। अब किसान क्या करे। ...(व्यवधान) वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ...(व्यवधान) वन्य संरक्षित प्राणियों में उन जानवरों का नाम है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार को लिखा गया, ...(व्यवधान) उसने कहा कि मुआवज़ा देंगे और उसे बचाएंगे। ...(व्यवधान) लेकिन फसल की सुरक्षा नहीं हो रही है। ...(व्यवधान) गेहूँ, आम और धनिया के पेड़ लगाये गये, सभी को नीलगाय चर जा रही है। ...(व्यवधान) जो जमीन के अंदर की फसलें हैं जैसे ओल और आलू, उसे बनैया सुअर बर्बाद कर रहा है। ...(व्यवधान) भर्तुआ में बनैया सुअर एक किसान के पैर में मारकर उसका पैर फाड़ दिया। वह किसान मर गया। ...(व्यवधान) दूसरा किसान अस्पताल में भर्ती है। ...(व्यवधान) इतनी तबाही है बनैया सुअर

से। ...(व्यवधान) किसान इससे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जंगली जानवरों से उनकी फसलों की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) न ही मुआवजा दिया गया है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार सावधान हो। ...(व्यवधान) वह राज्य सरकार को उसे बचाने के उपाय करने के लिए कहे। दूसरा, उनको मुआवज़ा मिले। ...(व्यवधान) तीसरी बात, संरक्षित वन्य प्राणियों की सूची से इन जानवरों को हटा दिया जाए, ...(व्यवधान) जिसके चलते किसानों की बर्बादी होती है। ...(व्यवधान) मेरी यही मांग है, इस पर विचार होना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री के.पी. धनपालन तथा श्री अनुराग सिंह ठाकुर स्वयं को डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाये गये मामले से संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, Sir, today is the second anniversary of laying of foundation-stone for Palakkad Coach Factory. This is a 34-year old promise. In the last two years, the Government has totally failed to do anything to make the factory a reality.

Sir, today I am wearing a black badge because people in the entire district of Palakkad, cutting across party lines, are observing it as a Black Day in protest against the UPA Government's breach of promise given to the people of Kerala.

The Government has failed to find a private partner for the Palakkad Coach Factory. Hence, I managed to get a promise from SAIL to become a partner in this Palakkad Coach Factory, but the Government has refused to accept that and thus deprived the people of Kerala. The people of Kerala will not forgive this. ...
(Interruptions)



चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, आज अपनी बोली और भाषा का दिन है। इसलिए मैं अपनी बोली, जो आठवीं शिड्यूल में शामिल है, उसी में बात करूंगा। *

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on the last day. I want to remind you that today is the International Mother Tongue day. I belong to Andhra Pradesh. My mother tongue is Telugu. We all know that yesterday Andhra Pradesh was broken into two. Our Telugu brethren have been divided into two. It pains me. For the last 56 years, I am working as a peoples representative. There is no doubt that I have been in the Well of the House. It was against my conscience but because of the voice of the people, I was in the Well of the House. Now, it is all over. I do not want to hurt anybody. The State of Andhra Pradesh has a Budget of Rs. 1,80,000 crore. Earlier in 1956, we started with Rs. 500 crore Budget. Now, that has reached Rs. 1,80,000 crore. It is because of the hard work done by Telugu brethren. We were almost number one as a developing State in the country.

Mr. Chairman, our language has so much of importance.

MR. CHAIRMAN : Now, please conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI K. BAPIRAJU : Kindly Sir, please bear with me for 2 minutes. The Bill has already been passed. We have to be sportive enough. We have done our best. Ultimately, the Government has taken the decision. Now, I appeal to the Telugu brethren that we should be together and work hard with the healthy situation. The Polavaram project was announced by the hon. Prime Minister. He has mentioned that by the Ordinance it can be put on the ground. It will be useful. The State of Andhra Pradesh should have been given special status for 10 years. The special status is given for 5 years. It can be reconsidered. We are thankful to Shri Rahul Gandhiji for initiating this. Ultimately, we expect from the hon. Chair to see that

* The Member Spoke in Dogri and he did not furnish English/Hindi translation thereof.

these words will be heard by the Prime Minister in helping us to have a healthy Telugu State.

My hearty complements to all my telugu brethren and I take leave wishing everyone a good future.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के साथ महाराष्ट्र में हो रहे अन्याय के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सन् 1989 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को माना गया था और तब से अब तक पिछड़ी जाति के छात्रों को आरक्षण और स्कालरशिप की सुविधा दी जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इन छात्रों को स्कालरशिप नहीं दी जाती है। इसके अलावा देश में क्रीमीलेयर की घोषण की गई थी और उसकी सीमा 6 लाख रुपए की गई थी, वहीं महाराष्ट्र में इसकी सीमा साढ़े चार लाख रुपए मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे देश में इनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, जबकि हमारे महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, गढ़चिरोली और यवतमाल जिलों में सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 27 प्रतिशत देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार अन्य पिछड़ा जाति के छात्रों पर अन्याय कर रही है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि केन्द्र की जो नीति है, उसके खिलाफ वहां काम हो रहा है इसलिए केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि ओबीसी छात्रों पर अन्याय न हो और उचित न्याय दिया जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Anurag Singh Takhur is permitted to associate with the issue raised by Shri Hansraj G. Ahir.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति जी, मैं युवाओं के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और शिक्षा तथा खेल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला उना में दो विधान सभा क्षेत्रों धर्मपुर और उना में केन्द्रीय विद्यालय, उना के सलोत-सतानपुर और मंडी के धर्मपुर संदोल में बनाने सुनिश्चित हुए थे। लेकिन पिछले दो वर्षों से यह मांग पेंडिंग है। जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय पहले देहरा में बनना था, वह भी पेंडिंग है। ये सलोत और संदोल में केन्द्रीय विद्यालय बनने की मांग लम्बे समय से पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ इन्हें जल्द से जल्द बनाना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिले। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने नेशनल यूथ पालिसी की घोषणा की थी। लेकिन देश में जो वेबसाइट है ys.net.in, उस पर यह नजर नहीं आ रही है। करीब दस वर्ष हो गए यूथ पालिसी नहीं आई, लेकिन जब अब आई है तो वह दिखाई नहीं देती है, केवल किताबों तक सीमित है। ये लोग भी यहां केवल दिखावा करने के लिए खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी यहां होते तो बताते कि कौन से छः बिल ये पास कराना चाहते हैं। ये केवल

दिखावा करने के लिए प्लै कार्ड लेकर वेल में आकर खड़े हो गए हैं। ये लोग दिल से नहीं चाहते, वर्षों तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और केवल दिखावा कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Prabodh Panda says.

*(Interruptions) ... **

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, in West Bengal, two major irrigation projects have been sanctioned – one is the Teesta Barrage and the other one is the Subarnarekha Barrage. The Teesta Barrage is undertaken as a Central project. But till today, it is a long pending issue about the Subarnarekha Barrage. Last time, during the UPA-I period, the Government had initiated to implement this project and the DPR had been prepared by the State Government. But now, this is already undone and the situation is very serious. So far as Jangal Mahal is concerned, the Subarnarekha Barrage is an important ingredient for its development. So, I urge upon the Union Government to take up the Subarnarekha Barrage as a Central project. I earnestly request the Central Government at the last day of the Session, at last day of the sitting of the 15th Lok Sabha to take up the Subarnarekha Barrage as a Central project for the development of the Jangal Mahal.

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बड़ी विडम्बना है कि 15वीं लोक सभा का सारा समय जिस तरह से गया, हम सब जानते हैं और हमने देखा है। फिर भी इस देश के हित के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हुई है और वे बिल पास नहीं हुए। सौभाग्य से सारे बिल तैयार हैं, हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे डिसेंबिलिटी राइट बिल, ग्रीवेंस रीड्रेसल बिल, एससी, एसटी एट्रोसिटी अमेंडमेंट बिल, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी, एसटी सबप्लान, व्हिस्ल ब्लोअर एंड कम्युनल वायलेंस बिल। मेरा आपसे आग्रह है कि हमें इस आखिरी सत्र का समय एक्सटेंड करना चाहिए और इन सारे बिलों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सभी पक्षों की इसमें एक राय है कि लोक सभा के इस सत्र को दो-तीन दिन के लिए बढ़ाया जाए और इन बिलों पर चर्चा करके इन्हें पास कराना चाहिए।

* Not recorded.

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे सत्र के आखिरी दिन बोलने का मौका दिया है। इंसान के लिए सड़क, बिजली, पानी की जरूरत है लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश के जो हाईवेज हैं उनकी हालत देखने के बाद मुझे बहुत दुःख होता है। उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवेज की हालत बहुत खराब है। सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट से लोगों की मौत हो जाती है। रामपुर, विलासपुर, काठगोदाम के नेशनल हाईवे-87 के लिए बहुत प्रयास करने के बाद काम का सैंक्शन हुआ, लेकिन वहां काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इसे जल्दी से शुरू करना चाहिये। मुरादाबाद, टांडा, डडियाल, बैजपुर में स्टेट हाईवे है, इसमें कार्य का सैंक्शन नहीं हुआ है, यहां भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। रामपुर से रुद्रपुर जाने वाली जो हाईवे की सड़क है, उसकी हालत भी बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि लोगों को एक्सीडेंट्स से बचाने के लिए इन कामों को जल्द शुरू किया जाए।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति जी, मेरे उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन शुरू हुई है। मैं माननीय मनमोहन सिंह जी, माननीया सोनिया गांधी जी तथा श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से यह रेलवे लाइन स्वीकृत हुई है। यह लाइन हमारी लाइफ-लाइन है और इससे हमारे उत्तराखंड का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां भूमि उपलब्ध कराएं ताकि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन आसानी से बन सके। इसके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जो नेवी-रिक्रूटमेंट-सेंटर रामनगर में बनना है तथा जिसके लिए सियालदेह और पाटकोट में जमीन चिन्हित हो गयी है, उसके लिए भी जल्दी से जल्दी भूमि उपलब्ध कराए ताकि हमारी रेलवे लाइन और हमारा नेवी-रिक्रूटमेंट-सेंटर जल्दी से बन सके।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आज सुबह माननीय यशवंत जी ने कहा कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं संथाल-परगना से आता हूँ और उस एरिया को उससे फायदा होगा। आज हम आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों से जूझ रहे हैं। मैं पिछले पांच साल से केन्द्र सरकार से इंटिग्रेटेड एक्शन प्लान में अपने इलाके को शामिल करने के लिए बोलता रहा हूँ। वहां आतंकवाद और नक्सलवाद मूलभूत समस्या है और उसका कारण है कि इर्रिगेशन प्रोजैक्ट जो हमारे यहां हैं वे पूरे नहीं हो रहे हैं। वहां पर महिलाएं एनेमिक हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। दिल्ली से इंडस्ट्रियल कोरीडोर जो कोलकाता जा रहा है, जोकि संथाल परगना से जाना चाहिए था, उसे रोकने की साजिश हो रही है। जगदीशपुर-हल्दिया पाइप-लाइन जो संथाल परगना में होनी चाहिए थी, वहां इंडस्ट्री बननी चाहिए थीं, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल

यूनिवर्सिटी आदि सारा कुछ बनना चाहिए था, लेकिन राज्य और केन्द्र सरकार दोनों इस बारे में ध्यान नहीं दे रही हैं। आपके माध्यम से यही आग्रह है कि संधाल परगना को इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में लाकर उसका समुचित विकास किया जाए।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, 15वीं लोक सभा का आज आखिरी दिन का आखिरी घंटा है। पिछले पांच वर्षों में जबर्दस्त काम करने के बाद भी आज हमें महसूस हो रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार विरोधी 6 विधेयक हैं, जिन्हें कानून बनाने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम्युनल वायलेंस बिल, डिसेबिलिटी बिल, ग्रीवेंस-रिड्रेसल बिल, व्हिसल ब्लोवर बिल आदि तमाम बिलों को पास करने के लिए एक हफ्ते सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिए। आज पूरे देश की जनता इस सदन की तरफ देख रही है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और जो-जो विधेयक सरकार को पास करने हैं, उनके लिए समय को एक हफ्ते और बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

सभापति महोदय : डा. विनय कुमार पाण्डेय जी को संजय निरुपम जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, आज सत्र के अंतिम दिन आपने मुझे उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ... (व्यवधान)

मैं कई बार इस सदन में बुनकरों की समस्या, कालीन बनाने वालों की समस्या, नदियों का कटान, ट्रेनों का ठहराव, रेल लाइन के दोहरीकरण की जो स्वीकृति मिली है, उठाता रहा हूँ।... (व्यवधान) अभी तक कुछ काम तो शुरू हुए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बुनकरों की है और कालीन नगरी भदोही, जहां से मैं चुन कर आता हूँ, वहां गरीब लोग रहते हैं, गांव में बसा हुआ क्षेत्र है और वहां जरूरी है, मैं उस कालीन नगरी को सुधारने के लिए इंसेंटिव्स की मांग करता रहा हूँ।... (व्यवधान) हमारे क्षेत्र में गंगा नदी के कटान से सैंकड़ों गांव और हजारों एकड़ भूमि प्रभावित होती रही है।... (व्यवधान) उसकी मैं मांग करता रहा हूँ, बहुत सारे स्टेशनों पर ठहराव की मांग करता रहा हूँ, जिनमें ज्ञानपुर रोड, सुरियावां में शिवगंगा का ठहराव और उसके साथ ही साथ परसीपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेन्स जाते समय रुकती रही हैं, लेकिन आते समय नहीं रुकती हैं।... (व्यवधान)

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, 15वीं लोक सभा का अंतिम सत्र है और अंतिम दिन में आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि विगत दो सत्रों में मैंने इन समस्याओं को जोरदार तरीके से रखने का काम किया है

और सरकार से अनुरोध किया है कि देश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है और हमारा देश किसान का देश है, लेकिन मेरे क्षेत्र में दो जलाशय योजनाएं विगत 35 वर्षों से लम्बित हैं। बलराल जलाशय योजना और सिंधवाड़नी जलाशय योजना, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये योजनाएं 32-33 वर्षों से लम्बित हैं। दस हजार हेक्टेयर जमीन इस पानी से सिंचित हो सकती है और किसान खुशहाल होगा। दस से बारह करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी एक बूंद पानी भी किसानों को नहीं मिला है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बलराल जलाशय योजना और सिंधवाड़नी जलाशय योजना को तुरंत शुरू किया जाए, ताकि वहां के किसानों को लाभ मिल सके।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): सभापति महोदय, ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन बीस वर्षों से स्वीकृत है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे सीधी जिले में करीब-करीब जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन रेलवे विभाग और रेलवे मंत्रालय द्वारा पैसे न उपलब्ध कराने के कारण जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर सीधी ने रेलवे विभाग को पत्र लिखा था कि मुआवजे की कार्रवाई सम्पन्न हो गई है और बीस करोड़ रुपए का आवंटन भी मिला था, वह खर्च हो चुका है। अगर दस करोड़ रुपए और मिल जाएं तो उससे रेलवे लाइन के मुआवजे का प्रकरण फाइनल हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से रेलवे विभाग से निवेदन करता हूँ कि दस करोड़ रुपए कलेक्टर सीधी को दे कर मुआवजे का भुगतान करवा कर और रेलवे लाइन का काम शुरू कराया जाए।

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. For the last 10 years I have been proposing that there should be a suburban rail network for Bangalore city. Actually, from Bangalore city railway station there are four radials towards Yelahanka, Yeswanthpur, Kengeri and Krishnarajpuram. The proposal is that there should be electrification, doubling and automatic signaling on these broad gauge lines so that we can have a local rail like Mumbai.

The Karnataka State Government has sent in a proposal that it is going to bear fifty per cent of the total cost. When BJP Government was in power in Karnataka we proposed it and it was unfortunate that the Union Railway Minister Shri Kharge in his recent Budget did not mention about it. He also said that there has been no proposal like this. I have provided all the documents to the Central Government that the Chief Secretary of Karnataka has proposed.

I urge to this Government that the suburban rail of Bangalore city should be made a reality.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, on this International Mother Tongue Day, I want to remind the House that Bengalis have shed their blood for the sake of their mother tongue. The movement that started in Dhaka in 1952 led to the creation of Bangladesh but today the Bengalis are in a bad condition because of the apathy of the Centre... *(Interruptions)* The Left Front Government in Bengal left a debt burden of Rs.2 lakh crore for which the State Government is having to pay Rs.29000 crore in principal and interest this year. For the last few years, we have been petitioning the Prime Minister and the Finance Minister to give us a three year moratorium on interest payment but they have not done it so far because of political reasons... *(Interruptions)*

Sir, we want to emphasize that West Bengal has solved the Maoist problem in Jangal Mahal. West Bengal has sorted out the Darjeeling problem of divisive forces but today there is no money left for the development. It is because the Centre would not move a little finger to give relief in debt burden... *(Interruptions)* I demand that a moratorium on debt payment be given immediately to West Bengal by the Centre... *(Interruptions)*.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मैं अपने आपको बहुत ही खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आपके नेतृत्व में मुझे यह मुद्दा उठाने का मौका मिला है। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में दो नेशनल हाईवेज आते हैं, एक मुम्बई-गोआ है और दूसरा मुम्बई-अहमदाबाद है।...*(व्यवधान)* जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने टौल-नाके बंद करके वहां के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि सरकार यही अपनापन वहां की जनता के प्रति दिखाकर दोनों टौल-नाके रद्द करे। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के बिजनौर जिले और मुरादाबाद जिले में आजकल फैले आतंक की ओर दिलाना चाहता हूँ।...*(व्यवधान)* वहां लगातार पिछले दो महीनों से एक बाघ कालागढ़ की साइड से आया हुआ है और अब तक दस लोगों की वह हत्या कर चुका है और स्थानीय प्रशासन ने इस संबंध में अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है।...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र

सरकार से इस संबंध में हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं जिससे वहां के लोगों का जन-जीवन बच सके, उनकी खेती बच सके क्योंकि वे खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, जंगल में नहीं जा पा रहे हैं और दस लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस बाघ को तुरंत मारने के आदेश दिये जाएं जिससे वहां का जन-जीवन सामान्य हो सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो झारखंड प्रदेश के अन्तर्गत आता है, ... (व्यवधान) उस क्षेत्र के पीने के पानी के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि चूंकि वह कोयलांचल का क्षेत्र है और काफी गहराई में पानी उपलब्ध होता है। हम लोगों ने बराबर इस विषय को लोकसभा में रखने का काम किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो।... (व्यवधान) भारत सरकार के संज्ञान में समय समय पर इस विषय को हम लोग लाते रहे हैं लेकिन आज की तारीख में जो कोयलांचल का क्षेत्र है, जो ग्रामीण बहुल क्षेत्र है और खासकर जो झुमरा पहाड़ हैं, जो गोमिया प्रखंड के अन्तर्गत आता है, वहां पर झरने से पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके तथा सिंचाई की व्यवस्था हो सके। ... (व्यवधान) समय समय पर भारत सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अशोक अर्गल (भिंड): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान गुना-इटावा रेल परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। ... (व्यवधान) इस परियोजना को शुरु हुए 25 साल से अधिक हो गये हैं लेकिन यह ट्रेन अभी ग्वालियर से भिंड तक चल रही है।... (व्यवधान) भिंड से इटावा तक के लिए इसके इंजन का ट्रायल भी हो चुका है। मेरा केन्द्र की सरकार से आग्रह है कि इस पिछड़े क्षेत्र की रेल को इटावा तक शीघ्र चालू किया जाए। भिंड से उरई-महुआ रेलवे लाइन का भी सर्वे हुआ है।... (व्यवधान) इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे बुंदेलखंड का विकास होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

15.00 hrs.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। देश में तेल विपणन कंपनियों के अंतर्गत चल रही खुदरा बिक्री केंद्रों में अनेक तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। सांसदों द्वारा समय-समय पर अनियमितताओं एवं कदाचारों को रोकने के लिए कार्रवाई भी होती है। तेल कंपनियों द्वारा अनेक नियम बनाए हुए हैं लेकिन इसके बावजूद तेल विपणन कंपनियों के अंतर्गत चल रही खुदरा बिक्री केंद्र में अनियमितताएं और कदाचार हो रहा है। सिलेंडरों में कम गैस और समय पर गैस की आपूर्ति नहीं होती है।

सिलेंडरों की कालाबाजारी और खुदरा बिक्री केंद्रों में धांधली हो रही है। उसकी जानकारी उन पर नियंत्रण करने वाले अधिकारियों को होती है परंतु उनके साथ मिलीभगत होने के कारण खुदरा बिक्री केंद्र के खिलाफ शिकायत नहीं की जाती है। शिकायत उन खुदरा बिक्री केंद्रों के खिलाफ होती है जो अधिकारियों के सेवा नहीं करते हैं।

मुझे बड़े खेद के साथ सदन में कहना पड़ रहा है कि कंपनियों के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कंपनियों के नियमों को उल्लंघन हो रहा है। धन्यवाद।

श्री राकेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में गोरसाई रेलवे स्टेशन है। वहां दो विद्यालय हैं जिसके कारण बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि ओवरब्रिज नहीं है। अगर यह बन जाएगा तो तमाम एक्सीडेंट होने से रुक जाएंगे। बाराबंकी जाफराबाद रेलवे स्टेशन दोहरी लाइन सैंक्शन हो चुकी है। इसका काम जल्दी करवाया जाए।

महोदय, मैं एक और खास बात कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर जनपद बुनकर बाहुल क्षेत्र है। यहां बुनकरों की आए दिन समस्याएं रहती हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि बुनकरों को सस्ते दर पर ऋण प्रदान करें। इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए जहां बुनकरों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके ताकि इनका पलायन रुक सके। मेरी मांग है कि उनको सब्सिडी प्रदान की जाए, उनके आवास हेतु व्यवस्था की जाए। बुनकरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। बुनकरों द्वारा तैयार सामान बेचने की व्यवस्था की जाए।

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): My Parliamentary constituency Kallakurichi which is in the State of Tamil Nadu has six Assembly segments and out of these, three assembly segments are not even connected by Railway lines. One of the assembly segments Kallakurichi is a municipal area. Five years ago a Railway project was sanctioned for this area by the hon. Railway Minister, but adequate funds were not allocated to this project. I would like to request the Central Government to kindly allot more funds to this Kallakurichi Railway project to expedite the work.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity on the last day of the session of the Fifteenth Lok Sabha for raising a matter of urgent public importance. This is

regarding laying of railway lines in one of the most backward areas, namely, the districts of Vizianagaram and Srikakulam.

I think, this is the most appropriate time to explore the possibilities and extend developmental activities to these coastal backward districts of Vizianagaram and Srikakulam after the State has been bifurcated. It has run into serious deficit on its being bifurcated.

These two districts still lack proper rail connectivity due to which people of these socially and economically backward areas are not able to develop their trade and other allied activities. There is an immediate need to sanction a long pending demand for a railway line between Vizianagaram – Palasa *via* Rajam, as part of the 3rd line augmentation between Vizianagaram – Palasa having high RoR or above 21 per cent for which detailed survey and estimate has been completed.

Vizianagaram, being a three State junction, there is need to establish a new Rail Coach Factory for upliftment of local backward people and also for railway operational convenience.

RAJKUMARI RATNA SINGH (PRATAPGARH): Sir, I would like to request you to request the officers in the MPLAD Department to release the last instalment of many MPs who are left out. The MPLAD Department should also ensure that the cheques of those projects which have already been cleared by the DM should be released to the concerned Department. Many districts of Uttar Pradesh are facing difficulties in getting the funds released. I would request you to request the Departments to ensure that the funds are released before the mode code of conducts comes into force.

MR. CHAIRMAN: Dr. Vinay Kumar Pandey may be allowed to associate with the issue raised by Rajkumari Ratna Singh.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस यूपीए की सरकार ने पांच साल में जो नहीं करना चाहिए था, वह सब कुछ कर दिया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर गये हैं। आज भी कुछ बिल हाथ में लेकर हाउस एक्सटेंशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अधिकार देना चाहिए था, इस देश की आधी आबादी को अधिकार देना चाहिए था, आज भी ये महिला

आरक्षण बिल की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देने की बात पांच साल में भी नहीं की। मैं चाहूंगी कि कम से कम यह सरकार आज आखिरी के दिन इसके लिए खेद प्रकट करे।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, अकेले लोकपाल से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में अगर वास्तव में हम सभी लोगों की एक राय है तो एक-दूसरे पर दोषारोपण करके कुछ नहीं होगा। ये जो बिल हैं, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, यह देश के लिए भ्रष्टाचार मिटाने वालों के लिए, कम्प्लेड करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस बिल को पास करना जरूरी है। डिसेबिलिटी राइट और ग्रिवन्स रिड्रेसल जैसे बिल को पास करने की आवश्यकता है। इस देश में जो बिल पेडिंग हैं, उन्हें पास करने की जरूरत है। महिलाओं के बिल के सन्दर्भ में अगर सदन में वास्तव में सब ऐसा चाहते हैं तो महिलाओं के बिल को भी पास करने की आवश्यकता है।

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने इस अन्तिम दिन मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं इलाहाबाद में गंगा नदी के तट के मोहल्ले बघाड़ा, ढरहरिया, गंगा नगर, सलोरी, शिवकुटी आदि जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के लीलापुर कलां, दुवावल, ढोकरी, तिवारीपुर आदि गांव, जो गंगा नदी की बाढ़, कटान से प्रभावित होते हैं, इन पर मैं नया बांध बनाने की मांग करता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि इन स्थानों पर नया बांध बनायें और उस पर सड़क बनायें, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चल सके और बाढ़ की कटान से और बाढ़ से इन क्षेत्रों को मुक्ति मिले। इसी के साथ-साथ मैं इलाहाबाद के गंगा नदी के तट पर और संगम क्षेत्र में हरिद्वार की भांति नया स्नानघाट बनाने की आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Sir, I thank you for giving me the opportunity. This is the last day of the 15th Lok Sabha.

Our Constitution is a secular Constitution and there is no religious discrimination in our Constitution. Under article 341 of our Constitution, the hon. President has been empowered to provide status of Scheduled Castes to those people who are in the lower strata of our society and they are called Dalits. Using this power, the hon. President, by an order of 1950, restricted the status only to those who profess Hinduism and their religion. There is no objection in this regard but while dalits convert themselves into Muslims or Christians as their religion without changing their caste, why not they get the status of dalit to avail

their legitimate rights in the country? Those people are basically very much backward both educationally and socially. Justice has to be done to them.

15.07 ½ hrs.

At this stage, Shri Thol Thirumaavalavan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

The Scheduled Caste benefits have been subsequently extended to Dalits converted to Sikhism and Buddhism in the years 1956 and 1990 respectively. But such Scheduled Caste benefits have not been extended to Dalits converted to Christianity and Islam. This is religious discrimination which goes against articles 14, 15 and 16 of our Constitution. This also is against natural justice, human rights and fundamental rights of human kind.

15.08 hrs

At this stage, Shri Thol Thirumaavalavan and some other hon. Members went back to their seats.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I rise to raise a very important matter regarding the North-East which is lacking development. We have a lot of national projects which are yet to be completed. The timeline is extended quite often. For example, the connectivity in that part of the country is so bad. Everything is coming from the mainland to the North-East through roadways and railways. We have two pending projects in Manipur. One is Jiribam to Tupul--Imphal railway project, which was supposed to be completed by 2016. Now, it has been extended to 2018. I am extremely sorry for that. I would request the Ministry of Railways to kindly see that the project is not delayed. National Highway No. 37 has also not been completed. If at all anything is needed, we can have a dedicated security to complete the project. Since the projects are delayed, there is escalation in the cost. It is a very dangerous thing. I would request that there is a need for timely completion of these projects. I would request that all the national projects should be completed in time.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me a chance. A lot of *beedi* workers are staying in the constituency to which I belong to. There is a school for the child labourers. There teachers who are getting a meagre amount of Rs. 4,000 to Rs. 5,000 have not been paid for the last 14 months. Last payment was released to them during December, 2012.

Mr. Chairman, I would request, through you, to the concerned hon. Minister that their payments should be immediately released and they should continue to get their salaries also till this programme is on. Thank you.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे क्षेत्र में बखीरा नाम की जगह है जहाँ का बरतन बहुत ही मशहूर है। वहाँ के कारीगर इतने अच्छे थे कि मुरादाबाद से भी बढ़िया बरतन बनाते थे। आज उन कारीगरों को जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, उसके अभाव में वे अपनी अच्छी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनको सरकार की तरफ से जो शीट मिलती है उस शीट को वे पीट-पीट कर पतला करते हैं और तब जाकर बरतन तैयार करते हैं। वहाँ का बरतन का उद्योग बड़ा मशहूर था। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये पडरौना के हैं। वहाँ किसी के यहाँ तिलक का समारोह होता था तो बखीरा का बरतन जाया करता था और तिलक में चढ़ाया जाता था। ... (व्यवधान) हाँ, ये पडरौना के राजा तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करता हूँ कि सरकारी सहायता से उस डूबते उद्योग को बचाने के लिए, इस उद्योग से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद देकर उनका स्तर उठाने का काम होना चाहिए।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महोदय, मध्य प्रदेश के देवास लोक सभा क्षेत्र में आगर नाम का एक नया जिला बना है। ... (व्यवधान) मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि नये जिले में एक सैन्ट्रल स्कूल आवश्यक रूप से खोला जाए क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए इस स्कूल का खोला जाना ज़रूरी है।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): चेयरमैन साहब, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज आखिरी दिन बुलाया और एक अहम मसले पर बोलने का मौका दिया। इस पर हम इस हाउस में बात करना चाहते थे, लेकिन पहले मौका नहीं दिया क्योंकि उस तरफ बैठे हुए हमारे साथियों ने इस हाउस को अच्छे ढंग से इस बार नहीं चलने दिया। ... (व्यवधान) हम उस तबके की बात करना चाहते थे जो रिफ्यूजी

थे - चाहे वे वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, पाक ऑक्यूपाइड 1947 के रिफ्यूजी हों या 1965 और 1971 के रिफ्यूजी हों। मैं धन्यवाद करता हूँ यूपीए सरकार और खासकर सोनिया जी का तथा प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर का, जिन्होंने रियासती सरकार को हिदायत दी और आज 11 महीने से लेकर रियासती सरकार को उनकी वन टाइम सैटलमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन मेरी आपकी बिसातब से हाउस से भी यह इलतिजा है कि रियासती सरकार को हिदायत दी जाए कि वह उस पैकेज को फोरी तौर पर दिल्ली सरकार की मंजूरी के लिए भेजे ताकि उन लोगों को जो 60-65 वर्षों से इस देश में परेशान हैं और अपने हकों से मरहूम हैं।

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him now. Please maintain discipline in the House.

... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, the Government of India is pursuing the New Liberal Economic Policy since 1991. Because of this New Liberal Economic Policy, many of the Public Sector Undertakings have fallen sick and referred to the BIFR. One such Central Public Sector Undertaking is the Hindustan Cables Limited. It has three units: one in Rupnarainpur in West Bengal, another in Naini near Allahabad in Uttar Pradesh and the third one is in Hyderabad.

The Hindustan Cables Limited used to earn profit up to 1993. Because of the New Liberal Economic Policy which the Government of India is pursuing, many small units have come up. We have opened the door for imports. Import of cable was started and the Hindustan Cables Limited has become sick. Since 2002, there has not been any production in any unit of the Hindustan Cables Limited. The Government tried but not sincerely and, therefore, failed.

The Ministry of Defence have in principle agreed to take over the three units of the Hindustan Cables Limited but there are some hurdles. These hurdles are to be removed. The Finance Ministry will have to give approval. It is being

delayed. We, the 12 Members of Parliament, met the Prime Minister today. About 35 Members of Parliament signed in the Memorandum demanding that immediate steps should be taken for the revival of an important Public Sector Undertaking like the Hindustan Cables Limited. Moreover, the employees have not received their salary for 12 months.

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please take your seat.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Further, the employees and workers have not received their salary for 12 months. So, I demand that the Government of India should take immediate steps for the revival of the Hindustan Cables Limited. Salary is due for 12 months. They have not received their salary. So, it should be paid to them. Funds should be released so that the salary can be paid to the employees.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing goes on record.

(*Interruptions*) ...*

MR. CHAIRMAN: Shri G. Sukhender Reddy.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Ponnamp Prabhakar and Shri Bhartruhari Mahtab are allowed to associate with Shri Basu Dev Acharya's 'Zero Hour' subject relating to Hindustan Cables Limited.

SHRI GUTHA SUKHENDER REDDY (NALGONDA): Sir, for the last two years, so many proposals for the Kendriya Vidyalayas are pending with the Government of India. The proposal for the Mriyalguda Kendriya Vidyalaya is kept pending with the Government of India since the last two years. I have given Rs.25 lakh from the MPLAD Fund for the temporary accommodation.... (*Interruptions*) We have also given five acres of land. But, so far, the proposal for the Kendriya Vidyalaya in Mriyalguda of Nalgonda District in my constituency is not yet cleared.

* Not recorded.

Secondly, the proposals for the Zahirabad Kendriya Vidyalaya in Medak District, Bonagiri Kendriya Vidyalaya in Nalgonda District and Jammikunta Kendriya Vidyalaya in Karim Nagar District are also pending with the Government of India. So, I would request the Government of India to take immediate steps to clear these proposal for these Kendriya Vidyalayas in this academic year itself. This is my humble request.


MR. CHAIRMAN: Shri Ponnam Prabhakar is allowed to associate with Shri G. Sukhender Reddy's 'Zero Hour' subject relating to Kendriya Vidyalayas.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I would like to thank you for managing this House so well.

Sir, in my constituency Angkul in Dhenkanal, the Railway Ministry in the past four years has promised developmental fund for the Dhenkanal Railway Station which is more than 100-year-old Railway Station and for the Talcher Railway Station also. Unfortunately, no work has been started at either of these two places. Thirdly, Angkul is an important location today in the centre of the State. It is also an industrial hub. There also, the Station is extremely neglected, dirty and it is not at all being looked after by the Railways.

So, I would like to draw the attention of the Railway Ministry, through you, Sir, to this issue and request that kind attention may be paid for the development of Angkul, Dhenkanal and Talcher Railway Stations.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल को सदन के सामने रखना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

महोदय, मैंने अपने पहले सत्र से, जिस सत्र में मैंने शपथ लिया था, उस सत्र से इस सवाल को लगातार उठाता आ रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद  गया के लिए एक अन्तरराज्यीय सिंचाई परियोजना है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है।

महोदय, इस परियोजना का कार्यारम्भ वर्ष 1975 से हुआ। अभी तक उस पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए और प्रति वर्ष लगभग पन्द्रह करोड़ रुपये उसके स्थापना व्यय पर खर्च हो रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि वर्ष 2007 में यूपीए-1 की सरकार ने इस परियोजना के कुटकुट डैम में लोहे के फाटक अथवा स्विस गेट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीज़ा यह है कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी यह नहर बरसाती नहर हो गयी है। जब कोयल नदी में बारिश का पानी आता है तब नहर में पानी जाता है। उसके बाद सूखा पड़ जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि यूपीए-1 की सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस बांध में गेट लगाने पर प्रतिबंध लगाया। इसका नतीज़ा यह है कि सवा लाख हेक्टेयर भूमि अर्सिंचित है।

मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार किसानों की हितकारी सरकार नहीं है। यह सरकार किसानों का हित नहीं देखना चाहती। पांच लाख किसान इससे प्रभावित हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि अन्त-अन्त तक इस सरकार को सुबुद्धि आए और भारत सरकार ने कुटकुट डैम में फाटक लगाने पर जो प्रतिबंध लगाया है, उस प्रतिबंध को हटाए ताकि वहां डैम में स्विस गेट लग सके, जल-जमाव हो और नहर में पानी आ सके।

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, I would like to invite the attention of the Railway Ministry to the fact that Dhanmandal is a railway station which dates back to the British era. This station is the gateway to three coastal districts of Odisha – Jajpur, Kendrapada and Cuttack.

Sir, Dhanmandal is a vibrant station wherefrom the Railways can garner substantial amount of revenue from passenger fares. It has been long pending demand of the local people to have direct railway connectivity to New Delhi. Besides, this is the station, which is the virtual gateway to Diamond Buddhist Triangle - Lalitgiri, Udaygiri and Ratnagiri having a lot of tourist potential. Sir, I would like to draw the attention of the Ministry of Railways for the stoppage of at least two pair of New Delhi-bound train for daily connectivity, namely, Puri-New Delhi Neelanchal Express via Tata Nagar, weekly three days, and Puri-New Delhi Nandan Kanan Express via Adra, weekly four days at Dhanmandal Railway

Station. For daily connectivity to New Delhi, we need both the above mentioned trains.

MR. CHAIRMAN : Shri B. Mahtab is allowed to associate with the issue raised by Shri Mohan Jena.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस देश के सबसे पिछड़े हुए इलाके बाड़मेर के अन्दर उन्होंने रिफाइनरी की स्वीकृति दी। परन्तु, आज राजस्थान सरकार उस निर्णय पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा रही है। वह बोल रही है कि इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है। देश में ऐसा कभी कोई फैसला नहीं हुआ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार में बैठे मेरे मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह पीएसयू के माध्यम से जो रिफाइनरी लगायी गयी है, वह पिछड़े हुए इलाके का हक है, अधिकार है। आने वाले समय के अन्दर राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अन्दर अगर कोई नेतृत्व करेगा तो वह बाड़मेर का इलाका करेगा।

मैं आपके माध्यम से उन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पास के राज्यों में निजी क्षेत्र के अन्दर उन लोगों को 425% तक कंसेशन दिया गया है, पर राजस्थान के अंदर यह पीएसयू के तहत बनायी गयी रिफाइनरी के ऊपर ऐसा प्रश्नवाचक चिह्न न लगाएं। आज उनके पास इस बात का अधिकार नहीं है कि वे उस रिफाइनरी को बंद करने के बारे में सोच सकें।

MR. CHAIRMAN : Shri P.L. Punia is allowed to associate with the issue raised by Shri Harish Choudhary.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपीए की गवर्नमेंट बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण लाइफलाइन हो सकती है, खजुराहो, ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन, उसको हमेशा बजट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी रेलवे की एकमात्र लाइन बुंदेलखंड की पूरी नहीं हो पा रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में यह लाइन शुरू हुई थी, आज 14 वर्ष हो गए, मुश्किल से 70 किलोमीटर लाइन पड़ी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर पन्ना नेशनल पार्क का कोई एतराज़ है तो पन्ना को सतना से जोड़ने में किसी तरीके का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, चूंकि वहां पर किसी तरीके का फोरेस्ट नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सतना को पन्ना से जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान करें, जिससे पन्ना वालों को ये रोड मिल सके।

SHRI S. GANDHISELVAN (NAMAKKAL): Mr. Chairman, Sir, drilling of bore-well is undertaken for taking out water for irrigation purpose in agriculture and also for drinking water. Now Service Tax is imposed on drilling of bore-well. More than 80 per cent of bore-well equipment vehicles belong to my constituency Namakkal. The farmers are demanding relaxation from Service Tax. So, I would request the Government to remove Service Tax on bore-well equipment.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Chairman, Sir, a National Highway was constructed between Hubli and Haveri during Shri Atal Bihari Vajpayee's period under the Golden Quadrilateral Programme and four-laning work was completed. But in spite of repeated requests, Service Roads are not being constructed for the last 10 years. I met the Minister many times and I have also written letters to him. So far he is not considering it. Due to non-availability of Service Roads, many accidents are taking place there. So, I urge the Government to immediately start the Service Road construction work there.

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, आपने जो मुझे 15वीं लोक सभा के अंतिम दिन बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। यहां रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बिहिया में श्रमजीवी ट्रेन का ठहराव कराएं। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रमजीवी ट्रेन का वहां ठहराव कराएं। चरपुखरी में इतनी सारी जमीनें दी हुई हैं, वहां स्टेशन बनवाया जाए। वहां स्टेशन नहीं बन रहा है, इतनी सारी जमीन वहां पड़ी हुई है।

श्री यशवीर सिंह (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस दिन से मैंने इस सदन की शपथ ली, उसी दिन से मैं सिर्फ एक मांग करता आया। आज रेल मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। मेरे क्षेत्र में मुसलमान बहुत हैं। वे मुसलमान मुंबई एवं पुणे जाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह मांग है कि एक ट्रेन नज़ीबाबाद से वाया मुरादाबाद, वाया दिल्ली मुंबई के लिए सीधी चला दें, जिससे मेरे क्षेत्र के मुसलमानों की दिक्कतों का समाधान हो सके।

श्री हरी माझी (गया): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं 15वीं लोक सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तिलैया ढाडर परियोजना वर्षों से निलंबित पड़ी हुई है। इसके चलते गया जिला में किसान धरना और प्रदर्शन करते हैं। वहां सिंचाई का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो सका। मैं बार-बार सिंचाई मंत्री जी से मिला। मंत्री जी से आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने सत्र के अंतिम दिन बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर जिला, जो बिहार राज्य में आता है, वह हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। आदरणीय ललित बाबू जी जब रेल मंत्री थे। उस समय से जो हमारी हसनपुर-संकरी रेलवे लाइन थी, वह आज तक अधूरी है, उसमें पैसा भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा, जबकि वह अत्यन्त ही आवश्यक है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिदौल से हसनपुर तक अधिक से अधिक पैसा दिया जाये, ताकि वहां काम प्रारम्भ हो।

दूसरे, मैं रेल मंत्री जी से और भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि किशनपुर स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस एवं कमला इण्टरसिटी ट्रेन का ठहराव किया जाये। जो वहां से छात्र पढ़ने आते हैं, उनको इससे काफी कठिनाई होती है।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, 15वीं लोक सभा के अन्तिम दिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

15.31 hrs.

(Madam Speaker in the Chair)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक गम्भीर सवाल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी सीता माता का बर्थ प्लेस है। पूरे देश में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों का विकास हो रहा है, लेकिन सीतामढ़ी का समुचित विकास अभी तक नहीं हो सका है। सीतामढ़ी-जयनगर-निर्मल्ली 188 किलोमीटर रेलवे लाइन की स्वीकृति हुई। 2012-13 में 30 करोड़ रुपये और 2013-14 में रेल मंत्रालय ने 90 करोड़ रुपये दिये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि रेल मंत्रालय ने आज तक

काम शुरू नहीं किया और इस साल जो पैसे मिले, उसमें से एक रुपया रिलीज़ नहीं किया। जब हमने पूछा कि सीता माता के साथ भेदभाव किस बात को लेकर है तो रेल मंत्रालय के चेयरमैन ने कहा कि कमलनाथ जी बड़े सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने मेरी पोस्टिंग कराई है। आपके पैसे को लेकर मैंने इनके क्षेत्र में डाल दिया है, इसलिए सीतामढ़ी में रेलवे लाइन नहीं बनने वाली है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, हम आपसे जानना चाहते हैं, जगत जननी मां सीतामढ़ी के साथ सरकार ... * करे... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, इस तरह के आरोप आप नहीं लगाएंगे। Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री अर्जुन राय : यह कहीं से न्यायोचित नहीं है और जो राशि आबंटित है, उस राशि को तुरन्त रिलीज़ करते हुए सीतामढ़ी सीतामढ़ी-जयनगर-निर्मल्ली रेलवे लाइन का काम शुरू किया जाये, ताकि रेल मंत्रालय की साख न गिरे।

अध्यक्ष महोदया: आपने पूरा प्रकाश डाल दिया, अब बैठ जाइये।

* Not recorded.

15.33 hrs.

VALEDICTORY REFERENCES

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): अध्यक्ष महोदया, 15वें सत्र का यह आखिरी दिन है और हमारे शीत सत्र का भी आखिरी दिन है। सभागृह के नेता के नाते से मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा सभागृह के प्रधानमंत्री नेता होते हैं, लेकिन राज्य सभा के सदस्य होने के कारण प्रधानमंत्री गये पांच साल से इस सदन के नेता नहीं रहे। तीन अगस्त को मुझे प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहां सदन का नेता बनाने का मौका दिया। ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री सुशीलकुमार शिंदे : सदन का नेता बनाया, मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। एक दलित वर्ग के कार्यकर्ता को इस बड़े सदन का नेता बनाना, देश का सबसे बड़ा हमारा यह प्रजा सत्ता का टैम्पल है, हमारा मंदिर है। प्रधानमंत्री जी आ गये। इस पवित्र मंदिर में हम हमारे समाज के, हम हमारी जनता के, जिन्होंने यहां पर हमें पहुंचाया है, उनके दुखों को, उनकी कठिनाइयों को हम यहां रखते हैं और उनको सुविधा देने का प्रयास हमेशा करते हैं। मैं इस सदन में दो बार पहले भी सदस्य रहा हूँ, लेकिन इस बार हमें एक ऐसा सत्र देखने को मिला कि कठिनाइयों में भी, स्पीकर साहिबा, जिस तरह आपने इस सदन को चलाया है, इस सदन की जो गरिमा बढ़ाई है, उसे हम भूल नहीं सकते। इतिहास में इसकी नोंद हो जायेगी। यह आसान बात नहीं थी। यह हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप भी उसी समाज से आती हो। जिस समाज से मैं आता हूँ। यह बड़े गर्व की बात है कि यहां विरोधी दल की नेता महिला हैं, स्पीकर साहिबान महिला हैं, हम तो ऐसे ही सदन में हैं लेकिन असली नेता हमारे पार्टी की नेता हैं। यह एक त्रिवेणी संगम है। भारत में इस तरह का त्रिवेणी संगम आगे हमें देखने को मिलेगा या नहीं, यह पता नहीं है। ... (व्यवधान) लेकिन, इस सदन में बहुत ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। हम सब उन घटनाओं के साक्षीदार हैं। कई अच्छी बातें हो गईं तो कई एक-दूसरे पर टीका-टीप्पणी हो गई। इस सदन में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल पार हो गया है। इस देश का जो गरीब आदमी है, इस देश का जो किसान है, एक तरफ किसानों को भी सिक्योरिटी मिली और फूड सिक्योरिटी के जरिए गरीब आदमी को रोजाना खाना मिलना तय हो गया।

अध्यक्ष महोदया, हम सब से ज्यादा सोशल चेंज की बातें करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर का बिल इस सदन में पास हो गया। मैं समझता हूँ कि बहुत सालों के बाद इतना कठिन बिल, इतनी कठिन समस्याओं


* Not recorded.

को पार करने में हम सफल हो गए। लैंड एक्वीजिशन रिहैब्लिटेशन बिल एक माइलेज का टप्पा था। लोकपाल और लोकायुक्त का बिल और स्ट्रीट वेण्डर बिल, बहुत अच्छे काम इस सभागृह में हो गए हैं। सबसे बढ़िया हुआ है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल महिलाओं को सिक्युरिटी देने के लिए पास हो गया है। एक बहुत ही संवेदनापूर्ण घटना दिसम्बर में घट गई। पूरा सदन दिख पड़ा कि हम सब एक हैं। ऐसे वक्त में हम सभी मतभेद छोड़ कर इकट्ठा हो गए और एक कमेटी अप्वाइंट की। इस कमेटी के रिपोर्ट में किए गए सभी रिकमेंडेशंस को हमने स्वीकार किया और यूनैनिमसली इसको पास कर दिया। ऐसा बहुत कम ही होता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन बहुत अच्छे काम इस सभागृह में हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं क्या बताऊँ कि इस सभागृह को संभालने का काम कितना कठिन था? मुझे तो डर लगता था। हम तो पुरुष वर्ग के हैं। जब कई सदस्य इकट्ठा हो कर आते थे तो मुझे डर लगता था। अभी-अभी की घटना है कि एक बिल पास करते समय ये अंग पर आते थे तो हम सब डर गए थे। ... (व्यवधान) डरना तो पड़ता है। ... (व्यवधान) गृह मंत्री कभी नहीं डरता है। ... (व्यवधान) सत्ता पर बैठा हुआ कोई भी गृह मंत्री होता है तो वह डरता नहीं है, उसमें शालीनता होती है। वह निडर होता है। ... (व्यवधान) हमने निर्णय भी ले लिए। ... (व्यवधान) इस कुर्सी पर बैठ कर जैसे निर्णय भी ले लिए, जो निर्णय इस सभागृह में कई सालों से नहीं लिए गए थे। ... (व्यवधान) यह कोई कम बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं प्रतिपक्ष की नेता सुषमा जी का बहुत आभारी हूँ। वह कभी-कभी गुस्सा करती हैं तो ऐसा लगता है कि वह हमसे नाराज हैं। वह हमसे बात ही नहीं करेंगी। जैसे ही वह हाउस के बाहर चली जाती हैं तो उनके बात में जो मिठास है, वह कोई मिठाई खाने से भी नहीं मिलती है। ... (व्यवधान) हाउस के बाहर तो यह होना ही चाहिए। ... (व्यवधान) हाउस में तो वह अपना काम करेंगी और हम अपना काम करेंगे। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, यह कहना जरूरी है कि बहुत बार हम इतने तंग परिस्थितियों में काम करते हैं, जब हम अच्छी बात करना चाहते हैं, अच्छी घटनाएं इस देश को देना चाहते हैं, कुछ सुविधा देना चाहते हैं। कल का तेलंगाना का ही बिल ले लीजिए। हमें खुशी है, लगता था कि विरोधी दल के लोग विशेषतः बीजेपी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने इसमें प्रैस्टिज नहीं रखी कि सोनिया गांधी जी ने पांच साल, दस साल पहले जो प्रॉमिस किया था, उसे पूरा करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने भी प्रॉमिस किया था। हमने भी प्रॉमिस किया था बोलकर जिस तरह इस बिल को आपने पास किया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उसमें हम लो  रहे। ... (व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैं आप पर भी आ रहा हूँ। अभी मैं सामने बात कर रहा हूँ, यहां मुझे आना है।... (व्यवधान) समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता, शरद यादव जी, बालू जी, कम्युनिस्ट पार्टी के बसुदेव आचार्य जी नहीं दिख रहे हैं लेकिन दासगुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं, बीजू पटनायक जी के सदस्य, दारा सिंह जी, त्रुणमूल कांग्रेस के सदस्य दिख रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रजातंत्र में विरोधी दल के बिना कुछ नहीं होता। केवल सत्ताधारी पक्ष में रहकर सरकार नहीं चला सकते, कोई काम नहीं कर सकते, विरोधी दल होने चाहिए, लेकिन होने ऐसे चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव काम में हमेशा मदद करें। मुझे इस बात की खुशी है कि पन्द्रहवीं लोक सभा में बहुत कंस्ट्रक्टिव काम और चीजें हुई हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा डेढ़ साल का छोटा सा काल था। मुलायम सिंह जी भी कभी-कभी बहुत गरम होते थे, लेकिन बेसिकली वे टीचर हैं। कितने लोगों को पता है मालूम नहीं, लेकिन जैसे वे गरम होते थे वैसे ही ठंडे भी हो जाते थे। वे अपने विद्यार्थियों को जिस तरह समझाते थे, उस तरह विचार करके समझाते थे।... (व्यवधान) आचार्य जी आ गए हैं। मैं आचार्य जी को बहुत सालों से देख रहा हूँ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया जी, मुझे पता नहीं है कि हम में से कितने लोग सोलहवीं पार्लियामेंट में आ सकेंगे।... (व्यवधान) जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए। पन्द्रहवीं पार्लियामेंट में जितना समय बैठने को मिला है, बैठिए। हमारे कई साथी बीच में चले गए, लेकिन कई साथी सोलहवीं लोक सभा में मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं। लेकिन मैं इस समय सदन की नेता की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जिस तरह का बर्ताव रखा, जिस तरह की संवेदना रखी, जिस तरह का प्यार रखा, मतभेद होते रहते हैं, टीका-टिप्पणी भी होती रही है, लेकिन किसी के घर का काम नहीं है, यह देश का काम है और देश का काम करने के लिए थोड़ी इधर-उधर की बातें भी होती हैं तो दूसरे ही मिनट हम उन्हें भूल जाते हैं और समाज के लिए हमेशा फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे तैयार रहते हैं। जहां भी आग लगे उसे बुझाने का प्रयास करते हैं।

आज पन्द्रहवीं लोक सभा का आखिरी सत्र है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बहुत बार बड़े-बड़े मौके दिए और मैंने बात की। मैं नया था। मैं पीछे बैठने वाला आदमी था लेकिन प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी ने मुझे सभागृह के नेता के तौर पर आगे बिठाया। पहले दिन मुझे प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठने में डर लगा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन हमारे नेता ने मुझे यहां बैठने का मौका दिया जिसकी वजह से मैं विरोधी दल के सभी सदस्यों के सहयोग से थोड़ा काम कर पाया। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपको लम्बी उम्र दे और देश में अच्छा काम करने के लिए इस सदन में दुबारा आने के लिए प्रार्थना करता हूँ।



श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, जिन विषम परिस्थितियों में आपने धैर्य के साथ सदन चलाने का काम किया, उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। मुझे खुशी है कि सारे सदन का विश्वास आप पर पूरी तरह से था, चाहे आपस में कितने भी मतभेद रहे हों।

जहां तक सरकार और विपक्ष का सवाल है, तो उनकी अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार गलत काम न करने पाये। अगर कहीं ऐसे काम हो रहे हैं, तो उनका विरोध करके सरकार की जानकारी में लाने का काम करते हैं। अगर आलोचना भी करते हैं या गुस्सा भी आ जाता है, तो वह गुस्सा अपने हितों के लिए नहीं है। क्योंकि हमें जनता दिखाई देती है और जनता का यह सदन है। उस जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं और जनता को क्या-क्या आश्वासन दिये हैं, उन आश्वासनों के बावजूद भी जब कभी दुविधा होती है, या काम नहीं होते, तो हम लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। हमें जनता को भी देखना है। हम कहां तक उनके सवालों, समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं।

अध्यक्ष महोदया, यह सही है, क्योंकि हम भी इसी तरह से विधान सभा में रह चुके हैं। कुछ भी हो, थोड़ी बहुत सरकार तानाशाही तो होती है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार मनमानी करती है। लेकिन उस मनमानी को रोकने के लिए अगर हम कुछ विपक्ष के लोग असहमति व्यक्त करें, तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर जितने भी यहां माननीय सदस्य हैं, चाहे इधर के हों, उधर के हों या पीछे बैठे हों, उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हमारी कामना है कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आने वाले सदन में फिर से आ जायें।... (व्यवधान) हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके साथ बहुत परिचय हो चुका है। आप में से जब कोई नहीं आ पायेगा, तो कभी-कभी उनकी याद आयेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज सब मतभेद भुलाकर, कटुता छोड़कर प्यार-मोहब्बत, दोस्ती के साथ यहां से जायें। अगर किसी को यहां कोई परेशानी हुई हो, तो उन सबको भूलकर यहां से जायें।

मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। इधर भी धन्यवाद देते हैं और नेता विरोधी को भी धन्यवाद देते हैं। प्रधान मंत्री जी को, नेता सदन को विशेषकर सोनिया जी को धन्यवाद देते हैं। उनकी राय से आप सब चले रहे हैं, इसलिए उनकी विशेष भूमिका रही है। समय-समय पर अगर हमने भी कोई इशारा किया या पर्ची भेजकर कुछ आग्रह किया, तो उन्होंने उसका पालन किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब आडवाणी साहब जैसे वरिष्ठ, मुझे लगता है कि आज सदन में सबसे वरिष्ठ नेता यही हैं। इस सदन में वे सन् 1972 से लगातार नेता रहे हैं। लेकिन हमने यह जरूर कह दिया था कि उम्र में बड़े हैं। मेरा

बैच 1967 है और आपका 1972 है। हमने आपसे यह जरूर कह दिया था, इसलिए आप इसका बुरा मत मानना। लेकिन आप सीनियर और वरिष्ठ लीडर हैं। जिन परिस्थितियों में आपने इस पार्टी को मजबूत किया। एक ही अफसोस है, बुरा मत मानिए कि आज जब पार्टी मजबूत बनी है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी। हमारा आपका कुछ मुद्दों को लेकर झगड़ा था, विवाद था। वे देश के मुद्दे थे, मामूली मुद्दे नहीं थे। लेकिन आपको वहां से यहां बैठा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह हम आपका बता रहे हैं। तभी तो आप कमजोर हो रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए आप कमजोर हो रहे हैं। हम आपके ही संबंध में अच्छाइयां बता रहे हैं कि उनको कमजोर करने से आप कमजोर हो गये। आडवाणी साहब से मेरे मुद्दों को लेकर बहुत मतभेद रहे। हमारा संघर्ष हुआ है। यहां बैठकर भी संघर्ष हुआ। वे मुद्दे यहां नहीं भुलूंगा जब आप मुझसे नाराज हुए थे। चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने आपको और मुझे बुलाया था कि आप दोनों में जो गंभीर मतभेद हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाये। लेकिन मुझे याद रहेगा कि आप बहुत नाराज हो गये थे। श्री चंद्रशेखर जी ने उसे ठीक किया था। फिर अभी तक हम दोनों ज्यों के त्यों संबंध बनाये हुए हैं। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसलिए हम चाहते हैं, मेरी कामना है, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। हमारी कामना है कि सभी लोग देश के लिए और देश की जनता के लिए, चाहे देश की सीमा का सवाल हो, चाहे आंतरिक सवाल हो, देश की जनता के लिए हम लोग हैं, उस जनता के लिए हम सब समर्पित रहेंगे। यह संकल्प लेकर जाना है। हम चाहेंगे कि सभी लोग फिर से जीतकर आ जाएं, तब खुशी होगी। स्पीकर साहब तो जीतकर आ ही जाएंगी। मेरी शुभकामना है और सदन की तरफ से भी कामना है कि पहले से भारी बहुमत से जीतकर आएँ। जरूरत पड़ी, तो हम अपने उम्मीदवार को भी आपकी तरफ से ही खड़ा करेंगे। हम अभी तक बिहार के साथियों से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। लोग टिकट मांगने आ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। इस अवसर पर सबसे बड़ी उपलब्धि है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की शुभकामना है या सबकी शुभकामनाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद पर आप आसीन हैं। आपने सबको लेकर चलने की कोशिश की। आपने सदन को बहुत अच्छे तरीके से चलवाया। इसलिए आपको विशेष बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी तथा आपके सभी साथियों को बधाई और सभी विपक्ष में बैठे साथियों को मेरी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे जीतकर आएँ।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, अभी जो बातें गृह मंत्री जी और मुलायम सिंह जी ने कही, मैं उसे दोहराऊँगा नहीं। मैं उनकी सभी बातों के साथ अपने को शरीक करता हूँ। यह मौका, जिस तरह का वातावरण है, उसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, जिससे इस सदन की आज की जो गरिमा है, वह टूट जाए। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करूँगा कि जो देश है, वह कई तरह से हमारे सबके, इस सदन के आचरण से लोगों के मन में दुःख है। कई लोग तो सदन को समझते ही नहीं हैं। जो समझ में आता है, वह बहुत ही दुखदायी है। यहाँ हम सभी मेम्बर लोग बैठे रहे, कहा जाता है, गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आंग पर आंग आ रहे थे, तो उसमें सिर्फ एक सूबे के ही लोग थे। एक बात जरूर है कि उन विकट परिस्थितियों में आपने जो संतुलन दिखाया, वह अध्यक्ष की गरिमा के अनुरूप था। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करूँ कि देश तो न्याय और बुद्धि से चलता है। न्याय, प्रेम और ममता नहीं है, तो लोकतंत्र में मुल्क आगे की जगह पीछे चला जाता है। अभी की घटनाएँ ऐसी हैं कि उसका उल्लेख करना मुझे तकलीफदेह लगता है। हम कश्मीर के बारे में फैसला करते हैं, हम पंजाब के बारे में फैसला करते हैं और हम तमिलनाडु के बारे में फैसला करते हैं, तो न्याय और बुद्धि से फैसला करेंगे, तो कड़ा फैसला भी लोग मानेंगे। मैं इस सदन में था, इंदिरा जी को मैंने देखा है, हम तो उनके चलते जेल में भी रहे। लेकिन मैंने देखा है कि कई मामले में उनके फैसले आज भी मुझे प्रभावित करते हैं।

मैं कहूँगा आपसे कि न्याय जैसा आजादी के बाद और इस सत्र में भी रहा, न्याय आगे बढ़ना चाहिए। जिनके लिए आजादी थी, आज उनको कोई पूछता नहीं है। बाजार जब से आया है, तब से उनकी कोई पूछ नहीं, कोई जिक्र नहीं, उनका कोई नहीं है। आज ऐसा हो गया कि लोग अपनी-अपनी पार्टियों के मेनिफेस्टो को संविधान बना रहे हैं कि हमने जो मेनिफेस्टो निकाल दिया, वही संविधान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संविधान के परे कोई भी पार्टियों का मेनिफेस्टो नहीं हो सकता और इस बात को जान लें कि अगर इस तरह की बातें चलेंगी, तो देश कहां जाएगा। जो लोग ठीक सोचने वाले हैं, वे बहुत दुखी हैं और तकलीफ में हैं कि देश कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं? यह जरूर है कि आज का वातावरण ठीक है, लेकिन क्या न्याय की बहस यहां हो पाती है, क्या हो पाई है? हमने जो फैसले किए हैं, उनमें कोई न्याय है, मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग जब इस सदन में बैठते हैं, तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि सदन को चलाने में व्यवधान हो। जब भी सदन को चलाने में जरा सी गड़बड़ होती है, तो हमको तकलीफ होती है। आडवाणी जी के बाद मैं यहां सबसे ज्यादा समय से हूँ। वह वर्ष 1972 में आए और मैं 1974 में आया था। मैंने जवाहर लाल नेहरू जी और शास्त्री जी को छोड़कर बाकी सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, यहां नेता सदन देखे हैं, मैंने बहस देखी है, लेकिन उस बहस में हम

लोग उस समय जो बोल पाते थे आज नहीं बोल पाते हैं। न्याय का जो नजरिया है, जस्टिस के लिए जो दिमाग होता है, इस देश में हम लोग महात्मा जी का नाम लेते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात थी कि न्याय के लिए चाहे जो हो जाए, वह जनता से कट जाएं, लेकिन सच बोलने में कभी पीछे नहीं रहते थे। खैर, यहां आबादी का मामला है, आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता का मामला है। आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता लिपटे हुए सवाल हैं, लेकिन कभी यहां सामाजिक विषमता पर बहस नहीं हुई। मां गुलाम क्यों है? अरे, जाति के चलते गुलाम है। आप कानून बना रहे हैं, कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, समाज नहीं बदलेंगे हम, तो देश नहीं बनेगा। बुद्ध ने कहा है : “जगत बनेगा तो व्यक्ति बनेगा, व्यक्ति से जगत नहीं बन सकता।” इस सदन से देश नहीं बनेगा, जिस समाज से हम लोग आए हैं, उस समाज को रोगमुक्त करने का काम बहस से होगा, मन-परिवर्तन से होगा, नफरता से नहीं होगा। यही रास्ता हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, लेकिन निश्चित तौर पर यहां अच्छी-अच्छी बहस हुई है, लेकिन वह बहस लोगों को याद नहीं है, ऐसी बातें याद रह गयी हैं और रहना भी चाहिए। मैं आपके बाजू में उस दिन खड़ा था, जिस दिन यहां इस तरह की हरकत हो रही थी। मैं बहुत देर तक समझा नहीं कि स्मेल करने में क्या गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप वहां जिस साहस से डटी रहीं और उस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इस पूरे सदन के सब सदस्यों की कोई गलती नहीं है, लेकिन वे जो 40-45 सदस्य थे, हम बाकी 500 लोग यहां बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। हिन्दुस्तान में अंधेरा ही देखते हैं लोग, दिन भी होता है और रात भी होती है। दोनों तरफ देखने का नजरिया हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में नहीं आएगा, तो बात नहीं बनेगी।

मैं प्रधानमंत्री जी का, सोनिया जी का, नेता सदन का और आडवाणी जी का धन्यवाद करता हूं। सुषमा जी ने जितने सवाल उठाए, हम हर बार उनके साथ रहे और हमने जो सवाल उठाए, उनमें उन्होंने साथ दिया। यहां मुलायम सिंह यादव जी, आचार्य जी, दारा सिंह चौहान जी आदि जो लोग थे, चाहे वे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, अच्छे सवालों पर एक रहकर हम लोग आगे बढ़े हैं और आज जो सब लोगों ने कामना की है कि सदन में रहते ऐसे रिश्ते हो जाते हैं कि यहां बोलते हैं और बाहर गले मिलते हैं। ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि आदमी भूलता नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोगों की शुभकामना होगी कि सदन में जितने सदस्य हैं, वे फिर से आ जाएं, तो अगली लोक सभा - 16वीं लोक सभा ज्यादा बढ़िया चलेगी, क्योंकि हम एक-दूसरे को समझ गए हैं। लोकतंत्र मनभेद की चीज नहीं है, मतभेद की चीज है।

अगर कभी किसी बात पर ऊंच-नीच हो गई हो किसी के साथ भी तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस मौके पर उन सारी बातों को भुलाकर हमें एक-दूसरे को माफ करके यहां से खुशी-खुशी जाना चाहिए। इस आखिरी सत्र के अंतिम दिन मैं सबको हिल-मिलकर चलने के लिए बधाई देता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद



अध्यक्ष महोदया जी मैं आपको देना चाहता हूँ और आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप फिर से यहां आएंगी, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: इसके लिए आपको धन्यवाद।

16.00 hrs.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आपने 15वीं लोक सभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन में हमें अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस लोक सभा में पहली बार चुनकर आया हूँ। मेरी तरह कई सांसद पहली बार यहां आए हैं। हमारे दल की नेता मायावती जी के आशीर्वाद से पहली चुनकर यहां आने पर भी मुझे अपनी पार्टी का यहां नेता बनाया।

लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में चाहे आर्थिक मुद्दे हों या सामाजिक, राष्ट्रहित के हों या जनहित के, जब भी उन पर इस सदन में चर्चा हुई तो हमारी पार्टी की नेता ने हमेशा उनका समर्थन किया है। हो सकता है कि कभी-कभी आपको हमारी जिद के चलते दुख भी पहुंचा हो, लेकिन आप हमारी संरक्षक रही हैं और हैं भी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सदस्य इस सदन में पहली बार चुनकर आए हैं। उनमें से कइयों को बोलने का मौका नहीं मिला, उससे हम थोड़ा मर्माहत भी हुए हैं। हो सकता है आपकी मजबूरी भी रही हो। बहुत से इश्यू थे, बहुत सी बातें थी, जो हम नहीं कह पाए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सभी पक्ष के लोग उन बातों को यहां रखेंगे। अभी तो सबमें यहां आने की होड़ लगी है। मेरी तरफ से यहां आने वालों को शुभकामनाएं हैं। हम भी चाहते हैं कि जो भी यहां के सदस्य हैं, वे फिर से चुनकर यहां आएँ।

लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर पर बहुत से लोगों का भरोसा है। इसलिए कई लोगों के कई इश्यू हैं, जो जनहित के सवाल थे, पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने एक साथ कई मौकों पर खड़े होकर एक स्वर से समर्थन किया और उन पर चर्चा की। जैसा कि अभी शरद जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ कि सभी इश्यू पर जैसे भ्रष्टाचार है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैंने एक मुद्दा उठाया था कि इस देश में सामाजिक गैरबराबरी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। किसी चीज का श्रेय लेना भी उसी दायरे में आता है। हम सबको मिलकर आने वाले दिनों में जब लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में आएंगे तो यह अपेक्षा और विश्वास रखेंगे कि जनहित के जितने भी विषय हों, उन पर चर्चा हो।

मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं पहली बार यहां आया और हमारी पार्टी की नेता ने मुझे यहां अपने दल का नेता बनने का मौका दिया। जो लोग नई लोक सभा में आएंगे, उन्हें भरपूर मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को अपनी बात कहने का और जनहित के सवालों को उठाने का अवसर दिया।



PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, today is the thanks giving day. On the last day of the 15th Lok Sabha, may I take the opportunity to thank you for the gracious way in which you have conducted the House? Your grace, your dignity, your poise, and your equanimity in very adverse circumstances have caused admiration among all and sundry. Earlier this week, I was finding the usual smile missing from your face. You were obviously worried and anxious. I am happy to see that on the last day that trademark smile has returned to your face. We thank you. You added to the grace and dignity of the House.

I had the opportunity to be in the 6th Lok Sabha with your illustrious father, Babu Jagjivan Ram. I may say that you have carried forward his legacy as the leader of the oppressed classes with the best of your ability. May I wish you, Madam, long life?

We are one of those people who had the opportunity to sit both in the Treasury Benches till our leader Kumari Mamata Banerjee decided to withdraw and thereafter in the Opposition Benches. In the same 15th Lok Sabha we have occupied both the Benches.

When I met the Prime Minister in the corridors of Parliament after my first speech in the Opposition, he told me ‘you have spoken well, but please do not be harsh to the people.’ I regret if harsh words have hurt anybody. But, in the spirit of opposition, sometimes maybe we use wrong words. This must be our mistake, which I regret.

As everybody has said, none of us knows as to who will come back in the 16th Lok Sabha. It is up to the people of the country. But, having seen the 15th Lok Sabha for five years, I do feel that the Members of the 16th Lok Sabha will have to consider how to make the functioning of the Parliament more efficacious. If people look at the functioning of the Parliament, days together are wasted because of what we do. People feel disappointed. Maybe, we have not been able to fulfil our task. I am sure that the posterity will judge us in a kinder light and I hope that the future will be bright.

I would like to say only one thing about this Parliament. Whenever the question of communal riots or divisive matters has arisen, the House has stood like one. I remember in this House we discussed the riotous situation in Goalpara, Assam. All sections of the House came together to say that such things must stop. To recollect John Donne's words:

“Every man's death diminishes me for I am involved in mankind. Therefore, ask me not for whom the bell tolls, it tolls for thee.”

We must stand together to keep this country united irrespective of class, creed or religion. Other Members have spoken of the poverty, deprivation, unemployment that still exist in this country. I am reminded of a poem which was found besides Pundit Jawaharlal Nehru's bed when he died. It was a poem by Robert Frost. He wrote:

“Woods are lovely dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep.”

We do not have any time to rest, to take this country out of the morass of poverty. We have many miles to go. It is true that we have achieved and crossed many milestones. But there are miles to go before I sleep. Let me again take the opportunity of thanking you for the grace and dignity with which you have adorned the Chair of the Speaker of the House. I take this opportunity for thanking the Prime Minister, the Leader of the House, the Chairman of the UPA, Leader of the Opposition, respected Shri Advaniji and leaders of all political parties.

Whatever happens in the elections, let us leave this House with pleasant memories so that posterity remembers us as people who tried to do something for the country. With these words, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, and our leader, Mamata Banerjee, may I again respectfully thank you, Madam?

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, Madam, this is the last day of the 15th Session of the 15th Lok Sabha. With the blessings of my leader, Dr.

Kalaignar Karunanidhi, I had been elected to the Rajya Sabha once from 1986 to 1992. This is my fifth term in Lok Sabha wherein I could find the maximum number of turmoils in a Session I could ever see, but it is not an insult of democracy. In democracy, we have to confront the policy and principles of any party. This is the temple of democracy. This is the most important place. This is the apex body. Where will we confront the issues? Conflicts have to be settled here only. That is why, many friends of mine, the Members of Parliament on this side and that side, made some turmoil, but you should not take it to your heart. I think, you have the pragmatic approach.

With due support of the hon. President of Congress, the Leader of the Opposition and senior colleagues, you have drawn the strength to conduct this House in a nice way. Your conduct of the House and your approach towards the Members was so pragmatic and exemplary. I thank you on behalf of my friends in DMK and I wish you all success, hale and health.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आपने 15वीं लोकसभा बहुत धीरज से चलाई है और हमने कभी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा है।

महोदया, सदन में मैं 34 सालों से हूँ। वर्ष 1980 में मैं चुनकर आया था। मुझे याद है, उस समय मैं पीछे बैठता था और उस समय जो स्टालवर्ड्स, सदन में नेता थे, उनका भाषण सुनता था। उस समय सातवीं लोक सभा, आठवीं लोक सभा और पन्द्रहवीं लोक सभा की तुलना करते हैं, तो बहुत अंतर देखते हैं। कभी-कभी सोचते हैं कि हम चुन कर आए हैं। हमारी एकाउंटेबिलिटी है, as Executive is accountable to Parliament, Parliament is accountable to the people of the country.

देश की जनता के प्रति हमारा दायित्व है, हमारी एकाउंटेबिलिटी है। क्या हम इसका पालन सदन में कर रहे हैं? हमारे देश की जो आम जनता है, किसान हैं, उनकी समस्या हम कहां उठाएंगे? उनकी समस्या हमें सदन में ही उठानी है। जब उनकी समस्या हमें उठाने का मौका नहीं मिलता, तब मन में दुख होता है कि जिन्होंने हमें यहां चुन कर भेजा है, वे आशा करते हैं कि उनकी समस्या को हम यहां उठाएं। उनकी समस्याओं को हम यहां सदन में बताएं और उनका कुछ निदान हो तथा हम आगे बढ़ें। It is a fact that we have gone ahead, but the problems that we are confronted with are getting accentuated, and the crisis in many sectors is getting accentuated. तब कभी कभी इंटरस्पैक्शन करना पड़ता है कि हमारे ऊपर जो दायित्व है, उसका हम ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज उस दिन को हम याद करते हैं। कभी-कभी हमने भी बोला है जब 1990 में तमाम विरोधी दल यहां से इस्तीफा देकर चले गये। एक ही बात कहकर गये कि हम सदन में लड़ें लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। सदन से बाहर सड़क में जाकर मैदान में जाकर हम लोग लड़ेंगे।

यह सदन केवल सत्ता पक्ष का नहीं बल्कि विरोधी पक्ष का भी है और सदन दोनों पक्षों के सहयोग से ही चलता है। कभी कभी जब यह सहयोग नहीं होता है तब सदन नहीं चलता है लेकिन यह सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। बातचीत करके, सलाह-परामर्श करके, क्या हम इस समस्या का निदान नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। जो करना चाहिए, लोकतंत्र में और खासकर हम लोग संसदीय लोकतंत्र में परस्पर बातचीत करके ही सदन को चलाने की समस्या का समाधान करते हैं लेकिन कभी कभी इसमें भी अड़चन-बाधा आ जाती है। वह हम लोगों को देखना चाहिए। We represent the people of our country, that is, the people belonging to poorer sections; the working class; the

peasantry; and when we are not in a position to raise their problems, तब मन में कुछ दुख होता है।

आपने इस सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की लेकिन कभी सफल हुई और कभी सफल नहीं हुई। लेकिन आपने जिस तरह से सदन को चलाया है, जिस तरह से सबकी बात सुनकर, कभी कभी In the usual meetings on the eve of the Session we used to raise certain issues, लेकिन उन इश्यूज पर जब चर्चा नहीं होती है, तो दुख होता है। मीटिंग में जो तय होता है, उसके बाद नहीं होता है, तब हमारे मन में कुछ चिंता होती है, शंका होती है और इस बार ऐसा हुआ कि आपने हमें चार मुद्दों को उठाने की इजाजत दी थी। Under Short-Duration Discussion, for the first time, I initiated a debate, but these four discussions remained inconclusive. I have never seen in any of the Lok Sabhas the discussion remaining inconclusive. जब हम कोई बहस उठाते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है तो वह चर्चा एक कंकलूजन पर पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो शंका होती है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और हमारे सदन के नेता जिनको हमने कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। वे कठिन समस्या होने पर भी हर समय हंसती रहती हैं। हम लोग गुस्सा होते हैं लेकिन वह हर समय हंसती हैं, ऐसी सदन की नेता हमने पहले नहीं देखी। अभी भी वे हंस रही हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आडवाणी जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। 13वीं लोकसभा में इन्द्रजीत गुप्त जी को फादर ऑफ दि हाउस बोलते थे। बालयोगी जी स्पीकर थे, उनको फादर आफ दि हाउस बोलते थे। अभी आडवाणी जी को फादर आफ दि हाउस हैं क्योंकि वे सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य हैं। सुषमा जी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात सदन में रखती हैं, उनको सिस्टर आफ दि हाउस कह सकते हैं। हमारी सबके लिए शुभकामना है। हम सब यहां से अब चले जाएंगे। अब चुनाव के मैदान में मिलेंगे। चुनाव के बाद कौन आएगा या कौन नहीं आएगा यह जनता के ऊपर निर्भर करता है। It depends on the people whether we will be elected or not. But we all will be in the field.

मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। हमने पहले कभी नहीं देखा कि अंतिम सत्र के अंतिम दिन वैलेडिक्टरी फंक्शन पर सदस्यों को बोलने का मौका मिला हो। 14वीं लोकसभा में भी हम दल के नेता थे लेकिन ऐसे पहले नहीं देखा कि वैलेडिक्टरी फंक्शन पर सबको बोलने का मौका मिला हो।


SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, with your permission, I wish to speak from this seat.

During my Higher Secondary education, in a class of History, we were asked to summarize the 18 Volumes of Mahabharata in one line. Many a time

from the Chair, not necessarily by you, Madam, we have been told to minimize our speeches or to keep it as minimum as it can be. At that time, I always remembered what has been inscribed in the British Parliamentary Library, which records that “A wise man speaks only in three minutes.” I am not going to take more time. The answer to that question which the teacher had posed before us was also given by him. He said, “Mahabharata War was fought, Yudhistara got, Duryodhana not.” That is not the true picture of Mahabharata when one goes into that.

When we are told from the Chair to restrict our speech, I always remember both of these two instances.

Another question was asked in the battlefield of Kurukshetra. The question was regarding who performed the best. Some said “I did”; some said “He did”; and others said “We did”. But that question answered by Belalsen, who said: “I saw only one wheel of Sudarsana going around Kurukshetra and that Sudarsana Chakra did.” At that time, I look at "Dharma Chakra pravartanaya" that is rested on top of the Speaker's Chair. It is Devanagari Script and it is a Sanskrit Sloka. That says, “The wheel of righteousness shall prevail.” Whatever we have been doing in this House, we may take credit, but it is someone above us who is actually motivating us to do the righteous thing.

If there is some mistake somewhere which of course, “To err is human” does happen but that gets corrected because the wheel of righteous is turning. It is turning for the good of the nation. Here I would say that we could speak in the House. We are only 14 Members of Biju Janata Dal in this House of 545 Members but we could participate in different deliberations. We could express our opinion. It is just because of you Madam.  You have protected our interests and the interests of smaller parties. You have appreciated the debates that we have participated and you have always tried to encourage Members to ventilate the voice of the people especially those of the downtrodden and the deprived.

Thank you Madam for conducting this House in a proper manner. I also thank all the Leaders of this House of different political parties, Leader of the House Shri Shinde; hon. Prime Minister; Leader of the UPA Mrs. Sonia Gandhi; hon. Advaniji from whom I have taken a lot of guidance to perform in this House and from many Members also and also the Leader of the Opposition, Madam Sushma Ji.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD PAWAR): Madam Speaker, I am speaking in the capacity of Minister of Agriculture because as on today, my Membership of the Lok Sabha has been ceased. I got elected to the Rajya Sabha. I have no authority to speak as a Member of Parliament, Lok Sabha in this House but in the capacity of Minister of Agriculture, I got every right to say and I especially requested Madam Speaker to give me an opportunity because I was eager to express my gratitude to all the Members of the House particularly the Prime Minister, Chairperson of the UPA, Leader of the Opposition, Minister of Finance and each and every Member of the House who have always supported the cause of the farming community in this country.

It is true that India is a major farming country in the world but as a Minister of Agriculture, I have written it on some occasion, I got BRICS when the situation came to import wheat from some countries which was not liked by these Members.

I recollect when insufficient agriculture credit was provided, that time from Opposition side, there was a bitter criticism but I am extremely happy that corrective action has been taken by hon. Prime Minister and we have seen all together different season. It is true that a few years back, India was a country which was importing some of the things. But I am proud to say and I will give hundred per cent credit to the farming community of this country. Today, India is the largest exporter of rice in the world. India stood number one in the export of rice. India is the second largest exporter of wheat, sugar and cotton in the world; and last year earning by the agriculture export was Rs. 2 lakh and 32 thousand crore. This entire credit goes to the farming community of this country. I salute the farmers and simultaneously, I am grateful that each and every Member of the House supported for farmers' cause. That is the reason why I am here.

Secondly, India has changed the map of the world's horticulture. This year, our total horticulture production has gone beyond 260 million and our total food grain production has gone beyond 263.5 million. We have also established world

record in export in fishery and meat. This entire credit goes to the farmers and others. Again I have no hesitation to say that each and every Member irrespective of his Party has supported the cause of the farmer. That is the reason why this happened.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, my best wishes to you as the custodian of the House, the way you have protected our rights, sometimes you failed too. The point is that it is not a day of pleasantries. It is a day of introspection. At the end of the long journey – 10 long years -- there is a need for introspection, whether we have done our job, whether we have not been able to do our job.

I have great faith in the highest national forum, the temple of Indian democracy. I have a great regard and respect for the Indian pluralism. I have been in Parliament for long 25 years -- two terms in Lok Sabha and three terms in Rajya Sabha. There is a need for introspection for all of us whether we have done our job that we have been entrusted with.

India is at a cross road. We have done really well in food production. But there are many areas where it is grey and black. Despite production, the highest numbers of hungry people live in India. India is at a cross road and Parliament must restore it. If you like it or not I feel, I must bring the truth. India is at a cross road. We are facing unbelievable crisis in different spheres. Parliament must do its job. The credibility of the Parliament must be restored in the eyes of the millions of the people who have been watching us. Nation has a faith in Parliament. Parliament must be equal to the faith that India has reposed on it. We must remember – excuse me for using a strong word – that it is the Parliament, Parliament of the emerging nation, Parliament of multiple ideas, Parliament that is bound to be of opinions not coinciding but contradicting. Even then, Parliament is Parliament; it is not a boxing ring. The decline must be stopped, must be prevented. The decline must be prevented in all respect. On the one hand, number of days of Parliament has been shortened. From 100 days it has come to sixty. On the other hand, we do not function. Therefore, I am constrained to say that the decline must be stopped. We must have introspection and rededicate ourselves to the strengthening of the system, otherwise nation will be bereaved.

Madam, my thanks to you; my thanks to the Prime Minister; my thanks to the Leader of the Opposition; my thanks to Advaniji; my thanks to Soniaji; my thanks to all my friends who agree with me or disagree with me. I believe that at the end of the journey, we must believe that we should be doing much more than we have been able to do. At least, nation expects that we should fulfil the national task that has been reposed on us by millions of the people.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदया, 14वीं लोक सभा के बाद 15वीं लोक सभा का भी सत्रावसान होने जा रहा है। इस अवसर पर आपने सभी को बोलने का मौका दिया, सभी लोग प्रसन्न हैं। इससे यह भी एक लक्षण दिखता है कि अंत भला तो सब भला। आज सत्र के अंतिम दिन कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग अपनी बात रख रहे हैं! इस 15वीं लोक सभा में बरबादी ज़्यादा हुई है।

हालांकि इसका रिकार्ड हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली के इतिहास में लोकपाल विधेयक पारित करने का था जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून है। इस सदन को रिहब्लिटेशन वाला कानून, फूड वाला कानून इत्यादि को पास करने का गौरव प्राप्त है, वहीं अफसोस है कि अधूरा काम रह गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ विधेयक पास करने के लिए तैयार थे, सूची में भी थे, लेकिन अफसोस है कि वे पास नहीं हो सके। बहुत से महत्वपूर्ण कानून थे, जो पास नहीं हो सके, अगली लोक सभा उन सभी को देखेगी। लेकिन 15वीं लोक सभा में कार्रवाई बाधित होने से समय की काफी बर्बादी हुई, जिसे लोगों ने सही नहीं माना। माननीय सदस्यों की राय से मैं सहमत हूँ कि “अब लौ नसानी अब न नसैं हो।” जो बर्बाद हुआ सो हुआ। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि “मुझे बर्बादी का कोई गम नहीं, गम की बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ।” सवा सौ करोड़ की आबादी की यह प्रतिनिधि संस्था है और पूरे देश के लोगों की नज़र इस पर लगी रहती है, खासकर के गांव में जो गरीब और अंतिम आदमी बसता है, वह किसान है, मजदूर है, नौजवान है, गरीब आदमी है, बेरोजगार है, सभी ने आशा लगायी कि पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठा या नहीं? हमारी समस्या का हल हुआ या नहीं? कितनी लोगों की हम से आशा है। लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया, उसका यह प्रतीक लोक सभा का संचालन साधारण काम नहीं था। आप इस आसन पर थीं और लोगों ने कहा कि गुस्सा न करके भी इस 15वीं लोक सभा का काम आपने किया। सभी नेता अब 16वीं लोक सभा के लिए लड़ेंगे, कि “लड़ना भर मेरा काम रहा, यह जनता का संग्राम रहा।” इस हिसाब से आगे की लोक सभा की तैयारी शुरू हो गई है। आज अंत हो रहा है, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बैठे हुए हैं और इसी के प्रति लोगों की आशा है। जो अधूरा काम रह गया, वह पूरा करेंगे। यह पार्लियामेंट समाज का दर्पण है, देश का दर्पण है। गांव में कोलाहल होगा, यहां भी कोलाहल होगा, जैसे पार्लियामेंट एक कड़ाही की तरह है। यहां सब्जियां कड़ाही में पैदा नहीं होती, सब्जियां खेतों में पैदा होती हैं और खेत से सब्जी लाकर के कड़ाही में काट कर, मसाला-मिर्च डाल कर स्वादिष्ट सब्जी बनती है, उसी तरह से जहां जनता रहती है, वहां नई बातें पैदा होती हैं और वह नई बातें सदन में आकर के कानून बनती हैं। यहां कोई नई बातें पैदा नहीं होती हैं। जिस तरह से सब्जियां कड़ाही में पैदा नहीं होती हैं। इसलिए बहुत से कानून बनें, कुछ बाकी हैं, जिनको हम 16वीं लोक सभा में पूरा करेंगे। सदस्यों

को जनता की समस्याओं को उठाने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी जवाबदेह होना चाहिए और विपक्ष को भी रचनात्मक होना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। टूटा-बिखरा विपक्ष, इधर सत्ता की भी घोर अव्यवस्था। इस कारण से बहुत कुछ खराबी हुई, लेकिन महोदया आपने संभाल लिया। इसलिए हम सभी नेताओं के प्रति शुभकामना और आभार। प्रधानमंत्री जी, सदन के नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जी, शरद पवार साहिब, इधर उपाध्यक्ष महोदय भी हैं, श्रीमती सुषमा जी, आडवाणी जी सबसे सीनियर नेता, नेता मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, श्री दारा सिंह चौहान, टी.आर. बालू साहिब और सभी नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति शुभकामना। बाबू लालू की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सभी को हम शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं कि 15वीं लोक सभा पार लग गई। 16वीं लोक सभा में इसी तरह से लोग चुनकर आएँ और जनता की समस्या का समाधान करें, देश को आगे बढ़ाने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, गरीबी, बेरोजगारी और विषमता हटाने का काम करें। यही हमारी शुभकामना है। सभी माननीय सदस्यों के प्रति हम आभार मानते हैं।... (व्यवधान)

महोदया, हमारे मुहल्ले के लोग गरीबों की समस्याओं को ज्यादा उठाते रहे हैं। इसलिए फिर इसी तरह से ये लोग चुन कर आ जाएँ, हमारी शुभकामना है।

इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शुभकामना देता हूँ। अगर कहीं कोई चूक हुई हो तो भूल-चूक लेनी-देनी माफ हो। सभी लोग गुस्ताखी माफ करेंगे। यही हमारी प्रार्थना है, यही आराधना है। सोलहवीं लोक सभा के लिए सब के प्रति शुभकामना है।

*SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Hon'ble Madam Speaker. Vanakkam. As the Presiding Officer of the House, Madam Speaker, you have successfully conducted the 15th Lok Sabha. This is the last sitting of 15th Lok Sabha. I must mention that this House was disrupted for so many days on several issues of national interest. I wish and hope that the 16th Lok Sabha would not be disrupted and function smoothly. I extend my heartfelt wishes to the Members of Leaders of Lok Sabha on behalf of General Secretary of AIADMK and Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. *Puratchithalaivi* Amma. .

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): ज़नाब ऑनरेबल स्पीकर, ज़नाब ऑनरेबल मोअज़िज़ मेम्बराने लोक सभा, इस वक्त हम पन्द्रहवीं लोक सभा के इख़तामी इज़लास में मोहतरम स्पीकार साहिबां ने हम को दो शब्द बोल बोलने का समय दिया, इसके लिए इनके शुक्रगुज़ार हैं। ये ज़गह जहां हम हैं, ये हिन्दुस्तान का दिल है, हिन्दुस्तानी आवाम का दिल है, हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों की उम्मीदों का मरकज़ है, उनकी तमन्नाओं का एक महवर है। इसी हाउस ने हिन्दुस्तान को एक आईन दिया है, एक दस्तूर दिया है मुल्क चलाने का, एक दस्तूर दिया है यह हाउस चलाने का, एक लाहे-अमल ज़िन्दगी का इस मुल्क को दे दिया है। लिहाज़ा, इस हाउस की कद्र बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम अपनी हरकतों से खुद इसकी कद्र को घटाएं, अगर हम अपनी हरकतों से खुद इसकी क़ीमत कम कर लें, वह आवाम का कसूर नहीं, वह हमारा कसूर होगा।

मेरी खुशकिस्मती है कि एक छोटे इन्सान को इतने बहुत महान और बड़े इन्सानों के दरम्यान बैठने का और बात करने का मौका मिला है तो वह इसी ज़म्हूरियत की वज़ह से, इसी दस्तूर की वज़ह से हुआ है, वरना यह मुमकिन नहीं था।

मैं मुसलमान हूं और बहेसियत मुसलमान मुझ पर हुक्म है - हुबुल वतन-ऐ-निस्फुल इमान। इमान तो उतनी देर तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक न मुसलमान अपने वतन के साथ प्यार और मोहब्बत करेगा।

मैडम स्पीकर, बहुत दिक्कतें आपके सामने रहीं, इम्तहान पर गुज़रीं आप। मुश्किलात का आप ने मुकाबला किया लेकिन हाउस के वक्रार और डिग्निटी को आप ने बरकरार रखा। आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं। दिल उछलता है यहां देखकर, इतने बड़े, महान, हमारे दरम्यान ज़नाब आडवाणी साहब, जो अस्सी साला तारीख हैं इस मुल्क के, हमारे सामने हैं।

हमारी मोहतरमा सुषमा जी, इनकी तकरीरें सुनने के लिए हम दौड़ कर आते थे, सुनते थे और उनमें सिर्फ देश की दर्द होती थी, देश के लोगों की बात होती थी। हम जितने भी नेता हैं, इख़िलाफ राय लाज़िमी है, फिर ज़म्हूरियत नहीं रहेगी, अगर हम इख़िलाफ राय आपस में नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ मखन लगाने की बात करते रहेंगे तो हमारे हालात ठीक नहीं रहेंगे। नुक्तचीनी और तनकीद, ये ज़म्हूरियत की जान हैं और उसकी रूह है, लेकिन इसमें सदकदिली और नेक नियती से करना चाहिए। उसमें नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए और अलहमदु लिल्लाह हमें ऐसे लगा कि सभी नेता, तमाम रहनुमा, मुल्क के जितनी भी पार्टियों के हैं, वे इतिहाई खुलुस नीयत के साथ लोगों के मसायल को सामने रखते थे। हम वज़ीरेआज़म के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने यूपीए की कयादत की और इख़िलाफ इनके साथ किए लोगों ने, लेकिन इनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। एक साफ दामन, आज नहीं, मैं इनको राज्य

सभा से जानता हूँ, जब ये वहाँ हिज़्बे इख़्तिलाफ़ के रहनुमा थे। मुख़र सर बात, बल्कि बात न करना, ये ख़ामोशी गुफ़्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी और न बोलने में ये सब कुछ बोल जाते थे, पार्टी और मुल्क की रहनुमाई करते रहे और जहाँ भी गए, मुल्क के लिए नाम पैदा कर लिया।

मोहतरमा सोनिया जी, बीच में इनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब अल्ला-ताला ने इनको सेहत बख़्शी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह-ताला इनको लम्बी उम्र दे, सेहत दे। इन पर नज़रे लगी हुई हैं कि ये इस मुल्क को, सबके साथ मिल कर आगे चलाएंगे। मोहतरम, कमल नाथ जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जिस जद्दोज़हद और जिस मेहनत के साथ चलाने की कोशिश करते थे, वह इन आंखों ने देखा है, उसके लिए उनको मुबारक। जनाब शरद पवार साहब तो एक सीनियर लीडर हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, कई मीटिंग्स में इनसे मिलने का हमको मौका मिला। जिस सब्र और शांति से इन्होंने बातें सुनीं, इनके शुक्रगुज़ार हैं। आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आगे-पीछे बैठे हैं, आप सब इल्म वाले हैं, जानने वाले हैं। ऐलेमोर ऐहलेकलम हैं, ऐहलेजुबान हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के साथ हमें बैठने का मौका मिला। इसी तरह अपोजिशन के रहनुमा, मैं सब का नाम तो अलग-अलग नहीं ले सकता, इनके लिए इनकी मोहब्बत और इज़्जत हमारे दिल में है और यकीनन वह है। इसीलिए कि इनके रोल को, जो इन्होंने यहाँ अदा किया, उसको हम सराहते हैं।

अफसोस इस बात का है कि कई अच्छे कवानीन, जो मुल्क की मफ़ादात के लिए लाने थे, वे पास नहीं हो पाए, इसका अफसोस है, लेकिन जो कवानीन पास हुए हैं, जिनका जिक्र इन्होंने भी किया और बहुत से लोगों ने किया, वे संगेमील की हैसियत रखते हैं, वे एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, हमारे मुल्क के लोगों के लिए। यह अल्फ़ाज़ कह करके मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने कायदीन की तरफ से और अपने आवाम की तरफ से, जिनकी मैं रहनुमाइ करता रहा, उनकी नुमाइंदगी करता रहा, उनकी तरफ से आप सब का शुक्रिया और मैडम आपका शुक्रिया, आपके सब्र और आपकी हिकमतें अमली की दाद देनी पड़ती है। जब हालात बहुत ख़राब होते थे, जिस वक़्त आप हाथ बांध कर कहती हैं एडजान्ड, बस मामला ठप। सब अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाते थे। लिहाज़ा मैं यही कहूंगा, बशीर बद्र एक बार पाकिस्तान गए थे, वहाँ से आने के बाद हमने पूछा था, क्या बात है सियासत की, तो उन्होंने कहा कि हिन्दू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में है, इंसान परेशां है यहाँ भी और वहाँ भी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

आज 15वीं लोक सभा के अन्तिम सत्र का अन्तिम दिन है। हम यहां से बहुत सी खट्टी-मीठी यादें लेकर जा रहे हैं। यह लोक सभा अनेक विसंगतियों से भरी रही है। जब इस लोक सभा का इतिहास लिखा जायेगा तो एक पन्ने पर यह दर्ज होगा कि सबसे ज्यादा सदन की कार्यवाही जिस लोक सभा में बाधित हुई, वह 15वीं लोक सभा थी। लेकिन उसी के दूसरे पन्ने पर यह दर्ज होगा कि सबसे ज्यादा चिर-प्रतीक्षित विधेयकों को पारित करने वाली और बहुत उल्लेखनीय विधेयक पारित करने वाली भी 15वीं लोक सभा थी। अध्यक्ष जी, 40 साल से देश लोकपाल की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे गर्व है कि इस लोक सभा ने इस देश को लोकपाल देने का काम किया। तेलंगाना के लोग वर्षों से तेलंगाना निर्माण की बाट जोह रहे थे। इस लोक सभा ने तेलंगाना को जन्म दिया। भूमि अधिग्रहण विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक, मैनुअल स्कर्वेंजिंग विधेयक, स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक, ये ऐसे मील के पत्थर विधेयक हैं, जो इसी लोक सभा ने पारित किए हैं।

यह सदन उलझा भी बहुत और उलझ कर सुलझा भी है। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिन्दे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। इस शरारत और शराफत के बीच में बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण यह सदन चल सका। आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन आदरणीय प्रणव मुखर्जी को भी याद करना चाहूंगी, लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। यह इसलिए हुआ, क्योंकि, भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है और वह भाव क्या है। वह भाव यह है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, मगर शत्रु नहीं हैं और हम विरोध विचारधारा के आधार पर करते हैं, हम विरोध नीतियों के आधार पर करते हैं, हम विरोध कार्यक्रमों के आधार पर करते हैं। अलग-अलग है, इत्खलाफी विचारधारा है, अलग-अलग नीतियां सरकार बनाती है, अलग-अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वह आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में व्यक्तिगत सम्बन्धों के आड़े नहीं आती।

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वे हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे कि सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया और आज मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी, वह आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई।

अध्यक्षा जी, अब हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाते समय चाहिए तो यह था कि मैं सब को विजयी भव का आशीर्वाद देती, लेकिन अगर मैं वैसा करूंगी तो असत्य होगा। इसलिए मैं विजयी भव का आशीर्वाद तो नहीं दे पा रही, लेकिन यशस्वी भव का आशीर्वाद सब को दूंगी। मैं चाहूंगी कि यशस्विता से हम सब चुनाव लड़ें।

अध्यक्षा जी, आपकी तो मैं कायल हूँ, जिस बात को वासुदेव जी ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने निजी रूप में बहुत बार आपसे कहा है कि आपका स्वभाव और उस स्वभाव में क्रोध न आने का इस सदन को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम सब यशस्विता से चुनाव लड़ें, जनता जिसे जिताकर भेजे, क्योंकि, लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, विजय और पराजय का फैसला वही करती है। वह जिसे भी जिता कर भेजे, हम 16वीं लोक सभा में आयें और जो भूमिका हमें जनता दे, उस भूमिका को हम इसी सौहार्द से निभायें। जिस सौहार्द से आज हम इस अंतिम सत्र के अंतिम दिन पर, जिस नोट के ऊपर हम जा रहे हैं, इसी नोट पर हम वापस लौट कर आएँ और बहुत सद्भावना और सौहार्द के साथ सोलहवीं लोक सभा चलाएँ। यही शुभकामना देते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।



THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Speaker, as we come to the end of the journey of the 15th Lok Sabha, I join all Members of this august House to pay tribute to the manner in which you have conducted our proceedings.

Madam, in parliamentary life, there are bound to be differences among parties but there must also be ways and means of finding pathways to bring minimum amount of consistency and reconciliation so that the ship of the Indian State can move forward. And we have seen that, on certain crucial matters, this House has the capacity, the will, to rise above partisan strife and to find pathways of national reconciliation.

The manner in which the State of Telengana is being born is yet another indication that this country is capable of taking some of the most difficult decisions without any rancour, without worrying too much about the pros and cons of things that do not matter and we can take pride in the fact that the Telengana State, whose quest for being born was pending for the last sixty years, has ultimately seen the light of day.

The Food Security Bill is yet another landmark legislation. It will create a ray of hope among those who are deprived sections of our community. It will encourage our farmers to produce more. Sharad Pawar Ji has described the manner in which the agricultural situation in our country has improved and I compliment him for the manner in which he has guided the destiny of the Agriculture Ministry. Obviously, all Members of the House have played a very important role in bringing that outcome about.

Madam, we are now entering a phase where the people of India will once again have an opportunity to assess, to pass their judgement on the performance of Government, weaknesses of our Government, the achievements of the Government and it is in that process, that once again a new sense of consensus will emerge which will carry our country to new pathways.

I thank all the hon. Members of the House. I thank the Leader of the Opposition. I thank my colleague, Shri Sushil Kumar Shinde who, as the Leader of the House, has performed his duties with aplomb. I give all Members of this august House my best wishes and let us hope that, out of this strife, out of this tense atmosphere which prevailed for some time, there will be a birth of a new atmosphere of hope.

With these words, I conclude my remarks by once again thanking you, Madam Speaker, for the manner, the grace with which you have conducted the proceedings.



17.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : सम्मानित सदस्यगण, पन्द्रहवीं लोक सभा का सत्रावसान होने जा रहा है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो स्वभावतः विगत पांच वर्षों की स्मृतियां जीवंत हो उठी हैं। कितने ही ऐसे अवसर आए जो मिठास से भरे थे मानो बसंत ऋतु आ गई हो और फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह अग्नि परीक्षा की अनेकानेक घड़ियां आ जाया करती थीं और धर्मसंकट द्वार पर दस्तक देने लगते थे। पर हर बार मैंने और मुझे लगता है हम सबने यह महसूस किया कि इस सदन के पास अथाह आंतरिक शक्ति है जो इसे चलाती है। इस पर कितने भी आघात क्यों न हों, इसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम इसे आहत करें। निःसंदेह यह शक्ति देश के सीधे-सच्चे मेहनतकश लोगों से इस सदन को मिली है, जो हमारे लोकतंत्र को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं। मैं उन्हें नमन करती हूँ।

मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि 3 जून, 2009 को सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन करके मुझे लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सम्मान प्रदान किया। संविधान की गरिमा सदैव बनाए रखने का अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार पर निष्पक्षता से सभा का संचालन करने का गंभीर दायित्व मुझपर था जिसका मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार सदन के अंदर और बाहर हमेशा ध्यान रखा। लोगों की सामूहिक अभिलाषा को प्रतिबिंबित करने और उसकी नियति निर्धारित करने की जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई है। यह तभी संभव है जब विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श हो तथा जनता के समग्र कल्याण के लिए कारगर कानून बनें, विशेष रूप से तब जब ये मामले निर्धन और उपेक्षित वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हों। अतः मैंने सभी सदस्यों विशेषकर प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को अपने-अपने मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

आजादी के बाद हमने समतामूलक समाज रचना को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया जिससे समाज में किसी प्रकार की गैर-बराबरी न हो। हमारी संसद ने इसके लिए आवश्यक कानून भी बनाए। पर यह नितांत क्षोभकारक स्थिति है कि आज भी समाज में जातिगत भेदभाव और अत्याचार का विकराल रूप दिखाई देता है। शोषित, पीड़ित, वंचित लोग जीवन की त्रासदी का संताप झेल रहे हैं। अब इसका अंत होना ही चाहिए और संसद को ही यह करना होगा। इसी कारण इससे संबंधित चर्चा को मैंने सदैव प्राथमिकता दी।

मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरोकारों को उत्साहपूर्वक उठाया। कभी-कभी जब सभा में विभिन्न मत-मतांतरों के साथ विचारोत्तेजक बहस हुई और उनका कोई समाधान नजर नहीं आया तब विकल्प निकालने के लिए मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की। उन सभी ने मेरी दुविधा समझी और हम कई बार उपाय ढूंढने में सफल रहे, कई बार असफल भी हो गए।

महिला सदस्यों की भागीदारी पहले से अपेक्षाकृत अधिक है। उनमें से कई विदुषी हैं, कुशाग्र वेधा की धनी हैं और देश में उनकी अपनी पहचान और सम्मान है। पर मुझे संतोष तभी होता जब महिलाओं की संख्या कहीं अधिक होती। लोग मुझे महिलाओं से पक्षपात करने के लिए दोषी ठहराते हैं, जो मैं गर्व से स्वीकार करती हूं। दिसम्बर, 2012 के निर्भया कांड के पश्चात् सभा ने एक आवाज में इस हृदयद्रावक घटना की भर्त्सना की तथा शीघ्र ही एक नया कानून बनाकर स्वयं को समय की कसौटी पर खरा सिद्ध किया।

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों को लिंग निरपेक्ष बनाकर हमने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। आज तक विधानों में केवल पुरुषवाची शब्दों का प्रयोग होता आया था, पर लोक सभा के नियमों में ऐसे शब्दों का प्रयोग अब से होगा, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हों। यह भारत में अपनी तरह की एक नयी पहल है और मुझे विश्वास है कि इसका व्यापक रूप से अनुकरण किया जायेगा।

पूर्व परम्परा के अनुसार, लोक सभा सचिवालय पन्द्रहवीं लोक सभा और संसदीय समितियों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण देते हुए एक स्मारिका प्रकाशित करेगा। तथापि, मैं संक्षेप में कुछ मुख्य कार्यों और विशेष घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगी।

इस लोक सभा की अवधि में, मैंने अविलम्बनीय मामलों पर दो स्थगन प्रस्तावों की अनुमति दी। संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न काल के बाद और उस दिन की बैठक समाप्त होने के समय तत्काल निपटाये जाने वाले लोक महत्व के 3316 मामले उठाये गये। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 4019 मामले उठाये। 37 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये गये। मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 598 वक्तव्य दिये, जिनमें माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य भी शामिल हैं। 6778 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 650 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। मैंने छोटे-बड़े अलग-अलग दलों के सदस्यों को प्रश्न पूछने का भरसक मौका दिया। शेष तारांकित प्रश्नों और 73160 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभापटल पर रखे गये। सात आधे घंटे की चर्चाएं भी की गयीं।

पन्द्रहवीं लोक सभा ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2013; महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2012; खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013; निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2012; दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक, 2013; लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण विधेयक, 2010; कंपनी विधेयक, 2012 में संशोधन सहित 181 विधेयक पारित किये गये। गैर सरकारी सदस्यों के 372 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। महत्वपूर्ण विषयों पर 10 गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प भी प्रस्तुत किये गये।

कई कार्यविधि संबंधी सुधार करके सभा की प्रक्रिया को सुचारु बनाया गया। सदस्यों को बकाया अनुदानों की उन मांगों पर, जिन पर सभा में चर्चा नहीं की गयी थी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों और अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन करके प्रश्न काल को सुकर बनाया गया। इसी प्रकार, शून्यप्रहर में मामले उठाने की एक नई पद्धति शुरू की गई। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने संबंधी प्रणाली में भी बदलाव किया गया। हमारी संसदीय समितियों ने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की बड़ी एकाग्रता से समीक्षा की। दो नई समितियाँ- (1) लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति तथा (2) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति गठित की गई। समितियों ने नियमित रूप से बैठकें की, विभिन्न वर्गों के लोगों से मशविरा करने के लिए देश के अनेक स्थानों की यात्रा कर अपनी सिफारिशें दीं। लोक सभा की स्थायी समितियों ने 652 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। समितियों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन किये गये। पहले, संसदीय समितियों के दौरों के समय स्थानीय सांसदों को उनकी बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता था। उनके योगदान के महत्त्व को समझते हुए अब उन्हें आमंत्रित किया जाता है।

हमारे सदस्य लोगों की समस्याएँ समझते हैं। फिर भी अपनी जानकारी को निरंतर बढ़ाना उनके लिए आवश्यक है। उनकी सहायता के लिए तीन अतिरिक्त संसदीय मंच- (1) आपदा प्रबंधन, (2) दस्तकार और शिल्पकार तथा (3) सहस्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापित किए गए। ये मंच सदस्यों को किसी विशिष्ट विषय और उसके दूरगामी प्रभाव पर सलाह-मशविरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन मंचों में समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चाएँ हुईं तथा उपयुक्त सुझाव उभरकर सामने आए।

जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संसद भवन एक ऐतिहासिक इमारत है। इस अनोखे और भव्य भवन के वास्तुशिल्प को हू-ब-हू बनाए रखने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। यह समिति इसकी मज़बूती, विकास और सौन्दर्य से जुड़े प्रश्नों पर परामर्श देती है। हमने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से सौर-पैनल स्थापित किए हैं। परिसर में पॉलीथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारा कार्यालय यथासंभव कागजविहीन हो, इस पर कार्य हो रहा है। संसद की गतिविधियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। हमारे उद्यान में लगे पुराने विशाल वृक्षों पर खास तवज्जों दी जा रही है और पिछले पाँच वर्षों में देश के कई लुप्तप्राय वृक्ष यहाँ लगाये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह हमारा अभिनव प्रयत्न होगा। 13 मई, 2012 को हमने विशेष बैठक बुलाकर अपनी संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनायी। लोकतंत्र को देशवासियों ने आत्मसात कर लिया है। उन्होंने ही इसे प्राणवान बनाया है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के सभी हितधारक, विशेष रूप से युवा और बच्चे संसद को नज़दीक से देखें, इसे समझें, इसमें विश्वास करें। मैं स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को संसद आने के लिए निमंत्रित करती रही हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर और अन्य राज्यों के दूर-दराज़ के क्षेत्रों के स्कूली बच्चे संसद भवन देखने आए। ये बच्चे मुझसे हमारी संसदीय प्रणाली के बारे में ऐसे प्रश्न पूछते थे कि मुझे उनके बृहत् ज्ञान पर विस्मय भी होता था और अभिमान भी। संसद तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। संसदीय संग्रहालय में दृष्टिहीन आगन्तुकों के लिए ब्रेल लिपि को शामिल किया गया है। विभिन्न राज्यों तथा अन्य देशों से आये विधानमंडल के सदस्यों तथा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारा संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो सुविख्यात है।

हाल ही में भूटान के स्पीकर व सांसदों ने भी इसके विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाया। पहली बार म्यांमार जाकर उनकी संसद के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। अब स्पेनिश तथा अरबी जैसी विभिन्न विदेशी भाषाओं में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संसदीय कूटनीति का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ रहा है। राजनयिक विचार-विनिमय का यह एक अभिन्न अंग बन गया है। हमारे सांसदों ने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपने भाषणों से देश का मान बढ़ाया है। कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, सातवां महिला अध्यक्ष सम्मेलन, दक्षिण देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं सांसदों के संघ का पांचवां सम्मेलन शामिल है। हमने अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री बराक ओबामा की मेजबानी की, जिन्होंने भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित किया। यह एक वास्तविकता है कि अन्य देश हमारे लोकतंत्र की ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं और अपने जटिल विवादों को हल करने के लिए अक्सर हमारा उदाहरण

देते हैं। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है, पर इतना काफी नहीं है। इससे सबसे उत्तम और समावेशी लोकतंत्र भी होना चाहिए। जब मैं इस लोक सभा की उपलब्धियों को याद करती हूँ, तब मैं उन दिनों को भूल नहीं सकती जब मैं बेहद व्यथित हुई। बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण स्थगन तथा पूरे सत्र को बगैर कोई कार्य किए स्थगित करने पर मुझे इतनी वेदना हुई कि उससे उबर पाना मुश्किल हो गया। ये गतिरोध वज्रपात की तरह हमारी संसदीय व्यवस्था टूट पड़े थे। संसद में मेरा अगाध विश्वास है। मैं मानती हूँ कि यह मूक की वाणी है, अशक्त की शक्ति का अनन्त स्रोत है। इसलिए चाहूँगी कि कर्णभेदी तुमुल कोलाहल के स्थान पर इस सदन में अकाट्य तर्कों और शब्दों का सम्मोहन छा जाए। मैं हम सबकी इस विफलता से मर्माहत हूँ कि विगत लोक सभाओं के मुकाबले 15वीं लोक सभा के दौरान बहुत कम काम हुआ। यह हमारा दायित्व था कि सदन का काम-काज शत-प्रतिशत हो, इसकी विश्वसनीयता में गिरावट न आए। कई अप्रत्याशित और अवांछित घटनाओं ने इस सभा के निर्बाध संचालन और काम-काज को पंगु कर दिया। वस्तुतः यह केवल हमारे लिए ही नहीं, संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली के सभी हितैषियों के लिए पीड़ादायक है। हमारे प्रगतिकामी देश की श्री-समृद्धि और उसे शक्तिशाली बनाने का महास्वप्न हमारी लोक सभा के बेहतर कार्य-संपादन से जुड़ा हुआ है।

आज जब लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है, मैं राज्य सभा के माननीय सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी की संसद के दोनों सदनों के कार्य में समन्वय के लिए शुक्रगुजार हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी, सभा के माननीय नेता श्री सुशील कुमार शिन्दे जी एवं पूर्व माननीय नेता श्री प्रणब मुखर्जी जी, जो अब हमारे आदरणीय राष्ट्रपति हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी एवं पूर्व माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री कमलनाथ जी एवं पूर्व माननीय मंत्री श्री पवन कुमार बंसल जी को सभा के संचालन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस सभा के पीठासीन अधिकारी का विशिष्ट दायित्व साझा करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा जी और सभापति तालिका के सदस्यों की अनुग्रहित हूँ।

मैं संप्रग की माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति भी आभारी हूँ। मेरा कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं सभी दलों और समूहों के नेताओं और प्रत्येक सदस्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन न कर दूँ।

मैं इस सम्माननीय सभा के संचालन में निरंतर सहयोग देने हेतु लोक सभा के महासचिव श्री एस. बाल शेखर व पूर्व महासचिवों सर्वश्री पी.डी.टी आचारी एवं टी.के. विश्वनाथन तथा लोक सभा से संबंधित सभी कार्यों का प्रतिबद्धता, कुशलता और दक्षता से संचालन करने के लिए उनकी टीम के सभी अधिकारियों,



विशेष रूप से टेबल ऑफिस और लोक सभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, मेरे दोनों ओर खड़े रहने वाले मार्शल, चैम्बर अटेंडेंटे, नवनियुक्त महिला चैम्बर अटेंडेंट की भूरि भूरि प्रशंसा करती हूं। मैं संसद भवन परिसर की सजगता से रक्षा करने वाले संसदीय सुरक्षा सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की उनकी अथक सेवाओं के लिए जितनी तारीफ करूं कम है। सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे खान-पान सेवा, बागवानी विभाग और अन्य सहायक एजेंसियों की भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हृदय से सराहना करती हूं।

हमारी लोक सभा को देश की जनता से जोड़ने और उन तक सार्थक संदेश पहुंचाने में मीडिया की अत्यंत अहम भूमिका रही है। उन्होंने पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को निष्पादित किया। इसके लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों व लोक सभा टीवी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करती हूं।

पीठासीन अधिकारी के रूप में मैंने संसदीय संस्थान की सर्वोच्च परम्पराओं को बरकरार रखने का ईमानदारी प्रयास किया है और अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मेरी कामना है कि हमारे संसद की कीर्ति और उपलब्धियां हिमालय के तुंग शिखरों से भी ऊंची हों। इस पवित्र संस्था की संवेदना और भावना हिन्द महासागर से भी गहरी हो।

पिछले पांच वर्षों में मेरा प्रत्येक सदस्य आपसी सौहार्द का एक स्नेहसिक्त रिश्ता बना है। आज विदा की बेला में, मैं आपके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करती हूं। कामना करती हूं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो और सफलता आपके कदम चूमे।

मेरी प्रशंसा में आपने जो कहा है मैं उसके योग्य नहीं, परंतु आपकी उदारता के लिए हृदय से आप सबकी आभारी हूं।

इस सदन में बहुत दिनों से यह तहजीब रही है, रिवाज है और परम्परा है कि यहां कोई न कोई शेर या कविता जरूर सुनाई जाती है। आज शारिक साहब ने शेर सुनाया। मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधान

मंत्री जी भी सुनाएंगे और उसमें सुषमा जी भी कर्ज छोड़ती नहीं हैं इसलिए सुनाएंगी। मगर मैं समझती हूँ कि अंत में मैं ही सुना दूँ। मैं तो सामाजिक मुक्ति की सेनानियों की परम्परा से आती हूँ। इसीलिए उससे सम्बन्धित मेरी अपनी एक कविता की दो पंक्तियाँ हैं -

होने दो घनघोर गर्जना, तूफानों को आने दो।
जन्म की नहीं, कर्म की करो अर्चना, बाकी सब जाने दो।

अंत में मैं हिन्दुस्तान की लोकशाही की जय हो।

17.25 hrs.

NATIONAL SONG

The National Song was played.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

17.26 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.
